षष्ठम् माला, खंड I, अंक 9, मंगलवार, 5 अप्रैल, 1977/15 चैत्र, 1899 (शक)

Sixth Series, Vol. I No. 9, Tuesday, April 5, 1977/Chaitra 15, 1899 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
6th
LOK SABHA DEBATES

[पहला सत्र
First Session]

[खंड I में अंक 1 से 11 तक हैं
Vol. I contains Nos. 1 to 11]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिए गए भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

1—136LSS/77

विषय सूची CONTENTS

अंक 9, मंगलवार, 5 अप्रैल, 1977/15 चैत्र, 1899 (शक)

No. 9, Tuesday, April 5, 1977/Chaitra 15, 1899 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
फिनलैंड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	Welcome to the Parliamentary Delegation from Finland.	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	2—14
तारांकित प्रश्न संख्या 1 से 5	Starred Questions Nos. 1 to 5	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	15—41
तारांकित प्रश्न संख्या 6 से 20	Starred Questions No. 6 to 20	
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 50	Unstarred Questions Nos. 1 to 50.	
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table . .	41—51
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	51
खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Food Corporations (Amendment) Bill—As passed by Rajya Sabha	52
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	52—54
जेलों में बन्द राजनीतिक कैदियों की तुरन्त रिहाई	Immediate release of Political Prisoners . . .	52
श्री ज्योतिर्मय बसु,	Shri Jyotirmoy Bosu .	52
चौधरी चरन सिंह	Choudhary Charan Singh	52

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
साक्षरता सर्वव्यापीकरण, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, अनुसन्धान और शिक्षा और संस्कृति विभाग में राजनीतिक उत्पीड़न तथा छात्र संघों के लिए चुनावों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने के बार में सरकार की नीति सम्बन्धी वक्तव्य	Statement *re.* Government Policy on Universalisation of Literacy improvement of Secondary Education, Research, Political Victimisation in the Department of Education and Culture and removal of restrictions on elections to Students' Unions	54—55
श्री प्रताप चन्द चन्दर	Shri Pratap Chandra Chander	
संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	Government of Union Territories (Amendment) Bill—*Introduced* .	55—56
संघ राज्य शासन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Government of Union Territories (Amendment) Ordinance	56
चौधरी चरन सिंह	Chaudhuri Charan Singh .	
दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित	Delhi Administration (Amendment) Bill—*Introduced* . .	56
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Delhi Administration (Amendment) Ordinance .	56
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	56
विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष) विधेयक—पुरःस्थापित	Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Bill—*Introduced*	57—59
पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव	Motion to introduce	
श्री श्यामनन्दन मिश्र	Shri Shyamnandan Mishra	57
श्री शरद यादव	Shri Sharad Yadav	58
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	58
श्री हरि विष्णु कामथ	Shri Hari Vishnu Kamath	58
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	58
विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मन्त्री तथा अध्यक्ष) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य	Statement *re.* Disputed Elections (Prime Minister and Speaker) Ordinance	60
श्री शान्ति भूषण	Shri Shanti Bhushan	
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव	Motion to Thanks on the Address by the Vice-President acting as President . . .	60—70

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री चित्त बसु	Shri Chitta Basu .	60
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo .	61
श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	63
श्री जगदम्बी प्रसाद यादव	Shri Jagdambi Prasad Yadav	64
श्री वसन्त साठे	Shri Vasant Sathe	65
श्रीमती रेणका देवी बरकटकी	Shrimati Renuka Devi Barkataki	67
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . .	67
तमिलनाडु के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को लागू करने के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution Re. Continuance in force of the Proclamation in respect of Tamil Nadu	70-81
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh	70
श्री पी० कानन	Shri P. Kannan	71
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan	73
श्रीमती पार्वती कृष्णन	Shrimati Parvathi Krishnan	73
श्री कुमारी आनन्तन	Shri Kumari Ananthan .	74
श्री ए० अशोकराज	Shri A. Asokaraj .	74
श्री ए० मुरुगेसन	Shri A. Murugesan	75
श्री के० राममूर्ति	Shri K. Ramamurthy	75
श्री आर० मोहनरंगम	Shri R. Mohanarangam	76
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin .	77
श्री एस० नन्जेशरगोडा	Shri S. Nanjesha Gowda	78
श्री आर० कोलन्तैवेलू	Shri R. Kolanthaivelu	78
श्री ए० वी० पी० असाइतम्बी	Shri A.V.P. Asaithambi	79
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram	80
नागालैण्ड के बारे में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प—	Statutory Resolution *Re.* continuance in force of the Proclamation in respect of Nagaland	81
चौधरी चरण सिंह	Chaudhuri Charan Singh .	81
कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इंडिया) लिमिटेड तथा कालटेक्स इंडिया लिमिटेड के (भारत) में उपक्रमों का अर्जन] विधेयक	Caltex [Acquisition of Shares of Caltex Oil Refining (India) Limited and of the Undertakings in India of Caltex (India) Ltd. Bill]	81—82
विचार करने का प्रस्ताव —	Motion to consider	
श्री एच० एन० बहुगुणा	Shri H. N. Bahuguna . .	81
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin . . .	82

लोक सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 5 अप्रैल, 1977/15 चैत्र, 1899 (शक)

Tuesday, April 5, 1977/ Chaitra 15, 1899 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

फिनलैण्ड के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

WELCOME TO THE PARLIAMENTARY DELEGATION FROM FINLAND

उपाध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष महोदय की ओर से, अपनी ओर से तथा इस सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मुझे फिनलैंड के संसदीय शिष्टमंडल के माननीय सदस्यों का, जोकि आजकल भारत आये हुए हैं और हमारे सम्मानित अतिथि हैं, स्वागत करने में विशेष हर्ष हो रहा है। शिष्टमंडल के सदस्य हैं :—

1. श्री कुनोहोनकोनिन्, एम० पी०—शिष्टमंडल के नेता
2. श्री राल्फ फेरीब्रग, एम० पी०
3. श्री अट्टी सालोलेनन, एम० पी०
4. श्रीमती त्रिही नीमिनन, एम० पी०
5. श्री हीमोलीना, एम० पी० और
6. श्री जाक्को हिस्सा

शिष्टमंडल आज प्रातः यहां पहुंचा है तथा 9 अप्रैल तक भारत में रहेगा। इस समय वे लोग स्पेशल बोक्स में विराजमान हैं। हमारी कामना है कि हमारे देश में उन का प्रवास आनन्दमय हो। उन के माध्यम से हम फिनलैंड की संसद्, सरकार तथा जनता का अभिनन्दन करते हैं तथा अपनी शुभ कामनायें पेश करते हैं।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

हाथी समिति की सिफारिशों का लागू किया जाना

*1. **श्री बसंत साठे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की **कृपा करेंगे** कि :

(क) औषधियों सम्बन्धी हाथी समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) प्रत्येक सिफारिश के बारे में किए गए/किए जाने वाले अन्तिम निर्णयों का ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) औषध और भेषज उद्योग (हाथी समिति) पर समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है । इस समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों पर अन्तिम निर्णय शीघ्र लेने की सम्भावना है ।

श्री वसन्त साठे : जैसा कि माननीय मन्त्री को ज्ञात होगा, हाथी समिति का प्रतिवेदन काफी समय से सरकार के पास है और हम समझते थे कि इसकी सिफारिशों के महत्व को देखते हुए इसे गम्भीरता से लागू किया जायेगा। परन्तु बहुत-सी बातें हुई हैं। क्या मैं माननीय मन्त्री का ध्यान प्रतिवेदन के अध्याय पांच में पृष्ठ 86 पर की हुई सिफारिश की ओर दिला सकता हूं ? पैरा 4 में कहा गया है :—

"1952 और 1965 के दौरान और बल्कि 1968 तक सुविख्यात बहुराष्ट्रीय एककों और इस देश में कार्यरत भारतीय एककों ने "आशय पत्रों" के रूप में अपनी बिक्री में अत्यधिक वृद्धि करने की प्रेरणा प्राप्त की। 364 मदों का 15 प्रमुख विदेशी एककों द्वारा निर्माण करने की अनुमति दी गई। इनमें से 4 मदें प्रपुंज औषधों की थीं और शेष 360 मदें सूत्रयोगों की थी। जिनमें से बहुतों का निर्माण भारतीय क्षेत्र में आसानी से किया जा सकता था । इन सूत्रयोगों में घरेलू दवाइयां जैसे विटामिन और खनिज युक्त सूत्रयोगों, जिनमें से बहुतों के लिए डाक्टर के नुस्खे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, खांसी का मिक्सचर रिंग वार्म मलहम, हैल्थ साल्ट, ग्राइप मिक्सचर, लैक्सेटिव गोलियां, जले-फटे का मलहम, कैल्शियम युक्त टौनिक, अल्कोहल पर आधारित टोनिक आदि शामिल थे। "

समिति की एक विशेष सिफारिश यह है कि इन 117 आम दवाइयों को भारत में सरकारी क्षेत्र द्वारा तथा भारतीय क्षेत्र द्वारा बनाया जाए। इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैं ने पहले ही निवेदन किया है कि यह मामला सरकार के विचाराधीन है । जहां तक वर्तमान सरकार का सम्बन्ध है, हम ने हाल में ही कार्यभार संभाला है । मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह सरकार इतना अधिक समय नहीं लेगी जितना कि पहली सरकार ने लिया है ।

श्री बसन्त साठे : मैं माननीय मंत्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शीघ्र कार्यवाही करने का बचन दिया है । मैं उनका ध्यान उत्पादन, गुण प्रकार नियंत्रण तथा मूल्य नियंत्रण के लिए एक राष्ट्रीय औषध प्रतिकरण गठन के सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण सिफारिश की ओर दिलाना चाहता हूं । इस बारे में सरकार क्या सोच रही है ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : हम समूचे प्रश्न पर गम्भीरता से विचार कर रहे हैं ।

श्री चित्त बसु : माननीय मंत्री द्वारा हाल में यह कहा गया बताया जाता है कि सरकार की यह नीति है कि लाखों लोगों को औषधियां उपलब्ध की जाएं । उनकी हाल की इस टिप्पणी को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या हाथी समिति की कोई सिफारिश इस बात से भी सम्बन्धित है । यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देने की स्थिति में हैं कि देश की जनता को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायेंगे ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आवश्यकता से अधिक एक दिन का भी विलम्ब नहीं किया जायेगा ।

श्री सोनू सिंह पाटिल : क्या माननीय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाथी समिति ने आश्यपत्रों तथा सी० ओ० बी० लाइसेंसों को बिना कानूनी आधार के दिया गया वताया है ? यदि हां, तो क्या वह ऐसी सभी गतिविधियों को गैर-कानूनी घोषित करेंगे ? क्या यह सच है कि ऐसे घोषित किए गए आश्य पत्र तथा सी० ओ० बी० लाइसेंस वर्ष 1976-77 के 450 करोड़ के उत्पादन में से 184 करोड़ रुपये से सम्बन्धित थे ? यदि हां तो विदेशी कम्पनियों को इन गैर-जरूरी मदों के उत्पादन की अनुमति क्यों दी गई ? सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है तथा क्या वह इसे समाप्त करना चाहते हैं ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : जैसा कि मैंने पहले कहा है यह नई सरकार है तथा हाथी समिति की सिफारिशों के साथ-साथ पहली सरकार द्वारा किए गए कार्यों पर भी विचार किया जा रहा है ?

डा० सुशीला नायर : महोदय, मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहती हूं कि नीति यह रही है कि आमतौर से काम आने वाली दवाइयों को भारी मात्रा में बनाया जाये तथा उन्हें सस्ते दामों पर दिया जाए । जहां तक जीवन बचाने वाली दवाइयों का सम्बन्ध है इस दिशा में कुछ कार्य भी किया गया है । परन्तु मैं जानना चाहती हूं कि आम तौर से काम आने वाली औषधियों के बारे में क्या स्थिति है ? क्या वह यह बताने की स्थिति में हैं कि असपरीन तथा विटामिन जैसे आम दवाइयों को बच्चों के लिए सस्ती दरों पर देने के बारे में क्या स्थिति है ? ऐसा करना तभी सम्भव है जब कि इन दवाइयों का प्रपुंज रूप में उत्पादन किया जाये तथा इनका उत्पादन छोटे उत्पादकों को सौंपा जाये क्योंकि उन के प्रशासनिक व्यय कम होते हैं जबकि बड़े निर्माताओं के प्रशासनिक व्यय अधिक होते हैं ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य स्वयं एक चिकित्सक हैं तथा उनका काफी अनुभव है । उन्होंने जो कुछ कहा है, वैसा होना चाहिए ।

श्री नटवर लाल परमार : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पिफीजर, संडोज़ तथा मे एण्ड बेकर जैसी बहु राष्ट्रीय कम्पनियों के फायदे के लिए अधिकारियों द्वारा हाथी समिति की सिफारिशों को तरोड़ा मरोड़ा गया है, छोड़ दिया गया है तथा बदल दिया गया है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सिफारिशों को छोड़ देने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि अभी तक उनके बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाता हूं कि इस सरकार द्वारा किया गया कोई भी कार्य देश के हितों के विरुद्ध नहीं होगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या माननीय मन्त्री को पता है कि ओ० पी० पी० आई० जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए राजधानी में बहुत शक्तिशाली लॉबी बना रखी है और यदि हां, तो सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : ऐसा लॉबी की गतिविधियों के विरुद्ध सबसे बड़ी गारन्टी मेरे माननीय मित्र श्री बसु हैं। अतः हमें चिन्ता करने की जरूरत नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा जर्मनी को डीमाग नामक फर्म से क्रेन खरीदा जाना :

***2. श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पैट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गैस तथा प्राकृतिक गैस आयोग अथवा सरकार के किसी अन्य तेल संगठन ने जर्मनी की डीमाग नामक फर्म से क्रेन तथा अन्य वस्तुएं खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है; और

(ग) भारत में उनके प्रतिनिधि एजेंट कौन हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने 40/45 टन की क्षमता के चल क्रेनों वाले 8 ट्रकों की खरीद के लिए 1975 में खुले टेंडर आमन्त्रित किए थे। क्योंकि एक फर्म ने टेंडरों के खोलने के पश्चात अपनी कीमतों में कमी कर दी थी, अतः तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उन सभी फर्मों के साथ बातचीत की जिन्होंने तकनीकी रूप से स्वीकार करने योग्य पेशकश की थी। इन फर्मों ने निम्नलिखित संशोधित कीमतों की पेशकश की थी :—

फर्म का नाम। भारतीय एजेंट	मशीन का नाम	स्रोत	8 क्रेनों का एफ०ओ० बी० मूल्य (रु०)	8 क्रेनों का सी० आई० एफ० मूल्य (रु०)
1. अर्थ मूविंग एण्ड मशीनरी कम्पनी, नई दिल्ली।	हौयस्ट-5460	अमरीका	1.34 करोड़	1.58 करोड़
2. निस्सको एवाए,जापान।	लिंक बेल्ट एच० सी०-218-जे०	जापान	1.42 करोड़	1.62 करोड़
3. एस्कोटर्स लि०, फरीदाबाद	नार्थ-वेस्ट-60-टी०	अमरीका	1.32 करोड़	1.74 करोड़
4. मारुति हैवी व्हीकल्स लि०, गुड़गांव।	डेमाग टी० सी० 280-एल	जर्मनी	1.62 करोड़	1.76 करोड़

2. इन पेशकशों पर यथाविधि विचार करने के पश्चात, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने सुझाव दिया कि अमरीकी हॉयस्ट क्रेनों के लिए न्यूनतम कोटेशन देने वाले निविदाकार अर्थात मैसर्स अर्थ मूविंग एण्ड मशीनरी कम्पनी, नई दिल्ली को आर्डर दिए जाने चाहिए। जब इस पेशकश पर मन्त्रालय में जांच की जा रही थी, डेमाग क्रेन के भारतीय एजेंट मैसर्स मारुति हैवी व्हीकल्स लि०, नई दिल्ली ने अपने 1.76 करोड़ रुपये के स्थान पर 1.70 करोड़ रुपये (सी० आई० एफ०) से संशोधित प्रस्ताव की पेशकश की।

3. पैट्रोलियम मन्त्री तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं थे तथा उन्होंने इस आशय का मत व्यक्त किया कि डेमाग क्रेनों का मूल्य न्यूनतम न होने पर भी इन्हें खरीदा जाना चाहिए। अंततः वित्त मन्त्रालय ने इस दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया और तत्पश्चात् पैट्रोलियम मन्त्रालय द्वारा तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 1.70 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 8 डेमाग क्रेनों की खरीद के लिए मारुति हैवी व्हीकल्स लि० को फरवरी, 1976 में आर्डर देने को कहा गया था।

4. उक्त डेमाग क्रेनों के लिए मारुति हैवी व्हीकल्स (प्रा०) लि० के माध्यम से मार्च, 1977 में 29.27 लाख रुपये के फालतू पुर्जों के लिए आर्डर दिए गए हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की आवश्यकता वास्तविक थी अथवा नहीं; क्योंकि इस बारे में मुझे काफी सन्देह है तथा यह सन्देह इसलिए है कि इस मामले में श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके पुत्र तथा कम्पनी की सांठगांठ थी। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 40-45 मीटरी टन की आठ ऐसी क्रेनों की जरूरत थी, जो ट्रक पर हों और जिन्हें जहां चाहे ले जाया जा सके। टेंडर मांगना केवल एक दिखावा था, क्योंकि तत्कालीन मन्त्री श्रीमालवीय यह काम मारुती हैवी व्हीकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली को देना चाहते थे। इस काम में कमीशन लगभग 21 प्रतिशत था, जोकि सारे का सारा विदेशी मुद्रा में दिया गया। यह कारोबार मारुती हैवी व्हीकल्स लिमिटेड नई दिल्ली को दिया गया, क्योंकि वह डीमाग नामक पश्चिम जर्मनी की फर्म के ऐजेंट थे।

महोदय इस मामले में श्री मालवीय ने 29 जनवरी, 1976 की अपनी टिप्पणी में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की इस सिफारिश को भी अस्वीकार कर दिया कि सब से नीचले टेंडर को स्वीकार किया जाये। उन्होंने लिखा : "मैं अमरीकी क्रेन खरीदने की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सिफारिश को नहीं मानता जो कि उन क्रेनों की कीमत कम होने के कारण उन्हें खरीदना चाहते हैं।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह कारोबार मारुती हैवी व्हीकल्स लिमिटेड को दिया गया, हालांकि उन का टेंडर 1.76 करोड़ रुपये का था, जबकि अर्थ मूविंग एण्ड मशीनरी कम्पनी का टेंडर 1.58 करोड़ रुपये का था।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भूतपूर्व मन्त्री ने फाइल पर लिखा था :

"मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि सब से सस्ता टेंडर हमारे लिए सब से अच्छा रहेगा। इस लिए भी क्योंकि डीमाग मशीनें अधिक मजबूत और टिकाऊ हैं। इन्हें अधिक

समय तक काम में लाया जा सकता है........" डीमाग मशीनों की साख बहुत है और उन्हें सब से बढ़िया समझा जाता है।

अमरीका से बाहर डीमाग एक अच्छी अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनी है और हमें उसके साथ विशेष सम्बन्ध स्थापित करने चाहिएं।" इस लिए मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने अन्य क्या क्या बातें कही थीं। उन्होंने यह भी कहा था कि मूल्यों में और कमी करने की वात पर जोर देने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, यह सच है कि टेंडर मारुती हैवी व्हीकल्स लिमिटेड, गुड़गांव को दिया गया था, हालांकि उनका टेंडर ऊंचा था तथा नीचले टेंडर को छोड़ दिया गया था। यह भी सच है कि पैट्रोलियम मन्त्री श्री मालवीय ने फाइल पर टिप्पणी की थी। परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि माननीय सदस्य को मुझसे अधिक जानकारी है। मेरे पास फाइल नहीं है, इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है मैं उस के लिए उन्हें चुनौती नहीं दूंगा। परन्तु जहां तक मुझे याद है, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है, फाइल पर उसी प्रकार की टिप्पणी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह भी सच है कि भूतपूर्व वित्त मन्त्री श्री सी० सुब्रहमण्यम ने भी पैट्रोलियम मन्त्री श्री मालवीय से अनुरोध किया था कि वह अपने निर्णय पर पुर्नविचार करें और न्यूनतम मूल्य की होयस्ट की अमरीकी क्रेन खरीदने की तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सिफारिश स्वीकार कर लें। इस पर पैट्रोलियम मन्त्री ने कहा था कि टेंडर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायें। वित्त मन्त्री ने कहा कि न्यूनतम टेंडर को स्वीकार न करें और यह क्रयादेश किसी अन्य पूंजीपति देश को दे दें, क्योंकि इसमें प्रधान मन्त्री का पुत्र श्री संजय गांधी शामिल है। देश के लिए कितने दुर्भाग्यपूर्ण दिन थे। प्रश्न यह है कि क्या वित्त मन्त्री ने अपने ही मन्त्रालय की सिफारिश को नामंजूर कर दिया था।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैंने इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले का अध्ययन किया है। मैं समझता हूं कि निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण था तथा राष्ट्र के लिए गम्भीर था। मैं समझता हूं कि श्री सुब्रहमण्यम हम सब से अच्छी अंग्रेजी जानते हैं और उन्होंने यह नहीं लिखा कि किसी अमुक व्यक्ति को टेंडर दे दो, अपितु उन्होंने यह लिखा था कि टेंडर को और प्रतियोगिता पूर्ण बनाओ। इसलिए मैं वास्तव में यह ज्ञात नहीं है कि उनके मन्त्रालय ने उनकी टिप्पणी देखी अथवा नहीं। समूचा कार्य इस ढंग से किया गया जिससे कई सन्देह उत्पन्न हो जाते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की सूचना दी थी। नियम 368 के अधीन मैंने पूर्व सूचना दी थी और उसकी एक प्रति भी आपको दे दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बसु, पहले तो वह दस्तावेज किसी ने देखा नहीं है। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप उसे सभा पटल पर दे दें तथा हम देखेंगे कि उसे सभा पटल पर रखा जा सकता है अथवा नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय इस मामले का निबटारा किए बिना आगे कार्यवाही नहीं चल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने मामले का निबटारा कर दिया है। आप इसे सभा पटल पर दे दें। हम जांच करेंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैंने इसकी अग्रिम प्रति महासचिव को दे दी थी।

उपाध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत दस्तावेज को अध्यक्ष महोदय को देखना होता है। अध्यक्ष महोदय ने इसे नहीं देखा है। मैं निवेदन कर चुका हूं कि इस दस्तावेज की जांच की जायेगी और यदि नियमों के अनुसार हुआ तो इसे सभा पटल पर रखने की अनुमति दे दी जायेगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अब मैं इसकी प्रति दे रहा हूं। आप जैसा चाहें करें। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 48क/77]**

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : अभी तक माननीय मन्त्री ने प्रश्न के केवल एक भाग का उत्तर दिया है। मैं दूसरे भाग के बारे में जानना चाहता हूं। क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 24 ट्रकों के लिए भी टेंडर मांगे थे और इस मामले में भी टेंडर मारुती कम्पनी अथवा मारुती हैवी ट्रक्स को दिया गया था। मारुती एक सर्व व्यापक नाम है। उनका टेंडर न्यूनतम टेंडर से ढाई गुणा अधिक था, फिर भी टेंडर उनको ही दिया गया। मारुती ने देश में ट्रक बनाने की बजाये 12 ट्रकों का जर्मनी से तथा 12 ट्रकों का यूनाइटेड स्टेटस इन्टरनेशनल हारवेस्टरस से आयात किया। उस कम्पनी के कमीशन एजेंट भी श्री संजय गांधी थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और क्या यह भी सच है कि ट्रकों का आयात किया गया, हालांकि उन का उत्पादन देश में ही किया जा सकता था, क्योंकि हमारे देश में ट्रकों की उत्पादन क्षमता मौजूद है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय सदस्य ट्रकों के बारे में एक विशेष प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरे पास जो जानकारी है वह यह है कि जर्मनी से क्रेन खरीदी गई थी, ट्रक नहीं। वास्तव में क्रेनें ट्रकों पर फिट थीं तथा उस हद तक ट्रक खरीदे गए थे। चाहें तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, मुझे अग्रेतर जानकारी की आवश्यकता होगी।

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Mr. Deputy Speaker, Sir, is it also a fact that six road rollers were also purchased by ONGC from Maruti Heavy Vehicles, though their tender was not lowest ? Is Maruti Heavy Vehicles is only a fraud as its total machinery is worth rupees twelve thousands only ? I want to know the price of the road rollers and the source from which they were purchased. May I know whether any inquiry will be conducted in the scandle regarding the purchase of items by ONGC from Maruti Limited and the irregularities committed in this regard and whether action will be taken against the persons found guilty ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इस प्रश्न का क्षेत्र विस्तृत होता जा रहा है। यह प्रश्न केवल क्रेनों से सम्बन्धित है। यदि माननीय सदस्यों को और जानकारी की जरूरत हो, जोकि इस समय मेरे पास नहीं है, तो उन्हें इसके लिए पूर्व सूचना देनी होगी। यदि मेरे ध्यान में कोई ऐसी बात लाई गई, जो जांच करने योग्य हो, तो उसकी जांच की जायेगी। इस मामले में मैं यह कह सकता हूं कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की बात न मान कर आदेश दिया गया था। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कहा था कि मारुति विहकल्स लिमिटेड को क्रयादेश नहीं दिया जाना चाहिए, परन्तु भारत सरकार तथा पैट्रोलियम मंत्री

ने उनकी बात नहीं मानी। इसके लिए भारत सरकार के सचिव बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हैं। मैंने इस मामले से सम्बन्धित फाइलों को देखा है। इसमें अधिकारियों का कोई हाथ नहीं है।

SHRI MADHU LIMAYE : We always blame the civil servants whereas the fault lies with us. In this case, blame has been thrust upon ONGC, Secretary, Petroleum, Secretary, Expenditure, (Finance Ministry) and Secertary, Economic Affairs, whereas the fact is that four I.C.S. officers said that this should not be done but Shri Keshav Dev Malviya, who is very progressive, intervened in the matter. May I know whether Government are aware that the opinion given by these officers was charged by the political interference of Shri Keshav Dev Malviya and Shri C. Subramaniam, which was actuated by the fear of the Prime Minister? Thy have maintained that they did not get any commission in this deal. But according to our information, they were paid 21 per cent commission on higher prices and 15 percent commission on lower prices in foreign exchange, which was deposited in foreign banks. Will the Government enquire into it. Through their Intelligence Bureau after consulting the Prime Minister, Finance Minister and the Revenue Intelligence Department. So as to ascertain the full facts?

SHRI H. N. BAHUGUNA : In the first part of his question, Shri Madhu Limaye has stated that the orders given by the then Minister Shir Keshav Dev Malviya against the opinion of the officers were improper. He has enquired at whose instance such orders were given. At presnt, I can only say that the ordrs given by Shri Malviya were not proper as he had over-ruled all the officers. I do not know at whose instance he gave those orders.

In the second part of the question, Shri Madhu Limaye enquired whether they got foreign exchange or not. I will refer this question with all its details to the Prime Minister. In my opinion, Government will surely like to get the full information in this regard.

मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश

*3. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम् :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है;

(ख) क्या उस न्यायालय में कोई न्यायाधीश अस्थाई तौर पर कार्य कर रहे हैं; और

(ग) यदि वहां कोई रिक्त स्थान हैं तो उन्हें न भरने के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) इस समय मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 16 स्थायी न्यायाधीश और 6 अपर न्यायाधीश हैं।

(ख) इस समय 14 स्थायी न्यायाधीश और 2 अपर न्यायाधीश पदस्थ हैं।

(ग) सरकार इस विषय पर विचार करती रही है। विभिन्न प्राधिकारियों से परामर्श करने में समय लगा है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 22 है जबकि केवल 16 न्यायाधीश कार्य कर रहे हैं। ये पद कब से नहीं भरे गए? क्या जिस आधार पर स्वीकृत संख्या निश्चित की गई थी, वह गलत थी। क्या यह सच है कि लम्बे अर्से से इन पदों के रिक्त रहने के कारण, उच्च न्यायालय में निलम्बित मुकदमों की संख्या बढ़ गई है?

श्री शान्ति भूषण : स्थायी न्यायाधीशों के दो स्थान 1 अगस्त, 1975 से रिक्त पड़े हैं और इसके अतिरिक्त अन्य स्थान भी काफी समय से रिक्त पड़े हैं। ये स्थान इसलिए नहीं भरे गए कि इनके लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेनी पड़ती है और वे अपनी राय बदलते रहे हैं। वर्तमान सरकार ने थोड़े दिन पूर्व ही कार्यभार सम्भाला है। वह मामले पर विचार कर रही है और हम शीघ्र ही इस सम्बन्ध में निर्णय ले लेंगे।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : मैं विलम्ब के लिए वर्तमान मन्त्री को दोष नहीं दे रहा हूं। लेकिन क्या वह इस अत्यधिक विलम्ब के कारणों का पता लगायेंगे? सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में किये गए संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार विचार करेगी कि क्या वर्तमान स्वीकृत संख्या की अभी भी जरूरत है और क्या अब उच्च न्यायालयों का काम कम हो गया है?

श्री शान्ति भूषण : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि उच्च न्यायालय में नियुक्तियां इतने लम्बे समय तक विलम्बित क्यों पड़ी रहीं; इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा। जहां तक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश का सम्बन्ध है, संविधान के अनुच्छेद 121 के अनुसार, न्यायाधीशों के आचरण के बारे में कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए और इसलिए न्यायाधीशों के बारे में चर्चा करना ठीक नहीं है क्योंकि इससे उनकी कार्यकुशलता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। माननीय सदस्य की भावनाओं को ध्यान में रखा जायेगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के संशोधनों को ध्यान में रखकर उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए, इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

श्री राम चन्द्र मलिक : क्या मद्रास उच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों में अभी भी बहुत से मामले निलम्बित पड़े हैं और सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है?

श्री शान्ति भूषण : यह सच है कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में बहुत से मामले निलम्बित पड़े हैं और सरकार इस पर शीघ्र विचार करेगी।

श्री अरविन्द बाला पजनौर : 1975 से दो स्थायी न्यायाधीशों के पद रिक्त पड़े हैं। वहां चार अतिरिक्त न्यायाधीश काम कर रहे हैं। सरकार इन चार अतिरिक्त न्यायाधीशों में से दो स्थायी न्यायाधीश नियुक्त क्यों नहीं कर सकी?

श्री शान्ति भूषण : प्रश्न दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से सम्बन्धित है।

श्री अरविन्द बाल पजनौर : यह दो स्थायी न्यायाधीशों के बारे में है। वे 1975 से प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री शान्ति भूषण : वहां 2 अतिरिक्त न्यायाधीश थे और दो स्थायी स्थान रिक्त थे। उन दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को उन स्थायी रिक्त स्थानों पर नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया; उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के मुख्य न्यायाधीश

की सिफारिशें प्राप्त की गईं और उन्हें ध्यान में रखते हुए, पिछली सरकार ने उन दो अतिरिक्त न्यायाधीशों की कालावधि बढ़ा दी। जैसा मैंने कहा, वर्तमान सरकार समस्त प्रश्न पर विचार करेगी।

श्री के० मायातेवर : मैं मानता हूं कि उच्चतम न्यायालय के अथवा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के बारे में टिप्पणियां नहीं की जानी चाहिएं। मद्रास उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री वीरास्वामी के विरुद्ध मद्रास सेशन कोर्ट में गम्भीर आरोप लगाये गए हैं। मैं उस मामले की स्थिति के बारे में जानकारी चाहूंगा। क्या सरकार उस पर विचार करेगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

SHRI MANOHAR LAL : Is it a fact that a judge of Madras High Court was transferred because the verdict given by him in a particular case did not conform to the wishes of Shrimati Indira Gandhi? Will the Hon'ble Minister take any action in respect of such transfers effected or promotions withheld?

उपाध्यक्ष महोदय : आप ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रश्न पूछते समय आप उसी प्रश्न के बारे में पूछिये जो सभा के सामने विचाराधीन है।

श्री शान्ति भूषण : मद्रास उच्च न्यायालय का एक जज 3 जनवरी, 1977 को केरल से मद्रास स्थानान्तरित कर दिया गया था। वर्तमान सरकार उन जजों को जिनका आपात स्थिति के दौरान एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में उनकी इच्छा के विरुद्ध तबादला कर दिया गया था, उन्हें उनकी राय जानकर वापस भेजेगी। यदि कुछ जज उन्हीं स्थानों पर रहना चाहते हैं जहां उनका तबादला कर दिया गया था, तो यह दूसरी बात है। इस सामान्य सिद्धान्त में कुछ अपवाद किया जाये या नहीं, यह बात वर्तमान सरकार के विचाराधीन है।

SHRI MANOHAR LAL : I have a point of order. You said that the question related to Madras and therefore the supplementaries in respect of other States cannot be asked. My point of order is that if the Hon'ble Minister wants to reply and he has sufficient material for furnishing the reply he may kindly be allowed to answer the question.

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जब कोई प्रश्न सूची में है तो मन्त्री महोदय उसी प्रश्न का और उसके अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देंगे भले ही मन्त्री महोदय के पास उस प्रश्न से असंगत प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सामग्री हो।

SHRI HUKAM CHAND KACHWAI : Like Madras High Court, there are several other High Courts, in the country and everywhere there is shortage of judges, as a result of which, lacs of cases have been pending for the last five or ten years. I would like to know the extent of the shortage of judges in all the High Courts, when this shortage would be removed and what arrangements are purposed to be made by Government for the speedy disposal of these cases.

SHRI SHANTI BHUSHAN : The Government is fully conscious that even the sanctioned strength of High Courts' Judges in various High Courts have not been maintained for long periods by the previous Government for reasons best known to them. The Government,

therefore, has been examining this issue and would like to come forward with solutions to this problem, as quickly as possible. It would also be examining as to what strength is necessary in the High Courts to solve the problem of pending arrears, because the Government feels that every case must be decided as expeditiously as possible.

आपात स्थिति के दौरान अधिनियमित अधिनियमों की उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा पुनः जांच

***4. श्री समर गुह**
श्री बशीर अहमद } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 26 जून, 1975 से 23 मार्च, 1977 तक आपात स्थिति की अवधि में सरकार द्वारा अधिनियमित सभी अधिनियमों की पुन: जांच करने के लिए एक उच्च शक्ति-प्राप्त समिति नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार ने नीति की दृष्टि से यह निश्चय किया है कि वह आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का बारीकी से पुर्नविलोकन और वर्तमान विधियों की जांच यह पता लगाने के लिए करेगी कि क्या ये विधियां, नागरिकों को न्यायालयों की शरण में जाने के उनके अधिकार से वंचित किए बिना, आर्थिक अपराधों और देश की सुरक्षा के सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त हैं। किन्तु इस प्रयोजन के लिए कोई उच्च शक्ति प्राप्त समिति गठित करने के सम्बन्ध में अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री समर गुह: माननीय मन्त्री एक जाने माने वकील हैं, लेकिन उन्होंने प्रश्न की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया है। मैंने केवल आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम का ही उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यह विदित है कि आपात-स्थिति के दौरान संसद द्वारा लगभग 101 सामान्य अधिनियम पास किए गए थे जो आर्थिक राजनीतिक और न्यायिक मामलों तथा श्रमिकों की ओर विभिन्न अन्य समस्याओं से सम्बन्धित थे। उनका प्रभाव सारे देश पर था। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक विशेषज्ञ विधिक समिति द्वारा, जिसमें सरकार के तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की बार एसोसियेशनों के प्रतिनिधि हों, इन अधिनियमों के गुण-दोषों की जांच करायेगी और उस समिति से यह सिफारिश करने के लिए कहेगी कि क्या इन अधिनियमों में संशोधन किया जा सकता है अथवा कुछेक का निरसन किया जा सकता है। उन्हें इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि क्या इन सभी अधिनियमों की एक उच्चशक्ति प्राप्त विशेषज्ञ विधिक समिति द्वारा जांच करायी जायेगी।

श्री शान्ति भूषण : अधिनियमों की समीक्षा करने सम्बन्धी नीति कार्यवाहक राष्ट्रपति के संसद् के समक्ष अभिभाषण के पैरा 6 में स्पष्ट कर दी गई है। नीति उन अधिनियमों की समीक्षा करने के सम्बन्ध में है जिनके द्वारा नागरिक अधिकारों और मौलिक स्वतन्त्रता पर प्रतिबंध लगाये गए थे ताकि प्रेस की स्वतन्त्रता और कानून के शासन को पुन: स्थापित किया जा सके। आपातस्थिति के दौरान बहुत से अधिनियम पास किए गए थे। वास्तव में, संसद् द्वारा पास किए गए अधिनियमों की संख्या 138 थी। इनमें से बहुत से अधिनियम

विवादास्पद हैं। सरकार इन सभी विवादास्पद अधिनियमों पर विचार करेगी ताकि यह तय किया जा सके कि इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जाये लेकिन अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। लेकिन इस प्रयोजनार्थ एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति की स्थापना करने सम्बन्धी सुझाव पर सरकार विचार करेगी।

श्री समर गुह : मेरा दूसरा प्रश्न आपातस्थिति के दौरान पास किए गए संवैधानिक संशोधनों के बारे में है। हम लम्बे समय तक जेल में थे और हम नहीं जानते कि ऐसे कितने संशोधन स्वीकार किए गए। जहां तक मैं जानता हूँ, संसद द्वारा पांच अधिनियम पास किए गए थे और उनके द्वारा हमारे संविधान के मूल स्वरूप में पूर्णतया परिवर्तन कर दिया गया है।

मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या जनता के सभी वर्गों से बातचीत करने के लिए जिसमें विधि विशेषज्ञ भी हों, सरकार एक राष्ट्रीय आयोग गठित करेगी ताकि यह पता लगाया जाये कि किन अधिनियमों में संशोधन किया जाना है और किन्हें बदलना है ताकि हमने चुनाव घोषणा-पत्र में जिन लोकतन्त्र और समाजवाद के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है उन्हें बचाया जा सके। लोगों को यह आश्वासन भी मिल जायेगा कि भविष्य में कोई भी सरकार संविधान में निहित आपातस्थिति सम्बन्धी अस्पष्ट खंडों का अनुचित लाभ न उठा सकेगी।

श्री शान्ति भूषण : सरकार इस विषय में एक व्यापक विधेयक लाने पर विचार कर रही है जिसके अन्तर्गत 42वां संशोधन विधेयक पर भी चर्चा होगी। सरकार इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लेगी।

श्री बशीर अहमद : 42वें संशोधन विधेयक में सिविल प्रक्रिया संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में दो संशोधन हैं। इन संशोधनों द्वारा न्यायालय की शक्तियां तथा न्यायालय में जाने के अधिकार छीन लिए गए हैं। मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन संशोधनों के बारे में और आंसुका के बारे में वह कब रिपोर्ट देंगे और इनमें संशोधन कब किया जायेगा ताकि जिन लोगों के मुकदमें चल रहे हैं उनकी कठिनाइयों को कम किया जा सके।

श्री शान्ति भूषण : मैं पहले ही कह चुका हूं कि आपातकालीन स्थिति के दौरान पास किए गए सभी विवादास्पद अधिनियमों पर सरकार द्वारा पुनः विचार किया जायेगा ताकि इन परिवर्तनों के बारे में सरकारी नीति तय की जा सके। माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित मामले पर भी उचित रूप से विचार करके सरकारी नीति निर्धारित की जायेगी।

श्री के० लकप्पा : पिछली सरकार द्वारा पास किए गए कतिपय अधिनियम ऐसे हैं जिन पर वर्तमान सरकार द्वारा विचार किया जायेगा। आपातस्थिति के दौरान तस्करी, जमाखोरी और काला बाजारी को खत्म करने के लिए कुछ अधिनियम पास किए गए थे। उनके प्रति वर्तमान सरकार का रवैया क्या होगा।

(**व्यवधान**)

श्री शान्ति भूषण : सरकार की सामान्य नीति यह है कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने से पूर्व उसे न्यायालय में अपने बचाव का अधिकार होना चाहिए। सरकार आर्थिक अपराधों के लिए कड़ी कार्यवाही करेगी। सरकार की सुस्पष्ट नीति जल्दी ही तैयार कर ली जायेगी।

श्री पी० जी० मावलंकर: विधि मन्त्री जी ने कहा है कि आपात स्थिति के दौरान पास किए गए सभी 138 अधिनियमों पर सरकार गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है। उन्हें ज्ञात होगा कि उस दुखद समय में हमने कुछ ऐसे अविवादास्पद अधिनियमों को शीघ्रता से पास किए जाने का डट कर विरोध किया था। इसलिए मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि आँसुका और 42वें संशोधन अधिनियम पर विचार करते समय क्या वह उन अविवादास्पद अधिनियमों पर भी विचार करेंगे जिनके पास किए जाने के ढंग का हमने विरोध किया था।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अधिक आपत्तिजनक अधिनियमों को समाप्त करने का काम पहले लिया जायेगा ताकि उनके अनिष्टकारी प्रभाव लोगों पर न पड़ें।

क्या सरकार उन अधिनियमों को जिन्हें अभी समाप्त न किया जा सके, निष्प्रभावी रहने देगी ताकि यह सरकार उन गलत, बुरे और अन्यायी अधिनियमों को कार्यान्वित करने का पाप अपने सिर पर न ले। विपक्षी नेताओं को जेल में डाल कर और अन्य विपक्षी सदस्यों की आवाज बन्द करके इन अधिनियमों को पास किया गया था और जनता की आवाज को कुचल दिया गया था।

श्री शान्ति भूषण: इन अधिनियमों पर अतिशीघ्र विचार किए जाने की आवश्यकता को कम नहीं आंका जा सकता। सरकार शीघ्र ही इन पर विचार करेगी।

जहां तक अविवादास्पद अधिनियमों को पास किए जाने का प्रश्न है, वर्तमान सरकार उन अधिनियमों का पालन करेगी। यदि कोई अच्छी चीज शीघ्रता में भी की गई हो और यदि वह विधि अनुसार की गई हो तो शीघ्रता के पहलू का कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता।

SHRI UGRASEN: The Hon. Minister has stated that an amending Bill will be brought to repeal the 42nd Amendment Bill. May I know whether the Bill will be brought during the next budget session?

श्री शान्ति भूषण: इस बारे में मैं स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता। पर सभा के अगले ही सत्र में एक व्यापक संशोधी विधेयक लाने का हमारा पूर्ण प्रयास होगा।

न्यायिक सुधार

*5. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन:** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने पांचवीं लोक सभा द्वारा अधिनियमित संविधान के 42वें संशोधन में निहित विभिन्न न्यायिक सुधारों के प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के लिए कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पूर्ण और शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग). राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया था कि संविधान में संशोधन करने के लिए इस वर्ष के दौरान एक व्यापक विधेयक संसद् के समक्ष रखा जाएगा। प्रस्तावित विधेयक को तैयार करते समय संविधान के 42वें संशोधन को ध्यान में रखा जाएगा। इस बीच, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने और न्याय-प्रशासन को समवर्ती सूची का विषय बनाने से संबंधित उपबन्धों को लागू करने के विषय में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में भूमि सुधार और कृषि मजदूरों तथा अन्य व्यक्तियों की मजूरी से सम्बन्धित मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने के उपबन्ध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि एक व्यापक विधेयक को लाने में विलम्ब करने से क्या इन वर्गों के हितों को हानि नहीं होगी?

श्री शान्ति भूषण : जहां तक 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में न्यायाधिकरण स्थापित किए जाने और तदनुसार उच्च न्यायालयों के न्यायाधिकार को हटाने का प्रश्न है, उस पर भी व्यापक संविधान संशोधन विधेयक को अन्तिम रूप देते समय विचार किया जायेगा।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : चूंकि ये महत्वपूर्ण मामले हैं और भूमि सुधारों सम्बन्धी बहुत से मामले न्यायालयों में निलम्बित पड़े हैं अतः क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह अगले सत्र में ऐसा विधेयक लाने का संकेत देंगे।

यह भी बतायें कि क्या 9वीं अनुसूची समाप्त कर दी जायेगी। वर्तमान प्रधानमन्त्री ने ऐसा किए जाने की घोषणा भी की थी।

श्री शान्ति भूषण : जैसा मैंने पहले कहा था, अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक लाने का सरकार का पूरा प्रयास होगा। पर मैं इस विषय में स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकता।

जहां तक संविधान की 9वीं अनुसूची का सम्बन्ध है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, किन्तु जब तक सरकार की नीति निर्धारित नहीं हो जाती, मैं कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

श्री सुगाता राय : कांग्रेस सरकार का विचार था कि न्याय में विलम्ब न्याय से वंचित रखना है। अतः चूंकि निर्धन भूमिहीन मजदूरों और किसानों के लाभ के लिए भूमि सुधारों के अनेक मामले निलम्बित थे इसलिए उसने न्यायाधिकरण स्थापित करने का फैसला किया और खरीद तथा श्रम सम्बन्धी मामलों को 42वें संशोधन विधेयक के अन्तर्गत ले आये। वर्तमान सरकार का इन मामलों को शीघ्र निपटाने और न्याय दिलवाने के प्रति क्या रवैया है?

श्री शान्ति भूषण : सरकार इस सम्बन्ध में पूरी तरह सजग है कि न्याय में विलम्ब न्याय से वंचित रखने के समान है अतः ऐसी प्रक्रिया अपनायी जाये जिससे मामलों का शीघ्र निपटान हो सके। साथ ही साथ हमें इस बात की भी जांच करनी है कि क्या केवल न्यायाधिकरण द्वारा ही ऐसा हो सकता या स्वतन्त्र न्यायालय द्वारा भी यह सम्भव है। सरकार सभी पहलुओं पर जांच करेगी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पारादीप में उर्वरक संयंत्र

*6. **श्री पी० के० बल :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप, उड़ीसा में प्रस्तावित उर्वरक सन्यन्त्र परियोजना को, जिसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने वर्ष 1974 में रखी थी, कार्यान्वित किया जायेगा; और

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना की क्रियान्विति की दिशा में कितनी प्रगति हुई है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). प्रतिबन्धित स्रोत के कारण पारादीप उर्वरक परियोजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई थी। जब अतिरिक्त उर्वरक क्षमता की योजना बन जायेगी तो इस परियोजना के कार्यान्वयन के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

Cost of Chemical Fertilizers

*7. SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state the per ton cost of chemical fertilizers, such as, the urea, phosphate and potash, separately in public sector fertilizer factories as also the per ton rate at which each of these fertilizers is being supplied to the farmers at present?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : The per ton cost of manufacture of urea and phosphatic fertilizers in the public sector factories varies from plant to plant depending upon such factors as feedstock used, process adopted, age of the plant, location, cost of utilities etc. Potash which is used both directly as a fertilizer and as an ingredient in NPK fertilizers is entirely imported.

The retail prices of the three main nitrogenous fertilizers viz. Urea, Calcium Ammonium Nitrate and Ammonium Sulphate are statutorily controlled. Presently their prices are :—

Urea—Rs. 1650 per tonne.

Calcium Ammonium Nitrate—Rs. 1015 per tonne.

Ammonium Sulphate—Rs. 935 per tonne (50 Kg.), Rs. 925 per tonne (100 Kg.).

The prices of phosphatic fertilizers are not under statutory control. However, in terms of the price support scheme in vogue from March 1976, the maximum selling prices of complex phosphatic fertilizers have been fixed by Government. The prices now prevailing are as in Annexure I. [Placed in Library. *See* No. L.T.-48/77] The prices of single superphosphate manufactured by the different units are fixed by the Fertilizer Association of India in accordance with the formula which has the approval of Government. The price of Muriate of Potash, which is fixed by the Ministry of Agriculture is presently Rs. 795 per tonne.

Government have constituted a Committee under the Chairmanship of Dr. S. S. Marathe, Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices to examine in depth the cost of production of fertilizers both in the public sector and private sector manufacturing units. The report of the Committee is expected shortly.

तलचर उर्वरक संयंत्र का पूरा होना

*8. **श्री जी० एन० प्रधान : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के तलचर नामक स्थान पर उर्वरक सन्यन्त्र पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख). तलचर में उर्वरक संयन्त्र का कार्यान्वियन किया जा रहा है। वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार उर्वरक संयन्त्र के एक स्ट्रीम की जून, 1977 तक यांत्रिक रूप से पूरे होने तथा अक्तूबर, 1977 तक चालू होने की सम्भावना है और दूसरे स्ट्रीम की सितम्बर 1977 तक यांत्रिक रूप में पूरे होने तथा जनवरी, 1978 तक चालू होने की सम्भावना है।

तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचन

*9. **श्री के० गोपाल : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचन निकट भविष्य में कराने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तमिलनाडु विधान सभा के निर्वाचन यथासंभव शीघ्र कराये जाने का विचार है। किन्तु इस विषय में अभी कोई विनिश्चय नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bundelkhand Express

†*10. SHRI LAXMINARAIN NAYAK : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Bundelkhand Express (Operating between Jhansi and Mughalsarai) runs as a passenger train between Jhansi and Manikpur; and

(b) if so, whether any steps are proposed to be taken to run it as an express train between Jhansi and Manikpur also ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes Sir.

(b) No Sir.

Prices of Chemicals and Fertilizers

†*11. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government propose to bring down the prices of chemicals such as fertilizers, insecticides and herbicides; and

(b) if so, the main features of the scheme in this regard and the time by which it would be implemented ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) and (b) It is the endeavour of Government to keep down the prices of essential chemicals including fertilizers, insecticides and herbicides, so as to make them available to the consumers at lowest possible rates. The prices of the chemicals which are statutorily controlled are periodically reviewed.

उर्वरकों का उत्पादन

***12. श्री सुशील कुमार धारा :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सभी प्रकार के उर्वरकों का कितनी मात्रा में वार्षिक उत्पादन होता है;

(ख) कृषि भूमि के लिये इनकी वर्तमान मांग कितनी है; और

(ग) आगामी पांच वर्षों में इसका उत्पादन-लक्ष्य क्या है और क्या उत्पादन के तरीके में कोई परिवर्तन करने का विचार है?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क)

(उत्पादन लाख मीटरी टनों में)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फेट
1975-76	15.35	3.20
1970-71 (अस्थायी)	18.90	4.80

पोटाश का देश में उत्पादन नहीं होता है।

(ख) 1977-78 के दौरान कृषि सम्बन्धी आवश्यकताओं का नाइट्रोजन का 31.30 लाख मी० टन, फास्फेट का 8.71 लाख मी० टन और पोटाश के 4.10 लाख मी० टन का अनुमान है।

(ग) विभिन्न चालू संयंत्रों के प्रबन्ध मण्डल के साथ विचार विमर्श करने के बाद उत्पादन का लक्ष्य वार्षिक आधार पर निर्धारित किया जाता है। अतः उत्पादन का कोई स्थायी लक्ष्य अगले पांच वर्षों के लिये निर्धारित नहीं किया गया है तथापि 1981-82 तक नाईट्रोजन का लगभग 44 लाख मी० टन और पी 205 का 10.50 लाख मी० टन उत्पादन का अनुमान है। उर्वरक उत्पादन के लिये जानकारी और प्रक्रिया के चयन में भारत नवीनतम प्रौद्योगिकी विकास को अपना रहा है। भविष्य में संयंत्रों के लिये नई प्रक्रियाओं का यदि भारतीय परिस्थितियों में, प्रौद्योगिकी तथा मितव्ययता की दृष्टि से उचित समझा गया तो अपनाया जायेगा।

Drilling of Oil in Bombay High

*13. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state :

(a) the quantity of oil being drilled per day in Bombay High;

(b) whether the work of laying pipeline from Bombay High to Bombay is likely to be completed by May, 1977; and

(c) if so, the total expenditure involved in this work ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) A production potential of about 35,000 barrels of oil per day has been established in Bombay High;

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

कोंकण रेलवे

*14. श्री परुलेकर बापूसाहेब, श्री अन्नासाहेब गोटखिन्डे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का विचार कोंकण रेलवे परियोजना कब तक आरम्भ करने का है ?

रेल मन्त्री (मधु दंडवते) : प्रस्तावित आप्ता-मंगलूर लाइन के आप्ता-दासगांव खंड के अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम पूरा किया जा चुका है। रत्नागिरि से मंगलूर तक के पिछले सर्वेक्षण सम्बन्धी नौके की जांच के साथ ही दासगांव से रत्नागिरि तक अन्तिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम भी पूरा होने को है। सरकार का यह प्रयास होगा कि पिछड़े क्षेत्रों में नयी रेल लाइनों के निर्माण के लिये यथा सम्भव अधिक से अधिक संसाधन जुटाये। इस बारे में पूर्ण शक्ति के साथ शीघ्र काम किया जायेगा ताकि कोंकण रेलवे लाइन का निर्माण शुरू किया जा सके।

Fast Train between Delhi and Bombay

†*15. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKER : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether since a long time only two fast trains, viz., Punjab Mail and Bombay-Amritsar Express have been running between Delhi and Bombay via Agra-Gwalior Bhopal and Itarsi;

(b) whether there has been a consistent demand for introduction of another fast train on this route; and

(c) if so, whether any Janata express or any other train is proposed to be introduced on this route soon ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes Sir.

(b) Yes Sir.

(c) This matter will be looked into, taking into consideration the line and terminal capacity.

उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण, पदावनति और अधिक्रमण

*16. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात कालीन अवधि के दौरान उच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों का स्थानान्तरण अथवा पदावनति की गई थी ;

(ख) उनके नाम क्या हैं और उनके स्थानान्तरण या पदावनति के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उच्च न्यायालय के और उच्चतम न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों का अधिक्रमण किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): (क) और (ख) जून, 1975 में लगाई गई आपात स्थिति की अवधि में उच्च न्यायालयों के इक्कीस न्यायाधीशों का स्थानान्तरण किया गया था। ये स्थानान्तरण उस समय जो नीति थी उसके अनुसार किए गए थे । संविधान में न्यायाधीशों की पदावनति के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। शायद सदस्य महोदय का इशारा दो न्यायाधीशों अर्थात् श्री यू० आर० ललित और श्री आर० एन० अग्रवाल के मामले की ओर है । ये दोनों न्यायाधीश क्रमशः मुम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में अपनी दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर पुनः नियुक्त नहीं किए गए थे ।

सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें उन न्यायाधीशों के नाम दिए हुए हैं जिनका स्थानान्तरण किया गया था ।

(ग) केवल उच्चतम न्यायालय में आपात की अवधि के दौरान एक न्यायाधीश को उस स्थिति में मुख्य न्यायधिपति बनाया गया था जब उससे वरिष्ठ एक अन्य न्यायाधीश मौजूद था ।

(घ) तत्कालीन विधि मंत्री ने 29-1-1977 को जो वक्तव्य जारी किया था उसके अनुसार श्री न्यायाधीश एम० एच० बेग की भारत के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में नियुक्ति सरकार की घोषित नीति के अनुसार थी और इसका अर्थ यह नहीं था कि श्री न्यायाधीश एच० आर० खन्ना योग्य नहीं हैं । कहा जाता है कि उन्होंने यह भी कहा था कि यदि श्री न्यायाधीश एच० आर० खन्ना को भारत का मुख्य न्यायाधिपति नियुक्त किया जाता तो वह लगभग 5 मास के थोड़े समय ही उस पद पर रह पाते जब कि श्री न्यायाधीश बेग उससे अधिक अवधि के लिये अर्थात् 13 मास तक उस पद पर रहेंगे और तत्कालीन सरकार का यह विचार था कि भारत के मुख्य न्यायाधिपति जैसे उच्च पद पर नियुक्ति थोड़ी अवधि के लिये नहीं होनी चाहिए।

विवरण

आपातकाल के दौरान स्थानान्तरित मुख्य न्यायाधिपतियों/न्यायधीशों की सूची

क्र० सं०	स्थानान्तरित किए गए न्यायाधीश का नाम	उच्च न्यायालय का नाम: जिससे स्थानान्तरण किया गया	उच्च न्यायालय का नाम: जिसको स्थानान्तरण किया गया	पद ग्रहण करने की तारीख
1	2	3	4	5
1.	श्री एस० ओबुल रेड्डी (मुख्य न्यायाधिपति)	आन्ध्र प्रदेश	गुजरात	7-7-76

1	2	3	4	5
2.	श्री बी० जे० दीवान (मुख्य न्यायाधिपति)	गुजरात	आंध्र प्रदेश	1-7-76
3.	श्री डी० एस० तेवटिया	पंजाब और हरियाणा	कर्नाटक	28-6-76
4.	श्री ओ० चिन्नप्पा रेड्डी	आंध्र प्रदेश	पंजाब और हरियाणा	28-6-76
5.	श्री सी० कोंडय्या	आंध्र प्रदेश	मध्य प्रदेश	24-6-76
6.	श्री डी० एम० चन्द्रशेखर	कर्नाटक	इलाहाबाद	5-7-76
7.	श्री जे० आर० वीमादलाल	मुम्बई	आंध्र प्रदेश	24-6-76
8.	श्री एस० एच० शेठ	गुजरात	आंध्र प्रदेश	24-6-76
9.	श्री सदानन्द स्वामी	कर्नाटक	गोहाटी	24-6-76
10.	श्री एस० आई० रंगराजन	दिल्ली	गोहाटी	22-6-76
11.	श्री सी० एम० लोढ़ा	राजस्थान	मध्य प्रदेश	28-6-76
12.	श्री ए० पी० सेन	मध्य प्रदेश	राजस्थान	29-6-76
13.	श्री टी० यू० मेहता	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	7-7-76
14.	श्री डी० बी० लाल	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक	5-7-76
15.	श्री ए० डी० कौशल	पंजाब और हरियाणा	मद्रास	5-7-76
16.	श्री एम० बहाउद्दीन फारुकी	जम्मू-कश्मीर	इलाहाबाद	20-9-76
17.	श्री पी० गोविन्दन नायर (मुख्य न्यायाधिपति)	केरल	मद्रास	3-1-77
18.	श्री राजेन्द्र सच्चर	सिक्किम	राजस्थान	10-5-76
19.	श्री एस० एन० शंकर	दिल्ली	उड़ीसा	1-11-75
20.	श्री एम० आर० ए० अंसारी	दिल्ली	जम्मू-कश्मीर	29-1-76
21.	श्री मनमोहन सिंह गुजराल	पंजाब और हरियाणा	सिक्किम	7-5-76

पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन और हसनाबाद से सियालदह स्टेशन तक रेलवे का विकास

*17. **श्री अल्हज एम० ए० हन्नन :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण के पूरा होने के पश्चात् पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन, हसनाबाद से सियालदह स्टेशन तक के लिये प्रस्तावित रेलवे का कितना विकास हुआ ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में निम्नलिखित रेलवे लाइनें बनाने के लिये यातायात सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है :—

रेलवे लाइन का नाम	लम्बाई (किलोमीटर में)	लागत (करोड़ रुपयों में)
1	2	3
(1) कैनिंग-गोलाबारी	20 बिजली कर्षण	2.95
(2) लक्ष्मीकान्तपुर-काकद्वीप	30 बिजली कर्षण	3.77
(3) हसनाबाद-हटगाछा (प्रतापादित्यनगर)	29 भाप कर्षण	5.10
(4) कैनिंग-हटगाछा (प्रतापादित्यनगर)	30 भाप कर्षण	4.13
(5) सोनारपुर-झूमखली	50 भाप कर्षण	2.73
(6) बजबज से नामखाना	82 भाप कर्षण	6.45
	बिजली कर्षण	10.30

सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप यह पता चला है कि पर्याप्त यातायात के अभाव में, ऊपर मद 1-5 में उल्लिखित प्रस्तावित नयी लाइनें अर्थक्षम नहीं होंगी । 159 कि० मी० लम्बी इन नयी लाइनों की अनुमानित पूंजीगत लागत 18.68 करोड़ रुपये होगी। जिस में चल-स्टाक की लागत शामिल नहीं है। सर्वेक्षण रिपोर्टों से पता चला है कि ये नयी लाइनें अलाभप्रद होंगी । इन लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय योजना आयोग के साथ परामर्श करके किया जायेगा, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होगा।

एरणाकुलम-एल्लेप्पी तटवर्ती रेलवे के लिए सर्वेक्षण

18. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एरणाकुलम-एल्लेप्पी तटवर्ती रेलवे के लिये सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का उसका निर्माण कब तक आरम्भ करने का विचार है ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) जी, हां ।

(ख) इस परियोजना को प्रारम्भ किये जाने के प्रश्न पर योजना आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ? पांचवीं पंचवर्षीय योजना की समीक्षा करते समय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के बारे में निर्णय लिया जायेगा।

Harijans and Adivasis employed in Northeast Frontier Railway

*19. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a large number of railway employees are working in the N. F. Railway and if so, their total strength;

(b) whether the number of Harijans and Adivasis employed in this Railway is less than the number of posts reserved for them; and

(c) if so, when the entire quota reserved for the Harijans and Adivasis is likely to be completed?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) & (b). A statement is placed on the table of the House.

(c) Efforts are being made to wipe out the shortfall at the earliest possible opportunity.

STATEMENT

(a) The total strength of employees on the Northeast Frontier Railways as on 31-3-77 was as follows :

Class I	.. 126
Class II	.. 364
Class III	.. 33660
Class IV (excl. Safaiwalas)	.. 50299
Class IV (Safaiwalas)	.. 5727

(b) Harijans are included in the Scheduled Castes and Adivasis in the Scheduled Tribes. Out of the strength shown against para (a) above, the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was as under :

	Scheduled Castes	*Scheduled Tribes*
Class I	3	6
Class II	23	6
Class III	2910	1016
Class IV (excl. Safaiwalas)	6548	2931
Class IV (Safaiwalas)	4373	13

There was shortfall in direct recruitment quota as under :

	Scheduled Castes	*Scheduled Tribes*	*Total*
Class III	72	92	164
Class IV	93	139	232

The shortfall in Class III has been mostly in technical categories due to non-availability of suitable candidates. In Class IV, shortfall is in the category of Gangman as the Scheduled Tribe candidates are unwilling to serve away from their homes and in case of the Scheduled Castes it is due to want of vacancies.

पैट्रोल ग्रौर डीज़ल के मूल्यों में वृद्धि

*20. **श्री पी० कन्नन :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल, डीजल तथा स्नेहक तेल के मूल्यों में हाल में ग्रौर वृद्धि हुई है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है?

पैट्रोलियम तथा रसायन ग्रौर उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा): (क) और (ख): हाल ही में पैट्रोल, डीज़ल तथा ग्रन्य स्नेहक तेलों के शोधनशाला से बाहर ग्रथवा ग्रधिकतम विक्रय मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

उर्वरक कारखानों का उत्पादन और देश में उर्वरक की आवश्यकता

1. **श्री शिब्बनलाल सक्सेना :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में सरकारी तथा गैर-सरकारी विभिन्न उर्वरक कारखानों की संख्या कितनी है तथा उनमें से प्रत्येक ने गत तीन वर्षों में कितना वार्षिक उत्पादन किया;

(ख) निर्माणाधीन नये उर्वरक कारखानों के नाम क्या हैं तथा वे कहा कहां बन रहे हैं और उनकी प्रस्तावित क्षमता कितनी है तथा उनमें किस तिथि तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा; और

(ग) देश में इस समय कुल कितने उर्वरक की आवश्यकता है तथा इसकी कितनी आवश्यकता देश से पूरी हो जाती है तथा कितनी विदेशों से, देशवार, आयात करके पूरी होती है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) एक विवरण-पत्र अनुबन्ध-1 के रूप में संलग्न है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—49/77]**

(ख) एक विवरण पत्र अनुबन्ध-2 पर संलग्न है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-49/77]**

(ग) वर्ष 1977-78 के लिये उर्वरकों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं का नाइट्रोजन के रूप में 31.30 लाख मी० टन फास्फेट के रूप में 8.71 लाख मी० टन और पोटाश के रूप में 4.10 लाख मी० टन का अनुमान है । चूंकि नाइट्रोजन और फास्फेट के देशी उत्पादन के कृषि संबंधी आवश्यकताओं से कम होने की संभावना है । इसलिये यह कमी विभिन्न स्रोतों से आयात द्वारा पूरी करनी पड़ेगी । पोटाश का देश में उत्पादन नहीं होता है इसलिये यह सारा आयातित है । 1977-78 के लिये आयात के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं है ।

मद्रास-तिरुवेल्लूर लाइन के विद्युतीकरण के लिए धन की व्यवस्था

2. **श्री ओ० वी० अलगेसन :** क्या **रेल** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में मद्रास-तिरुवेल्लूर लाइन के विद्युतीकरण के लिये वर्ष 1976-77 के बजट में रखी गई धनराशि बढ़ाई गई है ; यदि हां, तो बढ़ी हुई धनराशि कितनी है;

(ख) उपरोक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाने की सभावना है; और

(ग) क्या परियोजना का अराकोनम तक विस्तार करने का काम आरम्भ किया गया है ?

रेल मन्त्री (प्रो० मधु दंडवते) : (क) वर्ष 1976-77 के दौरान इस परियोजना के लिये 42 लाख रुपए की एक अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी है, जिससे संशोधित व्यवस्था 42.18 लाख रुपये हो गयी है।

(ख) 1980 तक।

(ग) जी नहीं।

Pay Scales of R.P.F. Personnel

?3. SHRI RAMANAND TIWARY : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the pay-scales of R.P.F. Constables, Head Constables, Assistant Sub-Inspectors and Sub-Inspectors;

(b) whether they are detained for duty for 12 to 13 hours;

(c) the period of casual and other leave allowed to them;

(d) whether railway passes are issued to them as well as for the members of their families during the period of leave; and

(e) whether uniforms are provided to them by Government and if so, the number of summer and winter uniforms given to them and the period for which these are given ?

MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) The scales of pay are as under :—

Rakshak—Rs. 200-240.
Head Rakshak—Rs. 225-308.
Assistant Sub-Inspector—Rs. 260-400.
Sub-Inspector—Rs. 330-560.

The Rakshaks, Head Rakshaks, Assistant Sub-Inspectors and Sub-Inspectors are also entitled to a special allowance of Rs. 10/-, Rs. 15/-, Rs. 20/- and Rs. 25/- respectively.

(b) The normal tenure of duty for Rakshaks, Senior Rakshaks & Head Rakshaks is 8 hours. In exceptional circumstances, in order to meet emergent demands their duty hours are sometimes extended. Assistant Sub-Inspectors & Sub-Inspectors, being Supervisory staff, have no fixed duty hours.

(c) The members of the RPF are granted casual and other leave as applicable to other employees of the Railways. The casual leave to a member of the Force is restricted to 12 days in a calendar year. For those who do not enjoy Gazetted Holiday at all or in full, they are granted 15 days special casual leave. For those who are working on Northeast Frontier Railway, 5 days extra casual leave is admissible. As regards leave on average pay, members of the Force are entitled leave to the extent of 1/11th of the period spent on duty.

(d) Yes.

(e) Yes, A statement giving the required information is attached. [*Placed in Library, See No. LT*-50/77].

गोंदिया से बम्बई वी० टी० के बीच तीव्र गति की रेलगाड़ी

4. श्री गेव मनचर्श अवारी : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोंदिया से बम्बई वी० टी० के बीच तेज रेलगाड़ी चलाने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) क्या सरकार को उक्त रेल मार्ग पर तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस की तरह "विदर्भ" "एक्सप्रेस" चलाये जाने की मांग की जानकारी है ?

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

रुपसा-तालवन्द लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

5. श्री एस० कुण्डु : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा में रुपसा-तलवन्द मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदले जाने के प्रस्ताव की क्या स्थिति है ?

रेलमन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : अलाभकारी शाखा लाइन समिति की सिफारिशों के आधार पर रुपसा-तालवन्द छोटी लाइन खन्ड को बड़ी लाइन में बदलने के संबंध में 1971 में एक यातायात सर्वेक्षण किया गया था । 89 कि० मी० लम्बी रूपसा-बांजरी पोसी लाइन के आमान-परिवर्तन पर 3.79 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। किसी भी परियोजना को लाभकारी बनाने के लिये 10 प्रतिशत प्रतिफल अपेक्षित है जबकि इस परियोजना से 2.53 प्रतिशत की डिसकाउन्टेड कैश फ्लो, (डी० सी० एफ०) दर से प्रतिफल की प्राप्ति होगी ? फिर भी, इस क्षेत्र में नवीनतम विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए इस लाइन की यातायात सम्भाव्यता का नये सिरे से मूल्यांकन किया जा रहा है ।

पश्चिम बंगाल में बकुलतला और बोदरा में छिद्रण कार्य

6. श्री सोगत राय : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दक्षिण में बकुलतला और बोदरा में गवेषणात्मक छिद्रण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : बकुलतला तथा बोदरा नामक दोनों कुओं में, जिनकी क्रमशः 3700 मीटर और 4200 मीटर की गहराई तक खुदाई की गई थी, वाणिज्यिक महत्व का तेल/गैस नहीं मिला। अतः कुओं के खुदाई कार्य को बन्द कर दिया गया था ।

कीटनाशी औषधियों की कीमतें

7. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कीटानाशी औषधियों की कीमतें छोटे किसानों की क्रय-क्षमता से बहुत ज्यादा है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार उनकी कीमतें कम करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : इस समय कीटनाशी के मूल्यों पर सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है। तथापि, औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को देश में निर्मित कीटनाशी के प्रमुख मदों के मूल्यों को कम करने की संभावनाओं पर और लागत ढांचे का अध्ययन करने के लिये अनुरोध किया गया है । ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपेक्षित उचित कार्यवाही की जायेगी।

कटवा-कलकत्ता रेल लाइन का विद्युतीकरण

8. **श्री धीरेन्द्र नाथ बसु :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कटवा से कलकत्ता तक रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 1977-78 के दौरान आरम्भ किया जायेगा ?

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : कलकत्ता/हावड़ा से वंडेल तक की रेल लाइन का पहले ही बिजलीकरण किया जा चुका है । वंडेल और कटवा के बीच के बाकी खंड के बिजलीकरण का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

Production of Chemical Fertilizers

9. SHRI HUKMDEV NARAIN YADAV : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the names of factories in the country which produce chemicals fertilizers and the total cost of production of various kinds of chemical fertilizers and the rate at which it is supplied in each state in the country; and

(b) the chemical fertilizers imported from foreign countries indicating the rate at which it is imported and the rate at which it is supplied in the country ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) A statement showing the names of factories producing chemical fertilizers is attached at Annexure I. [Placed in Library. *See* No. L.T. 51/77.]

A wide range of straight nitrogenous fertilizers and straight phosphatics and complex fertilizers are produced in the country. The total cost of production of the various kinds of fertilizers manufactured in the country is presently under investigation by a Committee set up under the Chairmanship of Dr. S. S. Marathe, Chairman, Bureau of Industrial Costs and Prices.

The retail prices of the three main nitrogenous fertilizers viz. Urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate are statutorily controlled. Their present prices are :—

Urea	1650
Ammonium Sulphate	935
Calcium Ammonium Nitrate	1015
	Rs. per tonne

These prices are uniform all over the country. The prices of phosphatic fertilizers, both straight and complex are not statutorily controlled. However, in terms of the price support scheme in vogue from March, 1976, Government have been fixing the maximum selling prices of the complex fertilizers. A statement indicating the maximum selling prices in force now is attached as Annexure-II. [Placed in Library. *See* No. L.T. 51/77.] The maximum selling prices of single superphosphate manufactured by the different producers is fixed by the Fertilizer Association of India in terms of a formula which has the approval of Government.

(b) In the best commercial interest of the country, it is not considered desirable to disclose the rate at which chemical fertilizers are imported from different sources. The prices of the nitrogenous fertilizers namely urea, Ammonium Sulphate and Calcium Ammonium Nitrate imported are the statutorily fixed prices indicated in reply to part (a). The prices of other straight and complex fertilizers imported are fixed by the Ministry of Agriculture from time to time. The prices in force are shown in the statement attached as Annexure-III. [Placed in Library. *See* No. L.T.-51/77.]

New Railway Lines in Rajasthan

†10. SHRI MEETHA LAL : Will the Minister of RAILWAY be pleased to state :

(a) the number of new railway lines proposed to be laid in Rajasthan during the Fifth Five Year Plan;

(b) whether new railway lines are not being laid in the State in spite of the fact that survey in respect of several new railway lines has been conducted and if so, the reasons therefor and the names of railway lines in respect of which survey has been conducted and whether the survey report alongwith the total cost involved thereon would be laid on the Table of the House; and

(c) whether the lines so surveyed do not include Dholpur-Gangapur city line via Karauli and if so, the reasons therefor and whether survey of this line is proposed to be conducted in future; if not, the reasons therefor and if so, by what time ?

THE MINISTER OF RAILWAY (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Construction of Dabla-Singhana line falling in Rajasthan has already been completed during the 5th Plan No other new line is at present under construction or has been approved for construction in Rajasthan. As the proposals for taking up new railway lines in the entire Fifth Five Year Plan have not yet been finalised, it is difficult to indicate if any new line will be taken up for construction in Rajasthan in the remaining period of the Fifth Five Year Plan.

(b) Surveys have recently been completed/or in progress for the following new lines in Rajasthan :

Name of the line	Length (in kms)	Estimated cost (Rs. in crores)	Present position
1. Ratlam-Banswara broad gauge new line	(i) Route I-78·76	24·55	Surveys have been completed and survey reports and estimates are under examination.
	(ii) Route II-95·13	34·26	
2. Nathdwara-Falna new metre gauge line.	190	Not available	Engineering-cum-Traffic surveys are in progress.

A final decision regarding taking up of the above noted lines will be taken after completion of the scrutiny of the reports of the surveys from all angles and depending upon the availability of funds.

Survey reports of new line projects are of a technical nature and are meant exclusively for Departmental use. These reports are generally not laid on the Table of the Sabha.

(c) No survey for this line has been carried out. Owing to the existing difficult financial position it may be difficult for the Railways to take up survey and construction of this line in the near future.

Railway Line from Satna to Beohari via Rewa

†11. SHRI DALPAT SINGH PARASTE : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Madhya Pradesh Government had sent a proposal in 1972-73 and even earlier for the construction of new railway line from Satna railway station in Central Railway to Beohari via Rewa so that this new railway line may connect Beohari through Singrauli-Katni route; and

(b) keeping in view the importance of Rewa city and the development of the most backward region, whether Government propose to undertake construction of the aforesaid railway line in the Fifth Five Year Plan ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes.

(b) A traffic survey for a branch line from Satna to Beohari carried out during 1973 revealed that the project will not attract sufficient traffic and will not be financially viable and the project was then shelved. Recently a re-appraisal has been made for the short length from Satna to Rewa on the basis of the survey carried out during 1973. Final decision in the matter will be taken after the report is examined from all angles, taking into account the availability of resources.

अमरावती को नागपुर-बम्बई ट्रंक-लाइन पर लाने के लिए सर्वेक्षण—प्रतिवेदन

12. **श्री वसन्त साठे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमरावती को नागपुर-बम्बई ट्रंक लाइन पर लाने संबंधी प्रस्ताव अब किस स्थिति में है ;

(ख) क्या उक्त प्रस्ताव पर सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ग) इसमें शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जानी है।

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) से (ग) : अमरावती को नागपुर-बम्बई मुख्य लाइन से जोड़ने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण 1977-78 के बजट में शामिल कर लिया गया है, सर्वेक्षण पूरा हो जाने और उसकी रिपोर्ट मिल जाने तथा उसकी सभी दृष्टियों से परीक्षा कर लिये जाने के बाद इस परियोजना पर आगे विचार किया जायेगा।

Review of Price Policy of Petroleum Products

13. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of PETROLEUM be placed to state :

whether it is proposed to review the price policy of petroleum products ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : Government implemented with effect from 14th July, 1975, a new pricing arrangement based on the recommendations of the Oil Prices Committee in its Interim Report. The Committee has submitted its final report, which is under examination.

Reservation of Ancillary Industries for Unemployed Engineers

14. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state :

Whether ancillary petroleum industries are proposed to be reserved for unemployed engineers only ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI H N. BAHUGUNA) : There are no such industries. The question of reserving them for unemployed engineers only therefore does not arise.

Proposal to Set up a Refinery in M.P.

15. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state whether there is any likelihood of setting up a refinery in Madhya Pradesh ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS & FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : There is no proposal at present under consideration of Government to set up a refinery in Madhya Pradesh.

मिरज और सांगली के बीच पुरानी रेल लाइन को पुनः चालू करना

16. **श्री अन्नासाहेब गोटखिण्डे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में मिराज तथा पुराने रेलवे स्टेशन सांगली के बीच पुरानी रेल लाइन को जो कि छोटी लाइनों को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के कार्य-क्रम के अन्तर्गत तोड़ दी गई थी, पुनः चालू करने की काफी दिनों से मांग की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी हां।

(ख) पुणे-मिरज मीटर आमान की लाइन को बड़े आमान में बदलते समय एक नया संरेखण अपनाया गया था, ताकि मुख्य सांगली टाउन को मुख्य लाइन पर लाया जा सके। इस अभिप्राय से, बड़ी लाइन का एक नया स्टेशन बनाया गया है। बड़ी लाइन के स्टेशन के लिये नया स्थान निर्धारित करना इस लिये भी अपरिहार्य हो गया था क्योंकि मीटर आमान की वर्तमान लाइन और सांगली स्टेशन पर तथा इनके आस-पास के क्षेत्र में काफी इमारतें बनी हुई थीं। मिरज और सांगली के बीच लाइन के पुनर्संरेखण और सांगली स्टेशन के नये स्थान निर्धारण से संबंधित विनिश्चय को महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। अतः अब इस मांग को मान लेना संभव नहीं है।

मीरज-लाटूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

17. **श्री अन्नसाहेब गोटखिण्डे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दक्षिण—मध्य रेलवे में मीरज-लाटूर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के कार्य के बारे में नवीतम स्थिति क्या है?

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : मीरज-कुरडुवाडी-लाटूर छोटी लाइन खंडों को बड़ी लाइन में बदलने, और लाटूर से लाटूर रोड़ तक एक नयी बड़ी लाइन बनाने के लिये प्रारम्भिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण किये गये हैं। सवेक्षण रिपोर्टों की जांच की गयी है और यह पाया गया है कि यह परियोजना बहुत लाभप्रद है। संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए फिलहाल इस कार्य को हाथ में नहीं लिया जा सकता।

अरकोणम (दक्षिण रेलवे) स्थित वर्कशाप में सुधार

18. **श्री ओ० वी० अलगेसन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे में अरकोणम स्थित वर्कशाप में सुधार लाने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे के हड़ताली कर्मचारियों को बोनस की अदायगी

19. **श्री वसन्त साठे**
श्री के० रामामूर्ति } : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कर्मचारियों को बोनस की अदायगी करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का क्या वर्ष 1977-78 के दौरान इस प्रश्न पर विचार करने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) जहां तक बोनस की बात है, मैंने 29-3-77 को इस सदन में बताया था कि पिछली सरकार ने इस मामले को जटिल बना दिया है । चूंकि उस सरकार ने देश में एक नयी बोनस नीति लागू कर रखी है, अतः कोई निश्चित कदम उठाने से पहले हमें इस समूचे प्रश्न पर गहराई से पुनर्विचार करना होगा ।

पश्चिम बंगाल में लोक सभा के निर्वाचन में हेरा-फेरी

20. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्सवादी) वामपंथी मोर्चा, जनता पार्टी तथा कांग्रेस फार डेमोक्रेसी ने आरोप लगाया है कि पश्चिमी बंगाल में कांग्रेस दल ने विगत् लोक सभा के मतदान में कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं, और उन पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) निर्वाचन आयोग को तारीख 18-3-77 सर्वश्री प्रफुल्ल चन्द्र सेन, ज्योति बसु, बिजय सिंह नाहर, माखन पाल और अशोक घोष से एक तार प्राप्त हुआ था, जिसमें लोक सभा के हाल ही के साधारण निर्वाचनों के दौरान पश्चिमी बंगाल के अनेक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी का आरोप लगाया गया था और फिर से निर्वाचन कराए जाने की मांग की गई थी ।

(ख) निर्वाचन आयोग को पश्चिमी बंगाल के 8 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों से ये रिपोर्टें मिली थीं कि 30 मतदान केन्द्रों में मतदान हिंसा के कारण दूषित हो गया है और इसलिये निर्वाचन आयोग ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2) (क) के उपबन्ध के अनुसार, उन मतदान केन्द्रों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया और यह निदेश दिया कि पांच मतदान केन्द्रों पर 19 मार्च, 1977 को तथा शेष मतदान केन्द्रों पर 20 मार्च, 1977 को फिर से मतदान कराया जाए ।

बैरकपुर, कटवा, दमदम और अन्य निर्वाचन-क्षेत्रों में हेरा-फेरी

21. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान पश्चिमी बंगाल के प्रमुख समाचारपत्रों में विगत लोक सभा मतदान में बैरकपुर, कटवा, दमदम तथा अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में पश्चिमी बंगाल के सत्तारूढ़ दल द्वारा की गई हेरा-फेरी के संबंध में प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी हां ।

(ख) निर्वाचन आयोग को पश्चिमी बंगाल के 8 संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों के रिटर्निंग आफिसरों से ये रिपोर्टें मिली थीं कि 30 मतदान केन्द्रों में मतदान हिंसा के कारण दूषित हो गया है और इसलिये निर्वाचन आयोग ने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 58(2)(क) के उपबंध के अनुसार, उन मतदान केन्द्रों पर हुए मतदान को शून्य घोषित कर दिया और यह निदेश दिया कि पांच मतदान केन्द्रों पर 19 मार्च, 1977 को तथा शेष मतदान केन्द्रों पर 20 मार्च, 1977 को फिर से मतदान कराया जाए।

तिरुनेलवेल्ली-कन्याकुमारी ब्राड गेज लाइन के लिए धनराशि का प्रावधान

22. श्री एम० कल्याणसुन्दरम : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1976-77 के लिये तिरुनेलवेल्ली कन्याकुमारी बड़ी रेल-लाइन के निर्माण के लिये धनराशि का प्रावधान करने के लिये महाप्रबन्धक (निर्माण) बंगलौर से प्राप्त हुए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) कितनी धनराशि मंजूर की गई है ।

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) गत वर्षों में दिये गये बचनों को पूरा करने के लिये, दक्षिण रेलवे ने 1976-77 में इस परियोजना के लिये कम से कम 3 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव किया था ।

(ख) 1976-77 में 3.35 करोड़ रुपये की रकम अन्तिम रुप से आवंटित की गयी है ।

आपात स्थिति की अवधि में कर्मचारियों का दमन

23. श्री समर गुह : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनको सरकार आन्तरिक आपात स्थिति की अवधि में (i) सेवा से बर्खास्त कर दिया (ii) समयपूर्व सेवा-निवृत्त कर दिया और (iii) दंड दिया ।

(ख) तत्संबंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं, और

(ग) क्या इस प्रकार के दमन के शिकार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिये कोई उपयुक्त निकाय बनाने का सरकार का विचार है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) रसायन और उर्वरक मंत्रालय के विषय में 'शून्य'।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

आपातकालीन स्थिति के दौरान बर्खास्त किए गए, सेवा निवृत्त किए गए और सजा पाने वाले कर्मचारियों की संख्या

24. **श्री समर गुहः** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आन्तरिक आपातकालीन स्थिति के दौरान उनके मंत्रालय के (एक) बर्खास्त किये गये (दो) सेवा-निवृत्ति के समय से पूर्व निवृत्त किये गये और (तीन) दण्डित किये गये कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

(ख) इन आंकड़ों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार इन पीड़ित कर्मचारियों के मामलों पर पुनर्विचार करने के लिये कोई उपयुक्त समिति का गठन करेगी ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) (i) शून्य (ii) 3 (iii) शून्य।

(ख) दिल्ली को छोड़कर किसी अन्य स्थान पर इस मंत्रालय का कोई शाखा कार्यालय नहीं है। अतः सूचना शून्य है।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में सम्बन्धित अधिकारीगण, 50/55 वर्ष की आयु के पश्चात सेवा में बने रहने संबंधी औपचारिक नियमों की समीक्षा के अन्तर्गत सेवा-निवृत्त हुए हैं। अतः उनके मामलों को पुनः जांच करने का प्रश्न नहीं उठता।

आपात स्थिति के दौरान बनाई गई विधियों पर कानूनी राय आमंत्रित करने का प्रस्ताव

25. **श्री समर गुह :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आपात स्थिति के दौरान संसद् द्वारा बनाई गई विधियों के गुण-दोष के बारे में उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय बार एसोशियेशन की कानूनी राय आमंत्रित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस दिशा में संभवतः क्या कदम उठायेगी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे कर्मचारियों के कार्मिक संघों की मांगों पर पुनर्विचार

26. श्री सी० के० चन्द्रप्पन
श्री आर० के० हालगी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1974 में अखिल भारतीय हड़ताल के दौरान रेलवे कर्मचारियों के कार्मिक संघों द्वारा की गई मांगों पर पुनर्विचार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मन्त्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) और (ख) सरकार की नीति है कि मान्यताप्राप्त फेडरेशनों द्वारा प्रस्तुत सभी वाजिब मांगों पर विचार किया जाय और उपलब्ध संसाधनों के परि-प्रेक्ष्य में उनकी गहराई से जांच की जाय ।

केरल तट में तेल की खोज

27. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल तट में तेल की खोज करने के लिये केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) केरल सरकार का अनुरोध है कि केरल अप तट क्षेत्र में खोज की जाये ताकि वहां तेल की संभावनाओं का पता लगाया जा सके ।

(ग) केरल अप तट के महाद्वीपीय मग्नतट में अब तक किये गये सर्वेक्षणों से मग्नतट के गहरे भागों को छोड़कर और कहीं भी अच्छे तलहटी भंडारों का पता नहीं चला है । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की इस क्षेत्र में और अधिक भूकम्पीय सर्वेक्षण करने की योजनाएं हैं ।

Construction of Railway Line from Satna to Mirzapur/Singrauli via Rewa

†28. SHRI YAMUNA PRASAD SHASTRI : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether the survey work in regard to the construction of a railway line from Satna to Mirzapur or Singrauli via Rewa has been completed; and

(b) if so, when is the construction work on this line likely to be taken up ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) & (b) A traffic survey for a branch line from Satna to Beohari (a station on Katni-Singrauli line) via Rewa which would have linked Beohari and Rewa with Singrauli and Mirzapur was carried out in 1973. According to that survey report, the line will not attract sufficient traffic to justify its construction and would be unremunerative. It was, therefore, decided to shelve the project. However, a re-appraisal has been carried out recently for construc-

tion of a short line from Satna to Rewa on the basis of the data available in the 1973 report. A decision on this proposal will be taken after detailed examiantion of the report and taking into account the availability of resources.

कावेरी नदी में तेल के लिए छिद्रण

29. **श्री के० गोपाल :** क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कावेरी बेसिन में तेल के लिये छिद्रण किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त हुए परिणाम क्या हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) इस समय कोई व्यधन कार्य नहीं किया जा रहा है । पहले खोदे गये तटीय कुंओं में से किसी में भी तेल अथवा गैस के वाणिज्यिक मात्रा में पाये जाने के संकेत नहीं मिले हैं। कावेरी बेसिन क्षेत्र में व्यधन कार्य शीघ्र ही आरम्भ करने की संभावना है।

New Railway Lines in Madhya Pradesh

†30. SHRI LAXMINARAIN NAYAK, SHRI CHHABI RAM ARGAL. : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the list of proposals received by Government from Madhya Pradesh for laying new railway lines; and

(b) the action being taken thereon ?

THE MINISTER OF RALWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) & (b) A statement is attached. [Placed in Library. *See* No. L.T. 52/77.]

Chemical Test of Imported Fertilizers

31. SHRI NAWAB SINGH CHAUHAN : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) whether Government makes a chemical test of the imported fertilizers; and

(b) if so, the number of cases in which imported fertilizers were found to be below the prescribed standard during the last two years and the action taken against the defaulting firms ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) Yes, Sir. Inspection at the loading ports is invariably done in respect of all shipments of imported fertilizers. During the inspection, samples are drawn. and they are analysed. The analysis reports are furnished to the Ministry of Agriculture and Irrigation.

(b) Out of about 334 shipments received during the last two years, material in respect of 15 shipments belonging to six suppliers were not found according to specifications laid down in the contracts. Penalties from four suppliers involving 12 shipments amounting to US $ 3,73,750 has been recovered. Two cases in respect of remaining three shipments are still to be finalised.

संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम को समाप्त करना

32. **श्री बशीर अहमद, श्री हुकम देव नारायण यादव** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का संविधान (42वां संशोधन) अधिनियम को निष्प्रभावी बनाने अथवा उसे

समाप्त करने और संविधान के अन्तर्गत नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार उन्हें फिर से देने तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार प्रतिबद्ध न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रश्न पर पुर्नविचार करने के लिए समिति नियुक्त करने का है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) भारत के संविधान में उपयुक्त संशोधन करने के लिए सरकार एक व्यापक विधेयक संसद् के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

(ख) जी नहीं।

Protection of Narainpur Station and Railway Line from Erosion by Ganga River

†33. SHRI GYANESHWAR PRASAD YADAV : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) Whether Government have approved any scheme to protect Narainpur Railway Station and Railway line on North Eastern Railway from erosion by Ganga rivers; and

(b) If so, the salient features thereof ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) During the last year's floods, the left bank of Ganga River near Narainpur R.S. (N. E. Railway) has been badly eroded and the river edge approached the Railway line to within about 287 metres. As this posed a serious threat to the safety of Railway track, Bihar State Government was approached to provide adequate protection measures to prevent further erosion and thus save the railway line from further on-slaught of the river. The State Government have drawn up a scheme for the purpose costing approximately Rs. 36.5 million and submitted the same to Ganga Flood Control Commission for technical clearance which is awaited. Ministry of Railways have already conveyed their willingness to share the cost of the protection works equally with other three affected parties, *viz*. Bihar State Government Ministry of Transport (National Highway) and I.O.C. (Oil Pipe Line). The scheme is yet to be sanctioned by the State Government. In view of the seriousness of the situation, the State Government has been requested to commence the work immediately and complete it before the next monsoons.

(b) The preliminary scheme drawn up by the State Government envisages the provision of a 13,200 ft. long revetment with launching apron (60-80 ft. wide) along the river bank and 13 nos. of tagging bunds. The scheme is, however, to be finalised in consultation with Ganga Flood Control Commission.

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानान्तरण

34. **श्री पारूलेकर बापूसाहिब** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालय के उन न्यायाधीशों के स्थानान्तरण के प्रश्न पर पुनः विचार करने का है जिनका स्थानान्तरण आन्तरिक आपातकालीन अवधि के दौरान कर दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) इस विषय पर फिर से विचार किया जा रहा है और सरकार शीघ्र ही कोई निर्णय लेगी।

Functioning of fertilizer factories and their production

35. SHRI NARAYAN KRISHNA SHEJWALKAR : Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state :

(a) the number of fertilizer factories functioning in India at present, the names of their owners, production capacity and their annual production during the last three years;

(b) whether their production is adequate to meet the present demand and requirement in the country; and

(c) if not, the plans to meet the deficit ?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA) : (a) A statement is laid on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L.T.-53/77.]

(b) and (c).The indigenous production being inadequate to meet the fertilizer demand in the country, imports would be arranged to make good the gap.

दूषण के कारण नारियल की खेती को क्षति

36. **डा० हेनरी ग्रास्टिन : क्या रसायन ग्रौर उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के एरणकुलम जिले के उद्योग मंडल में उर्वरक ग्रौर रसायन लिमिटेड से छोड़े जाने वाले विषाक्त धुएं के कारण सामान्यतया वाइपीन द्वीप-समूह ग्रौर विशेषतया कदमकुडी पंचायत में नारियल की खेती को काफी क्षति होती है ग्रौर पेरियार नदी में बे-रोक-टोक विषाक्त उच्छिष्ट पदार्थों के छोडे जाने के कारण समुद्री तथा प्रतीप जल सम्पदा में खराबी ग्राती है, ग्रौर

(ख) यदि, हां तो सरकार ने ऐसी गंभीर परिस्थिति अन्य समस्याग्रों से निपटने के लिए क्या उपाय किए हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) ग्रौर (ख) उपलब्ध सूचना के ग्रनुसार सामान्यतया वाइपीन द्वीपसमूह ग्रौर विशेषतया कदमकुडी पंचायत से फैक्ट के उद्योग मंडल एकक से निकालने वाले विषाक्त धुएं के परिणाम स्वरूप नारियल की खेती को होने वाली क्षति के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पेरियर नदी में विषाक्त निस्राव के कारण समुद्री तथा प्रतीप जल सम्पदा में खराबी ग्राने के बारे में किसी स्थानीय निकाय ग्रथवा संस्थान से कोई ग्रभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुग्रा है। विगत समय में निस्राव के कारण समुद्री जीवों की क्षति के बारे में कुछ व्यक्तिगत ग्रभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। उद्योग मंडल क्षेत्र में रसायन कारखानों से जलवायु प्रदूषण के बारे में केरल विधान सभा की प्राक्कलन समिति के सामने स्थानीय पंचायत द्वारा कुछ मौखिक ग्रभ्यावेदन दिये गये थे।

कम्पनी इस समय निवारण ग्रौर जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए केरल राज्य बोर्ड की ग्रनुमति से प्रदूषण को निष्प्रभावी करने के बाद नदी में बहा रही है। कम्पनी ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए स्थायी तौर पर एक दीर्घावधि योजना भी तैयार की है। यह योजना, जिसकी लागत के लिए 125 लाख रुपए की परिकल्पना की गई है, निवारण ग्रौर जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए केरल राज्य बोर्ड के विचाराधीन है।

Proposal to set up new station at Kehunia on Northeast Frontier Railway

†37. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether a new station is proposed to be set up at Kehunia on the Katihar—Maldah Section on Northeast frontier Railway; and

(b) if so, the time by which this new station is likely to be set up?

MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Yes.

(b) This station is expected to be opened by the end of this year.

Broad Gauge Line from Barauni to Katihar

†38. SHRI YUVRAJ : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Delhi is not directly linked with Gauhati, Assam, Nagaland etc. in the absence of a broad gauge line from Barauni to Katihar;

(b) whether the passengers of the Delhi-Assam Mail have to change from broad gauge trains to metre gauge trains and vice versa at Barauni during their journeys; and

(c) if so, the time by which a broad gauge line will be laid from Barauni to Katihar to link directly the entire North-East India via Katihar?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) A broad gauge link already exists between Delhi and New Bongaigaon in the North Eastern Region via Farakka. The distance will get reduced if Barauni-Katihar line is converted to broad gauge.

(b) Yes.

(c) Preliminary Engineering-cum-Traffic Surveys have been carried out for the conversion of Barauni-Katihar section from Metre gauge to Broad gauge. The question of taking up work on this conversion scheme will be considered after the gauge conversion of Barabanki-Samastipur and Bongaigaon-Gauhati sections, which are sanctioned schemes, makes sufficient progress.

सेलम और त्रिची के बीच रेल लाइन

39. **श्री पी० कन्नन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम और त्रिची को रेल लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब आरंभ होगा?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते): (क) और (ख) ईरोड और करुर के रास्ते इन स्थानों के बीच पहले से ही रेल संपर्क है। लेकिन, नया रेल सम्पर्क की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विदर्भ क्षेत्र में मीटर गेज लाइन को बड़ी लाइन में बदला जाना

40. **श्री गेव मनचर्शा आवरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान या उसके बाद की योजना में महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में मीटर गेज लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदले जाने का क्या कार्यक्रम है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : संभवतः माननीय सदस्य का आशय खण्डवा-पूर्णा मीटर आमान वाली रेलवे लाइन के संदर्भ में है। विदर्भ क्षेत्र से गुजरने वाली खण्डवा से हिंगोली तक के इस लाइन के एक भाग का निर्माण 1961 में पूरा हो गया था। इस समय इस लाइन के आमान परिवर्तन का कोई कार्यक्रम नहीं है।

विदर्भ क्षेत्र में मीटर गेज लाइन पर तेज गति वाली रेलगाड़ियां चलाने का प्रस्ताव

41. **श्री गेव मनचर्शा आवरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र में मीटर गेज लाइन पर तेज गति वाली गाड़ियां चलाने के किन्हीं प्रस्तावों पर विचार कर रही है?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : जी हां।

पश्चिम बंगाल में दोहरी रेल लाइनों तथा हाल्ट स्टेशनों के लिये प्रस्ताव

42. **श्री सौगत राय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में दोहरी रेल लाइनों तथा हाल्ट स्टेशनों के कितने प्रस्ताव गत एक वर्ष से सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) किन-किन को स्वीकृति दे दी गई है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) (i) 2

(ii) 16

(ख) उपर्युक्त में से पूर्व रेलवे पर निम्नलिखित पांच हाल्ट स्टेशन मंजूर किए गए हैं—

1. हरीशनगर—वाणपुर और गेदे के बीच।
2. सतवेरिया—वनगांव और गोपालनगर के बीच।
3. मदारतल्ला—सोनपुर जंक्शन और कालिकापुर के बीच।
4. भापला—चम्पापुकुर और वशीर हाट के बीच।
5. लेक गार्डन—वालीगंज और कालीघाट के बीच।

सीरे का उत्पादन

43. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी के कारखानों द्वारा उत्पादित सीरे की दरें नियंत्रित हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में सीरे की निर्धारित कीमत कितनी-कितनी है?

पैट्रोलियम तथा रसायल और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी हां। समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय शीरा नियंत्रण आदेश, 1961 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार शीरे के मूल्यों पर नियंत्रण रखती है। यह आदेश उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के अलावा सभी राज्यों पर जिन्होंने अपने अपने शीरा नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत मूल्य निर्धाण किये हैं लागू हैं ।

(ख) पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के अलावा सभी राज्यों में ग्रेड-1 फैक्टरी शीरा के वर्तमान मूल्य 6 रुपए प्रति 100 किलोग्राम निर्धारित किये हैं।

पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल राज्यों में मूल्य निम्न प्रकार से हैं :—

(मूल्य रुपए/प्रति 100 कि० ग्राम)

पंजाब	हरियाणा		पश्चिम बंगाल
	आसुत के लिए	उद्योग के लिए	
1.00	3.00	6.00	2.68

बोनगांव और कलकत्ता के बीच दोहरी रेलवे लाइन

44. श्री धीरेन्द्रनाथ बसु : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या बोलगांव और कलकत्ता के बीच दोहरी लाइन का कार्य वित्त वर्ष 1977–78 के दौरान आरंभ किया जाएगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : संसाधनों की स्थिति ऐसी नहीं है कि यह काम 1977–78 में शुरू किया जा सके।

आन्ध्र प्रदेश के लिये स्वीकृत नई रेल लाइनें

45. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी नई रेल लाइनों की सिफारिश की गई थी जो केन्द्र सरकार द्वारा आरम्भ की जायेगी ?

(ख) उनमें से कितनी लाइनों को इस वर्ष मंजूरी दी गई, और

(ग) मंजूर की गई लाइनों पर कार्य कब आरंभ किया जाएगा ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दंडवते) : (क) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित रेलवे लाइनों के लिए प्रस्ताव किया गया है :—

(i) नडिकुडे-बीवीनगर बड़ी लाइन—150 कि० मी०
(ii) रामगुंडम-निजामाबाद बड़ी लाइन—160 कि० मी०

(ख) नडिकुडे-बीवीनगर नयी लाइन का निर्माण एक अनुमोदित कार्य है। रामगुंडम से निजामाबाद तक की लाइन के सर्वेक्षण के काम को भी अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) नडिकुडे-बीवीनगर लाइन के बीवीनगर-नलगोंडा खण्ड (74 कि० मी०) के निर्माण-कार्य को प्रथम चरणके रूप में शुरू किया गया है। रामगुंडम निजामाबाद लाइन के लिए सर्वेक्षण का काम शुरू कर दिया गया है और सर्वेक्षण काम पूरा हो जाने के बाद इस लाइन के निर्माण के बारे में विचार किया जायेगा।

गोदावरी बेसिन में पैट्रोलियम और गैस संसाधनों के लिये खोज

46. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी बेसिन में अथवा आन्ध्र प्रदेश में पूर्वीय तट पर पैट्रोलियम संसाधनों और प्राकृतिक गैस के लिए खोज की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) और (ख) : पिछले दो क्षेत्रीय नियतावधियों के दौरान किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षणों के परिणामस्वरूप, नरसीपुर के करीब एक स्थल को व्यधन कार्य के लिये दे दिया गया है। इस स्थल पर व्यधन आरंभ करने के लिए प्रारम्भिक कार्य को हाथ में ले लिया गया है।

संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन

47. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में संश्लिष्ट रबड़ का उत्पादन होता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1976–77 में इसका कितना उत्पादन हुआ ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1976–77 के दौरान 22,934 टन संश्लिष्ट रबड़ (एस० बी० आर०) का उत्पादन हुआ ।

Companies Controlled by Birla Family

48. SHRI HUKMDEV NARAIN YADAV : Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state the capital invested in the companies controlled by Birla family during the financial years 1947-48 and 1975-76 ?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN) : No information is available with the Government regarding the names of companies which may be said to have been under the control of the Birla family during the year 1947-48. The latest authentic list of companies belonging to the Large Industrial House of Birlas was published in the report of the Industrial Licensing Policy Inquiry Committee in the year 1969. There have been many subsequent changes in the above list and a few more companies have also come up in recent years which are believed to be controlled directly or indirectly by the Birla family. Information for the year 1974 is readily available regarding the value of tangible assets of these companies, which may be said to reflect the capital invested. A statement showing these figures is annexed. [Placed in Library. *See* No. L.T.-54/77.]

Overbridges to be constructed in Rajasthan during Fifth Five Year Plan

†49. SHRI MEETHA LAL : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of railway/road over-bridges proposed to be constructed in Rajasthan during the Fifth Five Year Plan and the names of such over-bridges;

(b) whether there is need for railway overbridge at the level crossing in Hindon and Gangapur cities in Kota Division of the Western Railway; and

(c) if so, the time by which this overbridge is proposed to be constructed ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) Four; These are :

(i) At Sawai Madhopur on Western Railway, in lieu of level crossing No. 151,

(ii) Near Jaipur on Western Railway, in lieu of level crossing No. 217.

These two above works have since been completed.

(iii) At Bhilwara on Western Railway, in lieu of level crossing No. 67; and

(iv) At Rai-ka-bagh (Jodhpur) on Northern Railway.

(b) Considering the present density of rail and road traffic, road over/under bridges in replacement of existing level crossings at Hindaun and Gangapur City of Kota Division of Western Railway are not considered necessary nor have they been sponsored by the State Government or Local Authority.

(c) Does not arise.

Proposal to operate Direct Train service between Delhi and Jabalpur

†50. SHRI NIRMAL CHANDRA JAIN : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) whether Government have under consideration a proposal to operate a direct train service between Delhi and Jabalpur; and

(b) if so, the time by which this proposal is likely to be implemented ?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE) : (a) No.

(b) Does not arise.

SHRI UGRASEN (Deoria) : I am speaking on a point order. We do not receive copies of the papers laid by the Ministers on the table of the House. We do not even get the packets despatched by the Secretariat. Will you ensure its delivery to us ?

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र पहले नहीं भेजे जा सकते। आप चाहें तो उन्हें ग्रंथालय में देख सकते हैं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा तेल तथा प्रकृतिक गैस आयोग अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें आदि

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) अधिनियम, 1976 की धारा 20 की उपधारा (2) के अन्तर्गत बर्मा शैल (भारत में उपक्रमों का अर्जन) (निधि प्रशासन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 945 (ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 55/77]

(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 94 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 28 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 56/77]

(3) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग अधिनियम, 1959 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 46 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 57/77]।

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975—76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975—76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 58/77]

(5) (एक) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मनाली, मद्रास के 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मनाली, मद्रास का 30 जून, 1976 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 59/77]

(6) (एक) इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975—76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975—76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 60/77]।

(7) (एक) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1975 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा। (हिन्दी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1975 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण), लेखापरीक्षित लेख तथा उन पर नियंत्रक-महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(8) उपर्युक्त मद संख्या (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 61/77]

(9) (एक) तेल उद्योग विकास नियम, 1975 के नियम, 29(2) (ङ) के साथ पठित तेल उद्योग विकास अधिनियम, 1974 की धारा 20 की उपधारा (4) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 1975—76 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये सं० एल० टी० 63/77]

मद्रास सिटी नगर निगम (दूसरा संशोधन) अधिनियम, तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 की धारा 3 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मद्रास सिटी नगर निगम (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 42) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 29 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 64/77]

(2) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जिला नगरपालिका अधिनियम, 1920 की धारा 304 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी ओ एम संख्या 1117 जो दिनांक 30 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी ओ एम संख्या 1731 जो दिनांक 15 सितम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी ओ एम संख्या 2194 जो दिनांक 17 नवम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(3) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) तमिलनाडु राज्य के सबन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 31 जनवरी, 1976, की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मदुरै सिटी नगर निगम अधिनियम 1971 की धारा 432 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) मदुरै नगर निगम के महापौर तथा उप महापौर के निर्वाचन संबंधी नियम, जो दिनांक 24 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जो ओ एम 379 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) मदुरै सिटी नगर निगम के पार्षदों महापौर अथवा उप-महापौर के चुनावों के बारे में विवादों के पंचाट संबंधी नियम जो दिनांक 15 सितम्बर, 1976 को तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी ओ एम 1730 में प्रकाशित हुये थे।

(5) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 65/77]

9—136LSS/77

कम्पनी अधिनियम, एकाधिकार, तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) अध्यादेश

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं:—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) न्यासधारी (शेयरों तथा डिबेंचरों की घोषणा) (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 37 में प्रकाशित हुये थे।

(दो) कम्पनी (सचिव की अर्हताएं) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 5 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 185 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 66/77]

(2) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग (निर्बन्धनकारी व्यापार समझौतों के पंजीयक, संयुक्त पंजीयक, उप-पंजीयक और सहायक पंजीयक की भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1976 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1615 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1977 जो दिनांक 28 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 95 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 67/77]

(3) विवादग्रस्त चुनाव (प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष) अध्यादेश, 1977 की धारा 33 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विवादग्रस्त चुनाव (प्रधानमंत्री तथा अध्यक्ष) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 9 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० आ० 246(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 68/77]

(4) तमिलनाडु राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 2328 की एक प्रति जो दिनांक 8 दिसम्बर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी।

(5) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 69/77]

(6) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 11 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 875 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 70/77]

(7) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) चुनावों का संचालन (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 14 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 795(ङ) में प्रकाशित हुये थे।

(दो) संसदीय चुनावों का संचालन (सिक्किम) नियम, 1977 जो दिनांक 25 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 45(ङ) में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 71/77]

(8) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत मतदाताओं का पंजीयन (संशोधन) नियम, 1977 की एक प्रति जो दिनांक 21 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 35(ङ) में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 72/77]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अन्तर्गत केरल लघु उद्योग तथा विकास संवर्द्धन निगम विलय आदेश, 1977 की एक प्रति जो दिनांक 18 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 241(ङ) में प्रकाशित हुआ था।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 73/77]

(10) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० संख्या 73/77]

(11) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत निम्नलिखत पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबधों के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1974 की अवधि के लिए लागू किए जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण)।

(दो) एकाधिकार तथा निर्बन्धनकारी व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबधों के 1 जनवरी से 31 दिसम्बर, 1975 की अवधि के लिए लागू किए जाने सम्बन्धी प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त मद संख्या 23 (दो) में उल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 74/77]

(13) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 75/77]

भारतीय रेलवे अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

रेल मंत्री (श्री मधु दंडवते) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 47 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रेलवे रेड टेरिफ (नौवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1640 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) रेलवे रेड टेरिफ (दसवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1641 म प्रकाशित हुए थे।

(तीन) रेलवे रेड टेरिफ (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3735 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) चालू लाइनें/चालू लाइन (भारत में रेल) सामान्य (संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 22 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 112 में प्रकाशित हुये थे।

(पांच) रेल यात्री (टिकटों का रद्द किया जाना तथा किराए की वापसी) नियम, 1976 जो दिनांक 22 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 346 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 76/77]

(2) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 568 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सां० आ० 264 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** सं० एल० टी० 77/77]

(3) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 44 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गयी रेल दर अधिनियम (संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 272 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 78/77]

(4) 31 मार्च, 1976 को समाप्त हुयी छमाही में रेलवे में भर्ती तथा पदोन्नति श्रेणियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सुरक्षित रिक्त स्थानों पर उन जातियों के व्यक्तियों के लिए जाने में हुयी प्रगति संबंधी प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 79/77]

कम्पनी अधिनियम आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

इस्पात और खान मंत्री (श्री बीजू पटनायक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(1) (एक) भारत अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारत अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 80/77]

(2) (एक) भारत गोल्ड माइन लिमिटेड के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(दो) भारत गोल्ड माइन लिमिटेड का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 81/77]

(3) (एक) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान) के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान) का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 82/77]

(4) (एक) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 83/77]

(5) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1973–74 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1973–74 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(7) (एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड नागपुर के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 84/77]

(8) (एक) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1975–76 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) स्टील अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त मद संख्या (5) और (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त मद संख्या (7) और (8) (दो) में उल्लिखित पत्रों के हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 85/77]

कोयला खान श्रम कल्याण संगठन का वार्षिक प्रतिवेदन, दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, के अन्तर्गत अधिसूचनायें

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रविन्द्र वर्मा) : मैं निम्न लिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान श्रम कल्याण संगठन के वर्ष 1975–76 के क्रियाकलापों संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 86/77]

(2) दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान अधिनियम, 1954 की धारा 47 की उपधारा (3) के अन्तर्गत दिल्ली दुकान तथा प्रतिष्ठान (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 दिसम्बर, 1976 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4(26)/76 सी आइ एस लैब/21094–98 में प्रकाशित हुये थे।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 87/77]

(3) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु जलपान प्रतिष्ठान (संशोधन) अधिनियम, 1975 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 951 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 24 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 88/77]

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के साथ खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) जी ओ एम 871 जो दिनांक 13 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु औद्योगिक विवाद नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(दो) जी ओ एम 912 जो दिनांक 27 अक्तूबर, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु औद्योगिक विवाद नियम, 1958 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।
[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 89/77]

(5) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सां० आ० 4697 जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) सां० आ० 47 जो दिनांक 1 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।
(ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 90/77)

(6) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 36 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 91/77]

(7) कार्मिक शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय बोर्ड के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 92/77]

(8) कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना ों की एक-एक प्रति :—

(एक) कर्मचारी भविष्य निधि (छठा संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1717 में प्रकाशित हुई थी।

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि (सातवां संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 11 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1740 में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) कर्मचारी निक्षेप एवं बीमा (संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 25 दिसम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1788 में प्रकाशित हुई थी।

(चार) सा० सां० नि० 239 जो दिनांक 19 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1355 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(पांच) कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो दिनांक 5 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 305 में प्रकाशित हुई थी।

(छः) सा० सां० नि० 406 जो दिनांक 19 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुयी थी तथा जिसमें दिनांक 4 दिसम्बर, 1976 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1717 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(सात) कर्मचारी कुटुंब पेंशन (तीसरा संशोधन) स्कीम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 5 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 174 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 93/77]

(9) कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी कुटुम्ब पेंशन स्कीमों के कार्यकरण सम्बन्धी वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 94/77]

(10) लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1972 की धारा 16 की उपधारा (4) के अन्तर्गत लाइमस्टोन और डोलोमाइट खान श्रम कल्याण निधि (श्रेणी ग और श्रेणी घ पद) सेवा की शर्तें तथा भर्ती नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 26 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 274 में प्रकाशित हुये थे।

(ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 95/77)

(11) बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1976 की धारा 7 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 2 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 54 (ङ) में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 96/77]

(12) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 35 की उपधारा (3) के अन्तर्गत ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 12 फरवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 199 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 97/77]

(13) खान अधिनियम, 1952 की धारा 59 की उपधारा (7) के अन्तर्गत धातु-युक्त खान (संशोधन) विनियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 5 मार्च, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 308 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 98/77]

(14) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 की धारा 95 की उपधारा (4) के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 8 जनवरी, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 56 में प्रकाशित हुये थे।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए सं० एल० टी० 99/77]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महा सचिव : मैं राज्यसभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 31 मार्च, 1977 को पास किए गए वित्त विधेयक, 1977 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य सभा ने 4 अप्रैल, 1977 की अपनी बैठक में खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1977 पास किया है।

खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक

FOOD CORPORATION (AMENDMENT) BILL

महासचिव : मैं राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में खाद्य निगम (संशोधन) विधेयक, 1977 सभा पटल पर रखता हूं ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

जेलों में बन्द राजनीति कैदियों की तुरन्त रिहाई

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में एक वक्तव्य दें :

"अभी तक जेलों में बन्द राजनीतिक कैदी और उनकी तुरन्त रिहाई।"

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : 25 जून, 1975 को की गई आपातस्थिति की उद्घोषणा, 21 मार्च, 1977 को रद्द किए जाने के परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बनाए रखने की धारा 16-क के उपबंधों के अनुसरण में सभी व्यक्ति रिहा कर दिए गए हैं। फिर भी लगभग 6,851 व्यक्ति 25 मार्च, 1977 तक नजरबंदी में थे । उन्हें आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम की धारा 3 के अधीन नजर बन्द किया गया था, नजर बन्दी के कारण उन्हें बता दिए गए थे और उनको नजरबन्दी में रहना सलाहकार बोर्डों द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था।

2. आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखना अधिनियम के बारे में हम अपनी नीति की पहले ही घोषणा कर चुके हैं। हमारी पहले की घोषणा को ध्यान में रखते हुए कुछ और विशिष्ट प्रस्ताव यथा समय सदन के समक्ष आएंगे। हमारी नीति के अनुकूल हमारा यह स्पष्ट मत है कि किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए नजर बन्द नहीं रखा जाए । तदनुसार हम राज्य सरकारों को सलाह दे रहे हैं कि उन सभी व्यक्तियों को जो अभी तक नजरबन्द हैं, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां देश की सुरक्षा के हित स्पष्ट-रूप से अन्तर्निहित हैं अथवा जहां व्यक्तियों को हाल की हिंसक गतिविधियों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण नजरबंद किया गया है, रिहा कर दिया जाए ।

3. आं० सु० का० की धारा 16 के उपबन्धों की समाप्ति पर राजनैतिक बंदियों की बड़ी संख्या रिहा कर दी गई है। संभवतः माननीय सदस्य के ध्यान में नजरबन्द नक्सलवादी हैं जैसा कि उन्हें कहा जाता है। सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 25 मार्च, 1977 को पं० बंगाल, तमिलनाडु, केरल, तथा आन्ध्र प्रदेश में नजर बन्द ऐसे 645 व्यक्ति थे । हालांकि हम उनकी विचारधारा का बिल्कुल अनुमोदन नहीं करते हैं तथा हम यह बात स्पष्ट रूप से दोहराते हैं कि नक्सलवादियों तथा अन्य की हिंसक गतिविधियों का कानून के अनुसार दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा, हमारा यह भी मत है कि ऐसे व्यक्तियों का अनिश्चित काल के लिए नजरबन्द रहना उन समस्याओं का कोई हल नहीं हो सकता जो उन्होंने उत्पन्न की हैं। अतः हम राज्य सरकारों को विशिष्ट रूप से सलाह दे रहे हैं कि नजरबन्द ऐसे सभी नक्सलवादियों को उन मामलों को छोड़कर जहां ऐसी नजरबन्दियां हाल की हिंसक गतिविधियों के अन्तर्ग्रस्त होने के कारण की गई थीं, रिहा कर दिया जाए।

कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया, इस बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं। मैं आपातस्थिति की अवधि में विभिन्न राज्यों में नजरबन्द किये गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में एक विस्तृत विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** सं० एल० टी० 99क/77]

श्री ज्योतिर्मय बसु : हमारे गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह ने 27 फरवरी, 1977 को मुजफ्फरपुर में एक सभा में कहा था कि यदि जनता पार्टी सत्ता में आती है तो वह आंसुका को रद्द कर देगी, 42वें संविधान संशोधन को भी समाप्त कर देगी और सभी के लिए निर्वाचन कानून समान बनायेगी। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस बारे में उल्लेख किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि यह सब काम किया जा रहा है। परन्तु मैं चाहता हूं कि इस बारे में कोई तिथि निर्धारित की जाए। राजनीतिक कैदियों को तुरन्त रिहा किया जाए और उनमें से अपराध करने वाले व्यक्तियों पर आम कानून के अन्तर्गत मुकदमा चलाया जाए।

कहा गया था कि राजनैतिक कैदियों को, यदि उन्हें गुमराह भी किया गया है, रिहा किया जाना चाहिए और उन्हें सोचने तथा अपने आप को सुधारने का अवसर दिया जाना चाहिए।

मैं महसूस करता हूं कि इस सरकार ने सिद्धान्ततः इस मामले में मानव अधिकारों तथा नागरिक स्वतन्त्रताओं की रक्षा हेतु सहानुभूतिपूर्वक रवैया अपनाने का निर्णय किया है। मैं इस बात की पुष्टि चाहता हूं कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द नहीं रखा जाएगा। इनमें ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी शामिल हैं जिन पर झूठे आरोपों के आधार पर मुकदमें चलाए गए ह। हमारी पुलिस झूठे मामले बनाती है और राजनीतिक नेताओं को अपने मास्टरों की इच्छानुसार उन मामलों में फंसाती है।

अतः हम इन लोगों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना चाहते। मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि कृपया सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करके उनके विरुद्ध मुकदमें वापस लिये जाएं। सिविल अवज्ञा आन्दोलन के कारण कांग्रेस दल को अवैध घोषित किया गया था, परन्तु अंग्रेजों ने अंधाधुंध गिरफ्तारियां नहीं की थीं। केवल उन व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए जो इससे संबंधित थे परन्तु उन्हे नजरबन्द नहीं रखा गया। परन्तु इन्दिरा राज में किसी दल विशेष का सदस्य होने के नाते उसको नजरबन्द कर लिया गया। सारा देश एक विशाल जेल बन गया। इस देश की प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई है और इसे फिर से बनाने में कई दशक लग सकते हैं।

मुझे खुशी है कि चौधरी साहब ने कहा है कि वह बन्दियों के आंकड़े सभा के समक्ष रखेंगे। चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में अभी भी 14 रेल कर्मचारी जेल में हैं। इसी प्रकार और राज्यों में भी अनेक लोग अभी भी जेलों में हैं। लगभग 5000 राजनीतिक कैदी अभी भी पश्चिम बंगाल की जेलों में सड़ रहे हैं। गत दो वर्षों में 25 राजनीतिक कैदी जेलों में मरे हैं। यह सब क्या है? मैं मीसा और भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत मामलों की संख्या राज्यवार चाहता हूं। मैं उनके विरुद्ध लगाए गए आरोप जानना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस संबंध में कोई जांच आयोग नियुक्त करेंगे और दोषियों को दण्ड देंगे।

चौधरी चरण सिंह : माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य के उस पैरे का उल्लेख किया है जिसमें कहा गया है कि हमने अभी तक नजरबन्द उन व्यक्तिओं को छोड़कर जिसमें देश की सुरक्षा के हित स्पष्टतया निहित हैं या हाल की हिंसात्मक गतिविधियों में भाग लेने के कारण जिन व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है, कैदियों को रिहा करने के लिए राज्य सरकारों को परामर्श दिया है। जहां तक पहली श्रेणी का

सम्बन्ध है इसमें विदेशों के काम करने वाले गुप्तचर शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए ऐसे कुछ व्यक्ति इस श्रेणी में आते हैं। इसका ब्योरा मेरे पास उपलब्ध नहीं है। मैं इन मामलों की जांच करूंगा और जहां नजरबन्दी की आवश्यकता नहीं है उन व्यक्तियों को रिहा किया जाएगा।

इस विवरण में केवल उन्हीं लोगों के नाम शामिल हैं जो कि 25 मार्च तक गिरफ्तार किए गए। कुछ ऐसे व्यक्तियों के भी मामले हैं जिन्होंने आपातस्थिति हटाए जाने के बाद हिंसात्मक कार्यवाही की। उन मामलों की जांच की जाएगी और इन मामलों पर भी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

रिहाई के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित करना बहुत कठिन है। हम केवल राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं। अन्तिम कार्यवाही उनके हाथ में है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यह कार्यवाही शीघ्रताशीघ्र पूरी हो।

जहां तक आपातस्थिति के दौरान की गई ज्यादतियों का संबंध है, मेरा यह कहना है कि पुलिस या सरकारी अधिकारियों को इतना दोषी ठहराना ठीक नहीं है जितना कि राजनीतिक नेतृत्व को दोषी ठहराना ठीक होगा।

साक्षरता सर्वव्यापीकरण, माध्यमिक शिक्षा में सुधार, अनुसंधान और शिक्षा और संस्कृति विभाग में राजनीतिक उत्पीड़न तथा छात्र संघों के लिये चुनावों पर लगाये गये प्रतिबन्धों को हटाने के बारे में सरकार की नीति सम्बन्धी वक्तव्य

STATEMENT *RE*. GOVERNMENT POLICY ON UNIVERSALISATION OF LITERACY, IMPROVEMENT OF SECONDARY EDUCATION, RESEARCH, POLITICAL VICTIMISATION IN THE DEPARTMENT OF EDUCATION AND CULTURE AND REMOVAL OF RESTRICTIONS ON ELECTIONS TO STUDENTS' UNIONS

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (श्री प्रताप चन्द्र चुन्दर) : मैं अध्यक्ष का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस महान सदन में वक्तव्य देने का अवसर दिया है।

2. देश में साक्षरता को व्यापक बनाने के कार्य को सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता देना चाहेगी। मुझे बताया गया है कि 6–11 आयु वर्ग के 87% बच्चों तथा 11–14 आयु-वर्ग के 39% बच्चों को इस समय हमारे देश में प्राथमिक और मिडिल स्कूल शिक्षा की सुविधाएं प्राप्त हैं। वर्तमान पांचवी योजना में 6–11 आयु-वर्ग के 96% तथा 11–14 आयु-वर्ग के 46% बच्चों के दाखिले की परिकल्पना है। प्रौढ़ साक्षरता के सम्बन्ध में, 1971 की जनगणना के अनुसार, चार वर्ष की ऊपर की आयु की 34% आबादी साक्षर है। संख्या के हिसाब से, मैं समझता हूं कि 15 से अधिक आयु वाले 20 करोड़ वयस्क अभी भी निरक्षर हैं। इस समस्या का आयाम वास्तव में विराट है। तथापि, वर्तमान सरकार इस बात के लिए अत्यंत उत्सुक है कि प्रारंभिक शिक्षा को व्यापक बनाने तथा प्रौढ़ साक्षरता के विकास की दिशा में ठोस प्रगति प्राप्त करने के लिए फौरन कदम उठाए जाने चाहिएं। इस समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने तथा राज्य से परामर्श करने का अभी हमें समय नहीं मिला है जो मुख्य रूप से इस विषय से संबंधित है। फिर भी, इस प्रश्न का विस्तृत अध्ययन करने तथा प्रारम्भिक शिक्षा को व्यापक बनाने और प्रौढ़ साक्षरता की उन्नति के लिए कार्य करने की दृष्टि से हम एक आवधिक योजना तैयार करने का जल्दी से जल्दी प्रयत्न करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित बुनियादी शिक्षा के सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए हम कार्य जगत और शिक्षा जगत के बीच विद्यमान खाई को कम करने का भी प्रयत्न करेंगे।

3. माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में, विशेष रूप से पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों की दृष्टि से इस बात को देखना बहुत आवश्यक है कि छात्रों पर शैक्षिक दबाव को कम किया जाए और वे खेलकूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक और कलात्मक रुचि की प्रवृतियों और सामाजिक कार्य पर ध्यान दे सकें, उच्च शिक्षा के स्तर पर मौलिक तथा प्रयुक्त अनुसंधान पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अनुचित हस्तक्षेप के पक्ष में नहीं हैं।

4. इस सदन के अनेक माननीय सदस्य तथा अन्य मित्र मुझसे मिले हैं व मिल रहे हैं तथा उन्होंने मुझे लिखा भी है जिसमें उन्होंने शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में राजनीतिक उत्पीड़न की शिकायत की है। मैंने, शिक्षा तथा संस्कृति विभागों में समय से पूर्व सेवानिवृत्तियों और पदावनतियों के संबंध में ब्योरे मांगे हैं। मुझे पता चला है कि जहां तक शिक्षा विभाग और उसके अधीनस्थ व सम्बद्ध कार्यालयों का संबंध है, पिछले दो वर्ष के दौरान वहां समय से पूर्व सेवानिवृत्ति का कोई मामला नहीं है। पदावनति का एक मामला है किन्तु पता चला है कि यह पदावनति गोपनीय रिकार्डों में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर की गई थी। फिर भी इस मामले का पुनरीक्षण किया जा रहा है।

5. संस्कृति विभाग में यद्यपि सचिवालय स्तर पर समयपूर्व कोई भी सेवानिवृत्ति अथवा पदावनति नहीं की गई थी किन्तु संलग्न कार्यालयों में समयपूर्व सेवानिवृत्ति के तीन मामलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मैंने इन मामलों का पुनरीक्षण करने तथा इन्हें मेरे सामने प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया है। मैंने यह भी निदेश दिए हैं कि शिक्षा तथा संस्कृति विभागों के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों की यह जानने के लिए पूरी जांच की जाए कि वहां राजनीतिक आधार पर सताए जाने का कोई मामला है क्या ? शिक्षा तथा संस्कृति विभाग के साथ संलग्न स्वायत्तशासी संगठनों के संबंध में इसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के अनुदेश भी मैंने जारी कर दिए हैं। मुझे आशा है कि सूचना शीघ्र ही प्राप्त कर ली जाएगी और कुछ ही दिनों में पुनरीक्षण पूरा हो जाएगा। माननीय सदस्यों को मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उन सभी मामलों का पुनरीक्षण किया जाएगा जिनमें राजनीतिक आधार पर व्यक्तियों को सताया गया है।

6. हम राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध करेंगे कि वे इन बदली हुई परिस्थितियों में शैक्षिक संगठनों के कर्मचारियों के विरुद्ध राजनैतिक आधार पर की गई कार्रवाई का पुनरीक्षण करें। मुझे आशा है कि राज्य सरकारों और विश्वविद्यालय हमारे अनुरोध को स्वीकार करेंगे।

7. मुझे ज्ञात हुआ है कि मंत्रालय से ऐसे अनुदेश जारी किए गए थे जिनमें विश्वविद्यालयों में विभिन्न छात्र संघों के चुनावों को अस्थायी तौर पर स्थगित करने के अनुदेश दिए गए थे। मैंने इन प्रतिबन्धों को हटाने के नये अनुदेश जारी करने का अनुदेश दे दिया है। मैं उन अनुदेशों का पुनरीक्षण भी आरम्भ करने जा रहा हूं जो इसी प्रकार के प्रतिबन्ध लगाने के लिए आपात्स्थिति के दौरान पिछले 20 महीनों में जारी किए गए थे।

संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक

GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

चौधरी चरण सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं :—

श्री एम० कल्याणसुन्दरम् : ये विधेयक आज प्रातः ही भेजे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण विधयक हैं जिनमें पिछली सरकार द्वारा की गई गलतियों को दूर करने की मांग कीगई है। चूंकि ये विधेयक आज ही भेजे गए हैं अतः हम उनका अध्ययन कैसे कर सकते हैं ? नियम के अनुसार कम से कम 7 दिन का नोटिस होना चाहिए। इसके लिए जल्दी क्या है ? क्या ये अगले सत्र तक स्थगित नहीं किये जा सकते ? मैं विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने और अध्यक्ष द्वारा नोटिस अवधि को समाप्त किए जाने का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ज्ञापन परिचालित किया गया है और उसमें अवलम्बनीयता का वर्णन किया गया है जिसके कारण अध्यक्ष ने नोटिस अवधि को समाप्त कर दिया है और इस विधेयक को पुरःस्थापित किए जाने की अनुमति दी है।

संघ राज्य शासन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT REGARDING GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES (AMENDMENT) ORDINANCE

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं संघ राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक

DELHI ADMINISTRATION (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1666 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

चौधरी चरण सिंह : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

Statement regarding Delhi Administration (Amendment) Ordinance

गृह मन्त्री (चौधरी चरण सिंह) : मैं दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) विधेयक
DISPUTED ELECTIONS (PRIME MINISTER AND SPEAKER) BILL

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के संसद के लिए विवादग्रस्त चुनावों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरणों का और उससे संबंधित बातों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के संसद् के लिए विवादग्रस्त चुनावों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरणों का और उससे संबंधित बातों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

मुझे तीन सदस्यों से नोटिस मिला है और मैं इन तीन सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री श्यामनन्दन मिश्र (बेगुसराय) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे मन में प्रस्तुत विधेयक के सम्बन्ध में कुछ संदेह तथा भ्रांतियां हैं। विधि मंत्री यदि उन भ्रांतियों का निवारण कर देंगे तो मैं अंततः इस विधेयक का विरोध नहीं करूंगा। इस समय मुझे यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14 के विपरीत लगता है क्योंकि अनुच्छेद 14 के अनुसार सभी को कानून के समक्ष समानता प्रदान करने का उपबन्ध है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि वर्तमान सरकार भी, भूतपूर्व सरकार की तरह ही उस व्यक्ति के साथ अलग व्यवहार क्यों करना चाहती है जोकि प्रधान मंत्री के पद पर आसीन हो जाये। मैं समझता हूं कि कानून के समक्ष समानता प्रदान करने के लिए मेरा दल कटिबद्ध है तथा दल ने अपने चुनाव घोषणापत्र में भी यही बात कही थी। क्या सदस्य के रूप में हम सभी समान नहीं हैं? मेरे लिए यह अधिक प्रसन्नता की बात होती यदि विधि मंत्री विधेयक से सम्बद्ध कारणों तथा उद्देश्यों संबंधी कथन में इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट कर देते कि सरकार का विचार प्रधान मंत्री के पद को कानून से ऊपर रखने का बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं कि इस बात का उल्लेख उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में दिये बिना स्थिति स्पष्ट नहीं हो पायेगी। अतः इसलिए मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री आज नहीं तो कल इस संबंध में संविधान में किये गये संशोधन के निरसन हेतु एक विधेयक अवश्य प्रस्तुत करेंगे। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी सरकार का सिद्धान्त प्रधान मंत्री को बिलकुल अलग श्रेणी में रखने का नहीं है। यह सिद्धान्त बिलकुल स्वीकार नहीं किया जा सकता कि प्रधान मंत्री कोई भूल नहीं कर सकता। अतः मैं यह चाहता हूं कि भूतपूर्व सरकार ने अपने संशोधन के माध्यम से संविधान के 329वें अनुच्छेद में जो संशोधन किया है, उसे समाप्त करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाए।

मैं समझता हूं कि अब यदि सरकार प्रस्तुत विधेयक पेश न करती तो सम्भवतः एक प्रकार के शून्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती। उस स्थिति को पूरा करने के लिए ही सरकार ने संभवतः यह विधेयक प्रस्तुत किया है।

मेरा दूसरा संदेह अपील करने के फोरम के बारे में है। यदि विवादग्रस्त चुनावों के बारे में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति इस प्रकार के मामले की सुनवाई के लिये की जाती है तो क्या प्रधान मंत्री या अध्यक्ष को उच्चतम न्यायालय में अपनी अपील दर्ज करने का अधिकार नहीं किया जाएगा? मंत्री महोदय को इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करनी

चाहिए। क्या मंत्री महोदय ने इस पहलू का अध्ययन भी किया है कि क्या इन चुनावों के मामलों की अपील सुनने की व्यवस्था होनी भी चाहिए या नहीं। यही मेरे संदेह तथा शंकायें हैं तथा मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इनका निवारण करेंगे।

SHRI SHARAD YADAV (Jabalpur) : We, the people of Janta Party pledged before the electorate that equality before the law will be maintained and all the 62 crore people of the country will be equal before law. We made it clear in our election manifesto. But the present Bill appears to be fully contrary to these aspirations of people and pledges of Janta Party. It is strange that present Bill provides for setting up of a separate tribunal for the Prime Minister and the Speaker. I think by doing so, we are going to set a bad precedent. I may caution the Government that if such a tribunal is created, the youth of the country will oppose it with all its might. So my submission is that Government should withdraw this Bill.

SHRI MADHU LIMAYE (Banka) : Sir, it is my apprehension that this Bill is likely to create misunderstanding in the country. When I saw this Bill in today's list of Business, I was very much perturbed. Most of us had opposed this measure when it was passed last time. Whether it is the Prime Minister or the Speaker, when they enter the election field, they are merely candidates for Lok Sabha seats and nothing more. As such according them any special treatment will be against the fundamental principle of equality laid down in our Constitution.

I know that Government have some difficulties in doing away with Article 329A immediately. But still I believe that the conditions under which this Bill is being brought should be clearly explained in the statement of objects and reasons. Then there would have been no misunderstanding. In fact an amending Bill seeking to repeal Article 329A of the Constitution should have been included in the same day's List of Business. This will clear all doubts. It is true that Law Minister might have thought that this measure may not get through in Rajya Sabha. But in this connection I have already made a suggestion that in regard to such of the amendments of the Constitution on which the opposition also agrees such as about the restoration of civil liberties and popular rights, the Law Minister should invite the Leaders of Opposition in both the Houses and discuss those matters with them.

It will be better if the statement of objects and reasons of this Bill is suitably amended. Let it be stated that this is being done to fill up the vacuum and that it is not our policy. We are committed to the principle of equality. It is necessary to do so because otherwise our party will be accused of acting against the declarations made in the election manifesto.

श्री हरिविष्णु कामथ (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे यह समझ नहीं आता कि हमारी जनता सरकार भूतपूर्व सरकार की जिम्मेदारियों को क्यों संभाले हुए है। मेरा विचार है कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 123 के खण्ड (2) के अनुसार इस जिम्मेदारी से मुक्त हो सकती थी। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रपति द्वारा 3 फरवरी, 1977 को जारी किए गए अध्यादेश में कुछ संशोधन करने का है। मैं समझता हूं कि सरकार राष्ट्रपति को यह अध्यादेश वापिस लेने की सलाह भी दे सकती थी ताकि देश में यथास्थिति को कायम किया जा सकता। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन्हें यह रास्ता अपनाने में क्या कठिनाई थी?

श्री शान्ति भूषण : यह मेरे लिए काफी प्रसन्नता की बात है कि माननीय सदस्यों यथा श्री श्यामनन्दन मिश्र, श्री शरद यादव तथा श्री मधु लिमये ने इस मामले को यहां उठाया है। श्री कामथ द्वारा उठाए गए व्यवस्था के प्रश्न का भी मैं स्वागत करता हूं।

मैं अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ सदन को यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार पूरे अनुच्छेद 329 के ही विरुद्ध है। हम एक ओर प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष के बीच तथा दूसरी ओर संसद् सदस्यों के बीच समानता स्थापित करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमारी सरकार का यह गहरा विश्वास है कि ऐसे सभी मामलों में समानता का सिद्धान्त आधारभूत माना जाना चाहिए क्योंकि यही लोकतंत्र की आधारशिला होती है। परन्तु इसके साथ ही मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध भी करूंगा कि उन्हें उन विशिष्ट कठिनाइयों तथा दबावों को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए जिनके अन्तर्गत सरकार को वर्तमान विधेयक प्रस्तुत करना पड़ रहा है। भूतपूर्व सरकार ने प्रस्तुत अध्यादेश अनुच्छेद 329क के अनुसरण में प्रख्यापित किया था। संविधान संशोधन के होते हुए स्थिति यह है कि न तो सरकार और न ही अध्यादेश प्रख्यापन की शक्ति के अनुसरण में राष्ट्रपति को वैसा प्राधिकार प्राप्त है। हमारी सरकार इस बात के लिए पूर्णतया तत्पर है एक ओर प्रधान मंत्री और अध्यक्ष की और दूसरी ओर सदस्यों की पूर्ण समानता स्थिति बहाल हो। अभी हमारी समस्या यही है कि अनुच्छेद 329क द्वारा लगाया गया अंकुश हमारे मार्ग का रोड़ा बना हुआ है। इस अनुच्छेद के खण्ड (4) को तो संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध पाया गया तथा उच्चतम न्यायालय ने इसे रद्द कर दिया।

अब मैं वर्तमान स्थिति को और स्पष्ट कर दूं। प्रस्तुत अध्यादेश की उद्घोषणा भूतपूर्व सरकार द्वारा अनुच्छेद 329(क) के उपबन्धों के अनुसार की गई थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम इसको वापिस ले सकते थे परन्तु यदि हम इसे वापिस ले लेते तथा इसके स्थान पर अन्य विधेयक प्रस्तुत न करते तो उससे रिक्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती। मेरे माननीय मित्र श्री मिश्रा का विचार यह था कि यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती तो सम्भवतः न्यायालय उसका कोई न कोई हल निकाल ही देता। किन्तु अनुच्छेद 329क में निहित स्पष्ट उपबंध की उपस्थिति में इस प्रकार की कानूनी स्थिति ठीक नहीं होती। अतः यदि अध्यादेश वापिस ले लिया गया होता या फिर उसे समाप्त कर दिया गया होता तो स्थिति इसके विपरीत ही जाती। उस स्थिति में हमारे ऊपर खुले रूप से यह आरोप लगाया जाता कि हमने अध्यादेश की समाप्त करने की अनुमति देकर एक ऐसे प्राधिकार को समाप्त कर दिया जिसकी कि अध्यादेश में व्यवस्था की गई थी।

आशा है कि इस स्पष्टीकरण से अब स्थिति पूर्णतया स्पष्ट हो गई होगी तथा देश के किसी भी भाग में पैदा होने वाला संदेह समाप्त हो जायेगा। हमें आशा है कि देश को पुनः लोकतांत्रिक पथ पर अग्रसर करने में सभा हमें अपना सहयोग देती रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :—

"कि प्रधान मंत्री और लोक सभा के अध्यक्ष के संसद् के लिए विवादग्रस्त चुनावों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरणों का और उससे संबंधित बातों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री शान्ति भूषण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

5—136LSS/77.

विवादग्रस्त चुनाव (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) : अध्यादेश के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE. DISPUTED ELECTIONS (PRIME MINISTER AND SPEAKER) ORDINANCE

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : मैं विवादग्रस्त चुनावों (प्रधान मंत्री तथा अध्यक्ष) अध्यादेश, 1977 द्वारा तुरन्त विधान बनाए जाने के कारण बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुये उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

MOTION OF THANKS ON THE ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT ACTING AS PRESIDENT—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे उपराष्ट्रपति के अभिभाषण पर आगे विचार आरंभ किया जाएगा।

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : अभिभाषण पर चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं सभा के कार्य के बारे में वक्तव्य देना चाहता हूं। अब प्रश्न काल समाप्त हो गया है। आज हमें भोजनकाल के समय भी बैठ कर अभिभाषण पर चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए ताकि और अधिक सदस्यों की चर्चा में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो जाए। प्रधान मंत्री 3 बजे चर्चा का उत्तर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि सभा संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव के साथ सहमत हैं।

कुछ सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सुझाव है कि यदि आवश्यकता हुई तो हम छः बजे के बाद बैठकर भी कुछ सरकारी कार्य पूरा कर लेंगे।

SHRI SHARAD YADAV (Jabalpur) : I want to raise the issue of the dissolution of Bihar Legislative Assembly. The House is aware of the atrocities perpetrated on hundreds of our youth workers, who have stood up in support of their demand for the dissolution of the Bihar Legislative Assembly. Some youngmen are on a hunger strike before the Lok Sabha on this issue of dissolving the Assembly which has committed innumerable sins. I have met the Prime Minister alongwith some Members of the Chhatra Sangharsh Samiti. The Prime Minister has said that the decision of the Government will be announced within 8 days. But so far the decision has not come. I hope the Government will appreciate the strong feelings of the people and the youth of Bihar State and announce its decision at an early date.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रखेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे 5 मिनट से अधिक समय न लें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : छटी लोक सभा अत्यंत असाधारण और महत्वपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियों में गठित हुई है। देश में राजनीतिक परिवर्तनों को दृष्टि में रखकर ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार करना होगा। हाल के चुनावों के परिणामों से यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय जनता की संसदीय संस्थाओं तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितनी अटूट आस्था है। यद्यपि भूतपूर्व सरकार ने सशक्त नीतियों द्वारा उनकी भावनाओं को बदलने का प्रयास किया गया है। यह तानाशाही एवं सरकार के नाम पर गैरसंवैधानिक शक्तियों के विरुद्ध जनक्रांति है। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने विभिन्न स्तरों पर गैरसंवैधानिक ढंग से कार्य किया है।

यह इतिहास की अनिवार्यता है। हम जानते हैं कि सरकार द्वारा नीति सम्बन्धी वक्तव्यों की घोषणा जनक्रांति के अनुरूप ही की गई है।

[**श्री धीरेन्द्रनाथ बसु** पीठासीन हुए
SHRI DHIRENDRANATH BASU *in the Chair*]

अनिवार्य है कि वर्तमान सरकार को नीति निर्धारण एवं प्रशासन में जनता के प्रतिनिधित्व के मामले में समुचित उपाय करने चाहिए तथा ठोस निर्णय लेने चाहिए। मुझे खेद है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पहलू का उल्लेख नहीं है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे उपाय तुरन्त करे जिससे श्रमिक वर्ग परिवर्तन महसूस करने लगे। भूतपूर्व सरकार की यह नीति रही है कि उसने खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का कार्य राज्य सरकारों पर छोड़ दिया। अधिकांश राज्यों में खेतिहर मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित तो की गई लेकिन उसे कार्यरूप नहीं दिया अर्थात् निर्धारित दर पर मजदूरी नहीं दी। सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी खेतिहर मजदूरों को निर्धारित दर पर न्यूनतम मजूरी मिले, उपाय करने चाहिएं। किन्तु राष्ट्रपति के अभिभाषण में खेतिहर मजदूरों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लोगों के हितों की सुरक्षा के उपायों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

संगठित श्रमिक वर्ग को यह जानकर हर्ष हुआ है कि सरकार बोनस अधिनियम में संशोधन करना चाहती है। लेकिन इस बात का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाएगा। सरकार को बोनस अधिनियम में तत्काल संशोधन करना चाहिए और 8.3 प्रतिशत की दर से न्यूनतम बोनस का अधिकार उन्हें भूतलक्षी प्रभावी अर्थात् 1975 से दिया जाना चाहिए।

आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राजनीतिक बन्दियों के संबंध में एक वक्तव्य दिया गया है जो स्पष्ट नहीं है। मेरी जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में एक वक्तव्य दिया है कि राज्य में अभी भी 6264 बन्दियों से अधिक व्यक्ति जेलों में पड़े हैं। इनमें से अधिकांश लोगों को बहुत कष्ट दिया गया और बहुत से जेलों में मार दिए गए हैं। भारत सरकार को ऐसे मामलों की जांच करानी चाहिए और सभी राजनीतिक बंदियों को तत्काल रिहा करने के आदेश दिए जाने चाहिए।

विपक्ष के नेता ने 42वें संविधान संशोधन का औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया है। लेकिन यह एकदलीय शासन तथा आपात्स्थिति लागू करने के लिए ही किया गया है। लेकिन मेरे विचार से इस संशोधन विधेयक को रद्द करने संबंधी किसी प्रस्ताव का विरोध नहीं किया जाना चाहिए।

हमारे देश के विभिन्न भागों में चुनावों के पश्चात् राज्य विधान मण्डलों को राज्य का प्रशासन चलाने का नैतिक एवं कानूनी अधिकार नहीं रहा है क्योंकि वहां तत्कालीन सरकार को लोक सभा चुनावों में हार मिली है। अतः राज्यों में शीघ्र चुनाव कराने चाहिए।

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : केन्द्र में गैर कांग्रेसी सरकार तथा देश में द्विदलीय व्यवस्था देखने की मेरी महती अभिलाषा थी, जो अब पूरी हो गई है। इसके लिए मैं देश की जनता का आभारी हूं। इसे मैं शांत क्रांति कहूंगा। इससे सिद्ध हो गया है कि हमारे देश में लोकतंत्र दृढ़ हो गया है। लेकिन जनता पार्टी के घटकों को मिल कर एक दल बनाना चाहिए। तभी वह जनता की आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरी कर सकता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में द्विदलीय प्रणाली के प्रादुर्भाव के बारे में उचित ही उल्लेख किया है। मुझे आशा है निकट भविष्य में इसे पूरी तरह कार्यान्वित किया जाएगा।

देश में स्वतंत्रता के नए युग ने जन्म लिया है जो आपात् स्थिति के दौरान लुप्त हो गया था। अब घुटन, सन्देह और आतंक का वातावरण समाप्त हो गया है। यह संसद् भवन प्रेत घर बन गया था। समूचा देश जेल के रूप में बदल गया था। उस अवधि के दौरान भूतपूर्व सरकार ने बहुत अत्याचार तथा ज्यादतियां की थीं। इस अवधि में जो अमानवीय अत्याचार एवं लोगों को जो घोर यातनाएं दी गई थीं उनके अनेक उदाहरण मिलते हैं। लोगों की दिनदहाड़े हत्याएं की गई। निरीह और बेकसूर व्यक्तियों को 'आंसुका' में जेल में डाला गया। अतः मैंने एक संशोधन के रूप में सरकार से अनुरोध किया है कि आपात स्थिति के दौरान जिन मुख्य मंत्रियों ने जनता पर ज्यादतियां और अत्याचार किए उनकी जांच की जाए और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में देश से निर्धनता को 10 वर्षों के अन्दर हटाने के सरकार के वचन को दोहराया है। भारत मुख्यतः समाजवादी देश है और आशा है कि निश्चित समय में ही हम गांधीवादी ढंग से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में विभिन्न सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों तथा समाज और विभिन्न क्षेत्रों में विषमता दूर करने के लिए उठाए जाने वाले कदमों का उल्लेख नहीं किया है।

25 वर्ष तक पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के बाद भी उड़ीसा में पश्चिमी जिलों का विकास नहीं हुआ है। यद्यपि उस क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। वहां रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए गए हैं और सारा धन तटवर्ती जिलों पर ही व्यय किया गया है।

दूसरा इस्पात संयंत्र स्थापित करने सम्बन्धी हमारी मांग यथासंभव शीघ्र स्वीकृत की जानी चाहिए।

इन्द्रावती परियोजना, जिससे उड़ीसा के चिरकालिक सूखाग्रस्त पश्चिमी जिलों की 5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी, तथा 600 मेगावाट बिजली तैयार होगी और वहां बाक्साईट उपलब्ध होने के कारण अलुमिनियम संयंत्र स्थापित किए जाने काफी सहायक सिद्ध हो सकती है, पर कार्य किया जाना चाहिए।

कार्यवाहक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर एक संशोधन के रूप में मैंने सुझाव दिया है कि सभी मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों को प्रति वर्ष अपनी आस्तियों की घोषणा करना तथा उन्हें सार्वजनिक जाँच के लिये उपलब्ध करना अनिवार्य किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं सरकार इस पर ध्यान देगी।

श्री मोरारजी की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में सुझाव दिया था कि लोगों की शिकायतें सुनने के लिये लोकपाल तथा लोकायुक्त नियुक्त किये जायें। अब श्री मोरारजी प्रधान मंत्री बन गये हैं। अतः उन्हें लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पास करना चाहिए। पिछली सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब प्रधान मंत्री को इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अन्त में मेरा अनुरोध है कि चुनाव सम्बन्धी विवरण जो प्रस्तुत किए जाने हैं वे ईमानदारी से भरकर प्रस्तुत किये जायें। विधि मंत्री को इस मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये कि सभी राजनीतिक दल समिति पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत

किये जायें तथा उनके खातों की लेखापरीक्षा की जाये। चुनावों की तिथि के एक वर्ष के भीतर सभी राजनीतिक दल अपने खातों को प्रकाशित करें ताकि गलत विवरण प्रस्तुत न किया जा सके।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी (जूनागढ़) : सन्तोष का विषय है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में न्याय को फिर से स्थापित करने तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की तुरन्त आवश्यकता का उल्लेख किया है। उन्होंने राष्ट्र को यह आश्वासन भी दिया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिये अनेक कदम उठाये जाने हैं। उन्होंने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान मण्डल के बीच समुचित सन्तुलन बनाये रखने की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है। लोकतांत्रिक कार्यपद्धति पर दबाव के कारण ही पिछले महीने चुनाव लड़े गये हैं। इसी एक विशेष मामले को लेकर ही जनता ने लोकतंत्र और अधिनायकवाद में से एक को चुना है। यहां फासिस्ट अधिनायकवाद पैदा हो गया था। हम सभी जानते हैं कि आन्तरिक आपात स्थिति 25 जून, 1975 को लागू की गई थी। इसका बाद में विधान मण्डल द्वारा अनुमोदन कर दिया गया था। यह निर्णय एक ही व्यक्ति अर्थात् भारत के प्रधान मंत्री ने ही लिया था। लेकिन लोगों ने आपात स्थिति अस्वीकार कर जनता पार्टी तथा कांग्रेस फार डेमोक्रेसी के पक्ष में अपना निर्णय दिया है। विपक्षी दल के नेता ने यह स्वीकार भी किया है।

श्री ए० के० राय : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में कोरम नहीं है। वाद-विवाद स्थगित कर देना चाहिए। नये सदस्यों के भाषण की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करता हूं कि सभी सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिये। लेकिन मध्याह्न भोजनकाल के दौरान गणपूर्ति सम्बन्धी प्रश्न नहीं उठाया जाता है, यह इस सदन की परम्परा है।

जहां तक सत्ताधारी दल का सम्बन्ध है श्री शान्ति भूषण यहां उपस्थित थे, वे मेरे आने के बाद ही गये हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि वाद-विवाद का उत्तर देते समय सभी मुख्य प्रश्नों के उत्तर दिये जायेंगे।

श्री नरेन्द्र पी० नाथवानी : तत्कालीन सत्ताधारी दल के सदस्य यह कह कर जनता के आदेश की उपेक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं कि अतिउत्साही कर्मचारियों के साथ की गई ज्यादतियों के कारण ही चुनावों में उनकी पराजय हुई है। आपात स्थिति के दौरान अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता और लोकतन्त्र पर किस तरह सुसंगठित तरीके से प्रतिबन्ध लगाया गया। विपक्ष के नेताओं को नजरबन्द किया गया है। प्रेस पर प्रतिबन्ध लगाया गया। विपक्ष के नेताओं को ही आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द नहीं किया गया बल्कि लोगों की वास्तविक कठिनाइयों को भी नहीं सुना गया। इसके अलावा बैठकों और सभाओं पर भी प्रतिबन्ध लगाया गया। धारा 144 के अन्तर्गत 5 व्यक्तियों से अधिक की बैठक पर प्रतिबन्ध लगाया गया। हमने ग्रेटर बम्बई में वकीलों की एक सभा का आयोजन करने के लिये पुलिस कमिश्नर से अनुमति मांगी। उसने हमारा मामला मंत्रिमंडल को सौंप दिया जिसने हमारा आवेदन रद्द कर दिया लेकिन बम्बई उच्च न्यायालय ने हमें अनुमति दी लेकिन

महाराष्ट्र सरकार ने अपील दायर कर दी । यह मामला अभी तक न्यायालय में विचाराधीन पड़ा है । अर्थात् तत्कालीन सरकार ने स्वतन्त्रता को समाप्त करने के लिये लोगों को तंग करने, उन पर अत्याचार करने और प्रैस का गला घोंटने का सुव्यवस्थित कार्यक्रम तथा सुव्यवस्थित व्यापक योजना बनाई थी । जहां एक ओर लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा था वहां वकील किसी बैठक में इसके बारे में चर्चा तक नहीं कर सकते थे तथा हम पर राजद्रोह और देशद्रोह करने के आरोप लगाये जा रहे थे । इन्हें उदाहरण मात्र कह कर इनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । यदि जनता इनकी निन्दा करती है तो यह 19 महीने के दौरान की आपात-स्थिति और आतंक की निन्दा करती है । जब हम नागरिक स्वतन्त्रता तथा न्याय स्थापित करने का अनुरोध करते हैं तो इसका आशय यह नहीं है कि हम अनुशासनहीनता को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ।

कल ही विपक्ष के एक सदस्य ने कहा है कि भूमि सुधारों तथा सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से किए गए प्रगतिशील उपाय प्रतिक्रियावादी न्यायिक प्रणाली द्वारा समाप्त किये गये हैं । ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी नहीं है कि केशवानन्द भारती के मामले में जिसमें यह कहा गया था कि संविधान के मूलभूत ढांचे में परिवर्तन करने हेतु संसद संविधान में संशोधन नहीं कर सकती । स्थापित सिद्धान्तों पर पुर्नविचार करने के लिये दिसम्बर, 1975 में उच्चतम न्यायालय के 13 न्यायधीशों की एक न्यायपीठ स्थापित की गई थी । उस समय न्यायपीठ के अनेक न्ययाधीशों ने महान्यायवादी से ऐसा एक उदाहरण बताने के लिये कहा जहां कि उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा किसी आर्थिक या सामाजिक प्रगतिशील उपाय को रद्द किया गया हो । लेकिन महान्यायवादी इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सके । अतः ऐसा वक्तव्य देना अनुचित है कि न्यायपालिका आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधा बनी है ।

विरोधी पक्ष के एक माननीय सदस्य ने जनता पार्टी द्वारा श्री जय प्रकाश नारायण जी को दी जाने वाली इज्जत की तुलना करने की कोशिश की है । हम जानते हैं कि संजय गांधी की हस्ती क्या थी । उसने जो अतिरिक्त संवैधानिक अधिकार प्राप्त कर रखे थे उनके क्या कारण थे । उसकी एक मात्र योजना यह थी कि वह तत्कालीन प्रधान मंत्री का पुत्र था और मुख्य मंत्री तक उसके पैर छूते थे । क्या ऐसे व्यक्ति की तुलना सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से की जा सकती है । ऐसी तुलना बेकार है । इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

SHRI JAGDAMBI PRASAD YADAV (Godda) : Mr. Chairman, Sir, I support the Motion of Thanks to the President's Address moved by Shri Karpoori Thakur. It is said by the Opposition Member that the acting President's Address is very hollow. But no one can deny that it furnished a good indication about the entire programme of activities to be undertaken by the Janta Government in the coming years. It sholld be remembered that thc Janta Government has given the people freedom to express their feelings and sentiments.

For the first time in the history of television a message of the opposition leader will be telecasted today. This is real democracy.

The Congress Members have highlighted the reasons fo rthe promdlgation of emergency but one might ask as to why Emergency was not enforced when the movement in Gujarat and Bihar was at the peak and why it was imposed only when the then Prime Minister had

lost the election case in court. Further that the Emergency was revoked when the Prime Minister had been defeated in election and the Government had lost the confidence of the people, because they were afraid that the emergency provision might be used against them. I want to assdre the House that the Janta Partf will never resort to such methods.

The most pressing problem facing the country today is that of unemployment. The Acting President has rightly made emphasis on tackling this problem. Government should, therefore, immediately put forth before the people the measures proposed to be undertaken to solve this problem.

The Acting President has also made a reference in his Address to the agricultural policy. It has been rightly said that farmers have got remunerative price for their produce and the allocation of funds for agricultural development have been too meagre and no attention has been paid so far to the development of rural sector of the economy. It is hoped that Government will formulate employment oriented policies wherein priority will be given to the development of agriculture and cottage industries in rural areas.

Although an indication has been given about the agricultural policy yet Government has not been able to decide the price that should be given to the farmers. They are hesitating in giving high prices for the agricultural products. It should be remembered that the prices of agricultural implements are very high therefore, the Government should also supply agricultural implements seeds and other inputs to farmers at subsidised rates.

Corruption is rampant in all sphere of activities in the country and therefore it is most essential that an enquiry committee be set up at Central as well as State level to look into the cases of corruption and to punish the guilty persons.

As regards students, they are facing hardships in seeking admission to the educational institutions, specially in Bihar because they have spent last two years in the struggle against the erstwhile regime. Government should therefore make arrangements for their admission and the period of two years should be condoned to them when they are taken in service.

There was an agitation in Bihar for the dissolution of the Bihar Assembly. The people of Bihar have lost confidence in the present Assembly and therefore, the Government at the Centre should immediately give the directive to dissolve the Assembly.

श्री वसंत साठे (अकोला) : यद्यपि कार्यवाहक राष्ट्रपति का अभिभाषण बहुत संक्षिप्त है, लेकिन देश में लोकतंत्र फिर से स्थापित करने और द्विदलीय प्रणाली के अभ्युदय के बारे में जो उद्‌गार व्यक्त किए गए हैं, वे बहुत सराहनीय हैं। कृषि ग्रामीण उद्योग का विकेन्द्रीकरण तथा ग्रामीण वर्ग को न्याय देने की नीति निर्धारित करना भी सराहनीय है लेकिन इसमें सुखभ्रांति की भावना अनुचित है। इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि जहां पहली सरकार की निन्दा करने का प्रयास किया गया है वहां आपात स्थिति की उद्‌घोषणा और 42वें संविधान संशोधन के विरुद्ध इस देश की जनता ने अपना आदेश दिया है। इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या यह विश्लेषण वस्तुतः तथ्य पर आधारित था। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि कांग्रेस के विरुद्ध लोगों को रोष इसलिये है क्योंकि आपातस्थिति में उन पर अत्याचार किए गए हैं।

कांग्रेस को इससे सबक सीखना चाहिए लेकिन जब हम यह कहते हैं कि जनता ने आपातस्थिति के विरुद्ध अपना मत दिया है तो हमें याद रखना चाहिये कि यह उद्‌घोषणा समूचे देश के लिये की गई थी केवल देश के उत्तरी भाग के लिये नहीं। यदि लोग आपातस्थिति के विरुद्ध हैं तो उन्हें समूचे देश भर में इसी तरह अपनी प्रतिक्रिया करनी चाहिए थी।

अतः इससे यह प्रतीत नहीं होता कि आपातस्थिति के विरोध में रोष राष्ट्रव्यापी था। यदि 42वें संविधान संशोधन विधेयक के विरुद्ध रोष प्रकट किया गया था तो लोगों को देश भर में कांग्रेस को अस्वीकार कर देना चाहिए था । सारांश यह है कि देश के उत्तरी भाग में जनता पर किये गये अत्याचार से लोग इतने अधिक नाराज हुए कि उनके मन में घृणा पैदा हो गई, यदि 42वें संविधान संशोधन विधेयक में कुछ त्रुटियां हैं और यदि कोई ठोस सुझाव दिया गया, जो संसद की सर्वोच्चता के प्रतिकूल नहीं जाता तो हम उस पर विचार करने और सहयोग देने के लिये तैयार हैं । हम सरकार को सहयोग देने के लिये तैयार हैं क्योंकि द्विदलीय प्रणाली लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने का एक यही अवसर है।

इन हालात में हमें सहयोग का वातावरण तैयार करना होगा । सहयोग दोनों ओर से होता है । सहयोग की पेशकश करते समय हमारी ओर के किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि पिछली बात भूल जाओ और क्षमा करो फिर भी सत्तारूढ़ दल के प्रायः सभी सदस्य यही कह रहे हैं कि हम पिछली बातों को भूल नहीं सकते और न ही क्षमा कर सकते हैं। हम यह कहते हैं कि आप बिल्कुल पिछली बातों को न भूलो और आप यह भी न भूलो कि जब प्रधान मंत्री राज्य के मुख्य मंत्री थे और बम्बई में संयुक्त महाराष्ट्र आन्दोलन के दौरान गोली काण्ड हत्या तथा देखते ही गोली मारने के आदेश के बारे में उनका क्या रवैया था। मैं प्रधान मंत्री की आत्मकथा से कुछ गद्यांश उद्धृत करना चाहता हूं जिनमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि आमलनेर नगर में एक साम्यवादी लेबर यूनियन के उपद्रवों को रोकने के लिये गोली चलानी पड़ी । यदि पुलिस को ऐसी अवस्था में सुरक्षा न प्रदान की जाए तो उपद्रवियों को प्रोत्साहन मिलता है । अतः इस संबंध में किसी भी प्रकार की जांच कराने के विरुद्ध हूं । इसी प्रकार उनके मुख्य मंत्री काल में कई गोली चलाने की वारदातें हुई। यदि मुख्य मंत्री को नगर पर कब्जा होने का भय हो तो क्या वह अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे सकता है।

रामलीला मैदान में आयोजित एक सभा को जिसमें 5 लाख व्यक्ति उपस्थित थे, भूतपूर्व प्रधान मंत्री के मकान का घेराव करने का आह्वान दिया गया था । पुलिस और सेना से कहा गया कि वह ऐसे अन्यायी प्रशासन का आदेश न मानें । ऐसी परिस्थितियों में गुजरात में लोक समिति के नाम में निर्वाचित विधायकों को विधान सभा से जबरन बाहर निकाला गया तथा बाद में रेलों में आग लगाई गई, सभाओं में पत्थर फेंके गए । 25 जून 1975 को की गई कार्यवाही की यह पृष्ठभूमि थी ।

जनता ने कांग्रेस पार्टी को इसलिये अस्वीकार किया है क्योंकि देश के कुछ भागों में ज्यादतियां हुई हैं, मैं यह स्वीकार करता हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज ने या स्वीकार किया है कि उन्होंने भूमिगत संगठन तैयार किया था और उनके समर्थक तोड़फोड़ की कार्यवाही करते थे । वे यातायात ठप्प करना चाहते थे और ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते थे जैसी चिली में पैदा की गई थी । वे सरकार का तख्ता उलटना चाहते थे । क्या इस देश में लोक तन्त्र जीवित रह सकता था ? अतः मैं कहता हूं कि न ही आप पिछली बातों को भूलो और न क्षमा करो, आपको केवल अब 'अत्याचार' 'अत्याचार' चिल्लाते रहना है ।

[**कुमारी आभा मैती** पीठासीन हुईं।]
[KUMARI ABHA MAITI *in the Chair.*]

जनता पार्टी को अभी अस्तित्व में आना है । जिस प्रकार के लोग दल बनाने के लिये एकत्रित हुए हैं उनसे यह विश्वास नहीं होता कि क्या जनता पार्टी का वास्तव में अभी जन्म होना है । अत: मैं प्रधान मंत्री को अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि इसके बाद मेरा दल और सत्तारूढ़ दल के सदस्य रचनात्मक कार्य में लग जायेंगे 'और 19 महीनों के अत्याचारों' की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे ।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं ।

श्रीमती रेणुका देवी बरकटकी (गोहाटी) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करती हूं । मुझे विश्वास है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति का अभिभाषण अत्यन्त महत्वपूर्ण चुनावों के बाद दिया गया है । यह चुनाव हमें हमेशा याद रहेंगे । चुनाव तभी निष्पक्ष हो सकते हैं जब दोनों दलों को जनता के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिले । चुनाव कराने के सम्बन्ध में अचानक घोषणा की गई। उस समय हजारों लोग राजनीतिक बन्दियों के रूप में जेलों में थे और हमें वाकई बड़ी कठिनाई हुई लेकिन लोगों ने फिर भी कांग्रेस के विरुद्ध वोट दिया।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि कांग्रेस ने जनता के निर्णय से सबक सीखा है लेकिन उनके भाषण से यह सिद्ध हो गया है कि कांग्रेस ने उस विचित्र हार से कोई सबक नहीं सीखा है जिसके कारण उसे सत्ता से हटाया गया है। लोगों ने आपातस्थिति को पसन्द नहीं किया और इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस हारी । अब विपक्षी नेता श्री चह्वान कहते हैं कि "आपात स्थिति लागू करना कांग्रेस की परम्परा नहीं रही"। क्या ऐसा कह कर वे कांग्रेस के अपराध को छिपाना चाहते हैं । उन्होंने ऐसा प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया कि उनका दल आपातस्थिति की ज्यादतियों के लिये जिम्मेदार नहीं है ।

अब जनता ने जनता पार्टी के हाथ में सत्ता सौंपी है । हमें आशा है हमारे नेता देश को स्वच्छ सरकार देंगे और उस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, जिसके लिये हमें यहां भेजा गया है ।

प्रधानमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : राष्ट्रपति के अभिभाषण की बहस का उत्तर देते हुए, मैं दोनों ही ओर के सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे उत्तेजनात्मक भाषा का प्रयोग न करें ।

मुझे विपक्ष के नेता द्वारा जनता पार्टी को "विचित्र जन्तु" की संज्ञा दिए जाने से बड़ा दुःख हुआ है । इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप मैं कुछ नहीं कहना चाहता परन्तु इतनी आशा करता हूं कि भविष्य में वे ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे।

मुझे उनके इस कथन से भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार के आर्थिक कार्यक्रम का कोई उल्लेख नहीं है । शायद उन्होंने अभिभाषण को ध्यान से सुना नहीं । उसमें आर्थिक कार्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख है। पर क्या वह ये चाहते थे कि मुश्किल से

मिले 3-4 दिन में हम उसकी विगत भी उन्हें विस्तार से दे देते? हो सकता है कि उनमें ऐसा करने की क्षमता हो, कम से कम मुझमें तो नहीं है। भविष्य में हम जो करेंगे उससे ही हमारे कार्य का अनुमान लग सकता है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा : 21 वर्ष पहले क्या हुआ। यदि वे अपनी स्मरणशक्ति पर जोर दें तो वाद-विवाद के रिकार्ड से पता चलेगा कि इसका उत्तर एक बार नहीं अनेकों बार दिया जा चुका है । उन्होंने बम्बई में लोगों को गोली से मार दिए जाने की बात कही । क्या उन्हें यह याद है कि सत्ताधारी कांग्रेस दल के किसी भी सदस्य ने इस पर कोई आपत्ति नहीं उठाई, जबकि वे महाराष्ट्र में बहुमत में थे । उनका कोई विरोध प्रकट न करना क्या मेरी उस कार्यवाही को उनके द्वारा दिया गया पर्याप्त समर्थन नहीं है । उस समय जो कुछ किया गया ऐसी बात नहीं उस पर मुझे दुख नहीं हुआ। परन्तु मुझे ऐसा करने के लिये बाध्य होना पड़ा अन्यथा समूचा बम्बई शहर समाप्त हो सकता था । यदि यह न किया जाता तो बम्बई में कुछ न बचता ।

दिल्ली में क्या हुआ? कितने यहां बुलडोजर चलाए? यह पिछली सरकार के प्रशसान ने किया। बिना उचित सूचना के मकानों को गिरा दिया गया। क्या लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करना चाहिए? दिल्ली में जो कुछ हुआ उसकी तुलना बम्बई की घटनाओं से कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में हुई एक सभा में 5 लाख लोग शामिल हुए। इससे क्या लक्षित होता है? यह लोगों की भावनाओं का प्रदर्शन है। वे स्वयं वहां आए और शान्ति से हमारी बात सुनी ।

श्री साठे ने गुजरात की घटनाओं का भी जिक्र किया। उसके लिए कौन जिम्मेदार था? इसके लिये वे लोग जिम्मेदार थे जिन्होंने उन्हें उकसाया और युवकों को रुपया दिया। मैंने इसका विरोध किया और कहा कि यदि वे गलत काम करते रहे और मुझे अपने जीवन का बलिदान करना पड़ेगा और उसे रोकने के लिये मैंने अनशन किया। माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने सत्याग्रह करने की घोषणा की। मुझे सन्देह है कि वे सत्याग्रह का अर्थ भी समझते हैं या नहीं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair.*]

किसी भी सरकार के हिंसा का सामना शक्ति से करने के कार्य में हमें गलती नहीं निकालनी चाहिये । सरकार को हिंसा होने पर शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ता है। परन्तु जब हिंसा न हो तब बल का प्रयोग क्यों किया जाए? वर्तमान सरकार के यह निश्चित आदेश हैं । परन्तु यदि कोई राज्य सरकार जो हमारे नियन्त्रण में नहीं है उसकी जिम्मेदारी हम नहीं उठा सकते। परन्तु ऐसा न हो इसके लिये कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

विपक्ष के नेता ने कहा है कि अभिभाषण में किसी कार्यक्रम का उल्लेख नहीं है। कार्यक्रम तो है परन्तु उसे पूरी तरह समझाया नहीं गया है । पर क्या वे चाहते हैं हम उसे तुरन्त समझा दें। 20 सूत्रों को भी कहीं समझाया नहीं गया ।

मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे थोड़ा संयम बरतें और जनता पार्टी को विचित्र जानवर न कहें; आशा है कि भविष्य में संयम बरता जाएगा ।

विपक्ष के नेता ने कहा कि जनता पार्टी थोड़े ही समय में बिखर जाएगी और अधिक दिन नहीं चल सकेगी । यह सम्भव नहीं है । तथ्य यह है कि गलत इच्छाओं के कारण ही कांग्रेस का पतन हुआ है । यदि विपक्षी नेता देश के लिये दो दल की प्रणाली अच्छी समझते हैं तो क्या हमें जनता पार्टी के बने रहने की कामना नहीं करनी चाहिये ? यदि जनता पार्टी टूट जाती है तो इस देश का भविष्य अन्धकारमय है ।

जब तक जनता पार्टी सत्ता में रहेगी वह अपने कार्य से लोकतंत्र की परम्पराओं की स्थापना करेगी । यदि हम ऐसा करने में असफल रहे तो विपक्ष का कोई भी सदस्य इस ओर इंगित करे जिससे हम स्वयं को सुधार सकें ।

तीन वर्ष पहले मैंने अपने मित्रों से कहा था कि जो कुछ हो रहा है वह देश के भले के लिए हो रहा है । यह देश जब तक ठोकर नहीं खाता उभर नहीं सकता । हमें महात्मा गांधी के कारण बड़ी आसानी से स्वतंत्रता मिल गई । उसके लिये हमने पर्याप्त कीमत नहीं चुकाई । वह कीमत हमने गत 20 महीनों में चुकाई और मुझे आशा है कि हमें और कीमत नहीं चुकानी होगी । यदि कोई कीमत चुकानी पड़ी तो हम उसे चुकाएंगे पर किसी अन्य को उसे चुकाने को बाध्य नहीं करेंगे । आशा है विपक्ष भी इस देश को महान बनाना चाहता है । इस प्रयत्न में हो सकता है हमसे गलतियां हों, परन्तु हमें एक दूसरे को उन्हें दूर करने में मदद करनी चाहिये । यदि हम ऐसा करते हैं तो देश का भविष्य अच्छा होगा ।

मुझे इस देश के उत्थान में पूरा विश्वास है । मेरा विश्वास है हम ऐसा समाज बना सकेंगे जिसे महात्मा गांधी राम राज्य की संज्ञा देते थे । ऐसा होने पर हम विश्व में भी ऐसी स्थिति बना सकेंगे । हमारी विदेश नीति भी ऐसी ही होगी । गुट निरपेक्षता की विदेश नीति में कोई मतभेद नहीं है । हम प्रयत्न करेंगे कि इसमें कोई अन्तर न आए ।

गुट निरपेक्षता तभी बरती जा सकती है जबकि किसी प्रकार का कोई भय न हो परन्तु दुर्भाग्यवश गत 20 महीनों में देश भय के ऐसे वातावरण से गुजरा है जिससे इस देश के इतिहास में कोई सानी नहीं है । इसलिये हम चाहते हैं कि भय देश में न रहे । अन्यथा हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और उन्नति नहीं कर सकते । मैं विपक्ष से अनुरोध करता हूं कि वह लोगों के मन से भय बाहर निकालने में सरकार की मदद करें। परन्तु वह तभी हो सकता है जब हम अपने मन से डर निकाल दें । हम सरकार से हटने से नहीं डरते। पिछली सरकार इस डर से ग्रस्त थी । इसी कारण आपात स्थिति लागू की गई । आपात स्थिति का समर्थन किसने किया, स्वयं विपक्ष स्वयं के नेता ने । परन्तु उस समय वे और कुछ कहने के लिये स्वतंत्र नहीं थे। हम वह स्वतंत्रता लाना चाहते हैं। भय से मुक्त हुए बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता और हम उसे ही बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिये हम सब कुछ करेंगे ।

अभी तक क्या किया गया है इसकी आलोचना नहीं की गई है क्योंकि अभी कुछ अधिक हुआ ही नहीं है । कुछ बातें इधर-उधर ही कही गई हैं, इसलिये मुझे कोई उत्तर नहीं देना है । मैं विपक्ष से केवल यह अनुरोध करता हूं कि वह अपना सहयोग दे और जब वे हमारी आलोचना करें तो ऐसी करें कि वह बुरी न लगे।

श्री ओ० वी० अलगेसन : मैं सरकार से यह आश्वासन चाहता हूं कि सरकारिया आयोग को काम करने दिया जाएगा।

श्री मोरारजी देसाई : सरकारिया, आयोग का काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है। पूरा होने पर आगे की कार्रवाई होगी। श्री सरकारिया से अपना काम शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने को कहा गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ संशोधन हैं। यदि कोई सदस्य अलग से मतदान के लिए रखे जाने का अनुरोध नहीं करेगा तो मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखूंगा।

मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

THE AMENDMENTS WERE PUT AND NEGATIVED

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :--

'कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हुए उपराष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने 28 मार्च, 1977 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।"

[प्रस्ताव स्वीकृत हुआ]

[*The motion was adopted*]

तमिलनाडु के सम्बन्ध में जारी की गई उदघोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *RE* CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATION IN RESPCT OF TAMIL NADU

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : "कि यह सभा राष्ट्रपति के अनुच्छेद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु के सम्बन्ध में दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 10 मार्च, 1977 से एक वर्ष की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

पहले बढ़ाई गई अवधि के समाप्त होने से पहले पिछली सरकार ने 1-3-1977 को राज्य सभा में तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की अवधि 10 मार्च, 1977 से एक वर्ष और बढ़ाए जाने के लिए एक संकल्प पेश किया था जिसे स्वीकृति मिल गई थी। वैधानिक स्थिति ऐसी है कि राज्य सभा ने उद्घोषणा की अवधि बढ़ाने वाला संकल्प पारित कर दिया है, उसी आशय का एक संकल्प 30 दिन के अन्दर लोक सभा द्वारा पास किया जाना भी आवश्यक है।

संविधान के अनुच्छेद 356(4) के संशोधित रूप के अनुसार अब राष्ट्रपति का शासन एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। यह एक समर्थकारी उपबन्ध है क्योंकि उद्घोषणा को पहले भी समाप्त किया जा सकता है। हमारी सरकार राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राज्यों में शीघ्र सामान्य और लोक-प्रिय शासन की स्थापना करने को वचनबद्ध है। सरकार का यह प्रयत्न रहेगा कि अगले कुछ महीनों में तमिलनाडु में चुनाव कराए जाए। यह संकल्प पारित किया जाए जिससे लोकप्रिय सरकार की स्थापना तक प्रशासन चलाया जा सके।

श्री पी० कन्नन (सेलम) : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जा रही है परन्तु वहां की जनता शीघ्र चुनाव कराना चाहती है।

तमिलनाडु में कुछ मन्त्रियों और संसद सदस्यों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमें विचाराधीन हैं। सभी भ्रष्ट लोगों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। सरकार को यह आश्वासन देना चाहिए कि न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।

[**कुमारी आभा मैती** पीठासीन हुईं।
KUMARI ABHA MAITI *in the Chair.*]

मुकदमों पर निर्णय न्यायालयों द्वारा होना चाहिए। कार्यकारिणी को इसमें हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिए। तमिलनाडु के बारे में 7 आरोपों पर सरकारिया आयोग ने अपना निर्णय दे दिया है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। उन मामलों में भी कार्यवाही की जाये जिन पर मुकदमा चल रहा है। वहां की जनता चाहती है कि भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। राज्य में राष्ट्रपति का शासन लागू होने के बाद मजदूरों को मजदूरी दी जाने लगी है। कांग्रेस शासन ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कर दिया है। तमिलनाडु में 20 सूत्री कार्यक्रम लागू होने से जनजातियों के पर्वतीय लोगों को बहुत लाभ पहुंचा है। वहां के लोगों के अनुरोध पर जांच की कार्यवाही की गई है। द्रमुक के मन्त्रियों के विरुद्ध जांच की कार्यवाही को जारी रखा जाये। तभी हम केन्द्र की प्रगतिशील कार्यवाहियों का समर्थन करेंगे, अन्यथा नहीं।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : मैं इस संकल्प का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे वर्तमान रिक्तता की कठिन स्थिति समाप्त होती है। संकल्प के अनुसार राष्ट्रपति के शासन की अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जाती है। परन्तु मुझे प्रसन्नता है कि गृह मन्त्री ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति शासन वर्ष भर नहीं रखा जायेगा तथा निर्वाचन यथा शीघ्र कराये जायेंगे।

प्रधान मन्त्री का राष्ट्र के नाम सन्देश सराहनीय है। उनमें जो परिवर्तन आया है वह दिनों दिन और दृढ़ होता जाये। हम चाहते हैं कि उनके आश्वासन कार्य रूप में परिणत हों। उन्होंने राज्य प्रशासनों में तोड़फोड़ न करने का आश्वासन दिया है। यह भी स्वागत योग्य बात है।

परन्तु वास्तव में राज्यों में दल बदल के कार्य शुरु हो गए हैं। अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक, जिसका कि निर्वाचन में कांग्रेस के साथ गठबंधन था, वो जनता की ओर करने के यत्न हो रहे हैं। क्या यह कार्यवाही दल-बदल की नहीं है?

प्रधान मन्त्री ने भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग के मामलों की जांच के लिए स्वायत जांच कराने का आश्वासन दिया है। गृह मंत्री ने तीन पृथक जांच आयोग स्थापित करने की बात कही है। इसका स्पष्टीकरण किया जाना चाहिए। उनका यह आश्वासन स्वागत योग्य है कि सरकारिया आयोग की जांच जारी रहेगी। कुल आरोपों में से सरकारिया आयोग ने 28 को लिया तथा आयोग को 7 आरोपों की जांच में एक वर्ष लग गया। अभी 21 आरोप शेष हैं। जोकि बहुत महत्वपूर्ण और जटिल हैं। सरकार श्री सरकारिया से जांच में जल्द बाजी करने को न कहे। उन्हें पूरा समय दिया जाये जिस से कि पूरी-पूरी जांच हो सके।

प्रधान मन्त्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देते हुए बस चालकों की हड़ताल का उल्लेख किया है। वहां हुआ यह कि एक बस चालक का मद्रास शहर के एक डिपो से दूसरे डिपो में तबादला कर दिया गया और उसके कारण बस चालकों ने हड़ताल कर दी। हजारों छात्रों तथा अन्य लोगों को इधर-उधर जाने में असुविधा हुई। लोग सड़कों पर कह रहे थे कि जनता सरकार की यह पहली उपलब्धि है।

इसके बाद एक और घटना हुई। आपात स्थिति समाप्त करने के तत्काल पश्चात लगभग 30 या 40 छात्र बिना आज्ञा लिए मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति के कमरे में घुस गए और उन्होंने मांग की कि सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी जानी चाहिए। उपकुलपति स्वभाविक रूप से इस बारे में अपना निर्णय नहीं दे पाये। यदि विश्वविद्यालय परिसर में इस तरह अनुशासनहीनता फैली तो यह न तो देश के हित में होगा और न ही देश की भावी पीढ़ी के हित में। होटल वालों ने एक रुपये में जनता भोजन सप्लाई करना बन्द कर दिया है, जिससे गरीब लोगों के लिए कठिनाई उत्पन्न हो गई है। यह योजना पुनः चालू की जानी चाहिए।

वहां विद्युत विभाग की स्थिति बदतर है। इसमें पूरी तरह सुधार करने की आवश्यकता है। वहां पहले बिजली में 30 प्रतिशत की कटौती की गई थी। अब 50 प्रतिशत कटौती करने का प्रस्ताव है। गर्मियों का मौसम है और यह आवश्यक है कि पम्प सेटों के लिए बिजली उपलब्ध हो। नहीं तो खड़ी फसल सूख जायेगी (**व्यवधान**) मैं सरकार के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहा हूं। दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन ऊर्जा मन्त्री ने शपथ ली उसी दिन बिजली की सप्लाई में और अधिक कटौती करने की घोषणा की गई (**व्यवधान**) मैं यह केवल इसलिए कह रहा हूं कि नेवेली परियोजना में इस वर्ष बिजली का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में 75 प्रतिशत अधिक हुआ है। अतः मन्त्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिए और वर्तमान स्थिति में सुधार करना चाहिए।

मेरी बहुत समय पहले से मांग रही है कि तमिलनाडु को आन्ध्र प्रदेश से मिलाने वाली सड़क के ऊपर पाल्लीपेटी के समीप एक पुल का निर्माण किया जाये। वहां नदी के ऊपर पुल न होने के कारण जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार तो वहां पुल का निर्माण करना चाहती थी। किन्तु द्रमुक सरकार ने यह कार्य शुरु नहीं किया। अब वहां राष्ट्रपति शासन है, अतः यह कार्य तत्काल आरम्भ किया जाना चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक चीनी कारखाने की स्थापना का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति दी जानी चाहिए।

चौधरी चरण सिंह : सभा में चर्चा तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के बारे में हो रही है और माननीय सदस्य चुनाव, गठबन्धन, जनता पार्टी आदि की बातें कर रहे हैं, जिनका चर्चा से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री ओ० वी० अलगेशन : ऐसी चर्चा के दौरान इन बातों का उल्लेख होता ही है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वहां ऐसा कार्य किया जाना चाहिए क्योंकि तमिलनाडु प्रशासन इस समय संसद के अधीन है। तमिलनाडु के संसद सदस्यों की एक समिति बनी हुई थी। जिसके अध्यक्ष भूतपूर्व गृह मन्त्री थे। मैं चाहता हूं कि उसी तरह की समिति फिर से बनाई जाये।

माननीय शिक्षा मन्त्री ने एक संक्षिप्त सा वक्तव्य दिया है। मैं राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा निकाली गई एक पुस्तिका की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में अंग्रेजी नवीं कक्षा से पढ़ाई जायेगी। तथा हिन्दी भाषी राज्यों में छठी कक्षा से। हिन्दी तथा गैर-हिन्दी भाषी राज्यों के बीच इस तरह भेदभाव किया जा रहा है। यह भेदभाव दूर किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में नई नीति अपनाई जानी चाहिए।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : देश के अन्य भागों की तुलना में तमिलनाडु में हम लोगों ने सूखे की गम्भीर स्थिति का कहीं अधिक सामना किया है। द्रमुक सरकार के शासन के दौरान सूखा राहत कार्यों के लिए निर्धारित धन संकट ग्रस्त लोगों पर खर्च करने की बजाय लोगों की जेबों में चला गया। इससे राज्य को भारी हानि उठानी पड़ी। इस समस्या का समाधान युद्ध स्तर पर किया जाना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान खोदे गए कुओं के रख-रखाव की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। क्योंकि उनके खराब होने पर उनकी ठीक ढंग से मरम्मत नहीं की जाती अतः इस समस्या की शीघ्र हल किया जाना चाहिए।

तमिलनाडु में हौजरी के कपड़े पर बिक्री कर लगाने से हौजरी निर्माता और कर्मचारियों को बड़ी हानि हुई है। यह बिक्री कर अनुचित है। गृह मन्त्री इस ओर ध्यान दें ताकि इस उद्योग को राहत प्रदान की जा सके।

मद्रास के सेलम नामक स्थान में एक कारखाने में कई बार तालाबन्दी हुई है। इसी तरह मेरे निर्वाचन क्षेत्र कोयम्बतूर में भी किसी न किसी कारण को लेकर कई मिलें बन्द हुई हैं। लाटेस मिल ने उसे चलाने के लिए आवश्यक धन की मांग की है। मन्त्री महोदय तत्काल इस ओर ध्यान दें।

दक्षिण में, विशेषकर तमिलनाडु केरल तथा आन्ध्र प्रदेश में बहुत सी आयुर्वेदिक फार्मेसियां हैं। इनकी दवाइयों पर 40 प्रतिशत बिक्री कर लगाना कल्पना से परे की बात है। देशी चिकित्सा प्रणाली के साथ यह भेदभाव क्यों? स्वास्थ्य मन्त्री इस ओर ध्यान दें और इस भेदभाव को दूर करें।

तमिलनाडु विधान सभा के चुनाव शीघ्र कराये जाएं जिससे कि जनता को लोकप्रिय सरकार चुनने का अवसर मिल सके।

श्री कुमरी अनन्तम (नागरकोइल) : सरकारिया आयोग के सम्बन्ध में श्री अलगेशन ने प्रधान मन्त्री के कथन को गलत रूप में पेश किया है। प्रधान मन्त्री ने कहा है कि सरकारिया आयोग चार माह का समय चाहता है। जो कि उन्हें दे दिया गया है।

एक सदस्य ने बिजली की कटौती का उल्लेख किया है। इसके लिए मन्त्री जी कैसे दोषी ठहराए जा सकते हैं? जनता सरकार पर इसकी जिम्मेदारी कैसे डाली जा सकती है? उस समय तो वहां उनका ही शासन चल रहा था अतः वे ही इसके लिए जिम्मेदार हैं।

यह भी कहा गया है कि मतदाता सूची में कई मतदाताओं ने नाम नहीं थे। इसकी जिम्मेदारी पिछली ही सरकार पर डाली जा सकती है। उन्होंने कुछ नाम ही नहीं हटाए वरन् कुछ गोलमाल करने का भी प्रयास किया है।

जनता सरकार न्याय करने में किसी के साथ पक्षपात नहीं करेगी? साथ ही वह किसी भी व्यक्ति को जांच आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर नहीं करेगी।

श्री ए० अशोकराज (पेरम्बलूर) : जनवरी, 1976 में द्रमुक सरकार को समाप्त कर तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। कुछ अधिकारियों ने मनमाने तरीके अपनाए किन्तु जनता अपनी भावनाएं व्यक्त करने में असमर्थ थी। अतः प्रधान मन्त्री शीघ्र ही तमिलनाडु में चुनाव कराने की घोषणा करें।

मेरा निर्वाचन क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यह एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लोग झौपड़ियों में रहते हैं। ये झौपड़ियां प्रायः आग में नष्ट हो जाती हैं। अत: उन्हें अच्छे मकान उपलब्ध करने के लिए सरकार एक व्यापक योजना तयार करे। वहां पानी की व्यवस्था भी की जाये।

वर्तमान शिक्षा प्रणाली ने भारतीय संस्कृति की आत्मा की उपेक्षा की है। सरकार का अध्यापक को उचित स्थान दिलाने का प्रयास करे। प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा कालेज स्तर की शिक्षा के लिए स्वायत्तशासी बोर्ड बनाए जा सकते हैं। ताकि नौकरशाही उन में हस्तक्षेप न कर सकें।

तमिलनाडु में स्नातकोत्तर अध्यापक 'क' 'ख' 'ग' और 'घ' श्रेणियों में बंटे हुए हैं। ये श्रेणियां समाप्त की जानी चाहिएं और इनके लिए एक संयुक्त संवर्ग बनाया जाये।

परिवार नियोजन के बारे में मैं शिक्षा मन्त्री को बता दूं कि वहां अध्यापकों को नसबन्दी के मामले लाने के लिए कहा गया। ऐसी जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए। इस कार्यक्रम को पूर्णतया ऐच्छिक कार्यक्रम के रूप में तेजी से आगे बढ़ाया जाना चाहिए तथा व्यापक नीति के अभिन्न अंग के रूप में इसे मानना चाहिए। जिसम शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व, शिशु देखरेख, परिवार कल्याण, महिला अधिकार तथा पौष्टिक आहार सम्मिलित किए जाने चाहिएं।

किसानों को उनके उत्पादों के बदले में उचित और लाभप्रद मूल्य दिया जाना चाहिए। किसानों की दशा सुधारने के लिए गांवों का सुधार किया जाना चाहिए। हथकरघा बुनकरों को सभी प्रकार की सहायता दी जानी चाहिए।

***श्री ए० मुरुगेसन** (चिदम्बरम्) : खेद है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के आश्वासन, कि देश के अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी लादी नहीं जायगी' जिसे स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी स्वीकार किया था, तथा उसका पालन किया था, को नहीं दोहराया है। अतः गृह मन्त्री हमें आश्वासन दें कि भारत के अहिन्दी भाषी लोगों पर हिन्दी थोपी नहीं जायेगी।

जहां तक कृषि का सम्बन्ध है, सरकार को सुधरी तथा अच्छी किस्म के बीज, उर्वरकों, ट्रैक्टरों आदि की किसानों को ठीक समय और उचित दामों पर सप्लाई करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि किसान भारतीय अर्थ व्यवस्था के मेरुदंड हैं। और जब तक उनका कल्याण नहीं होगा, राष्ट्र का कल्याण नहीं हो पायेगा।

ग्रामीण ऋण ग्रस्तता को समाप्त करने वाला कानून लागू होने के बाद से किसानों को अपने कार्य के लिए ऋण मिलने में बहुत कठिनाई हो रही है। स्थानीय महाजनों को समाप्त करने पहले, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने वाली संस्थाएं स्थापित की जानी चाहिएं।

हमारे देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की समस्या इतनी गम्भीर है कि ग्रामवासियों को पानी लाने के लिए मीलों दूर जाना पड़ता है। मेरे चुनाव क्षेत्र में यह चिरकालिक समस्या है। केन्द्र स्थित नई सरकार को ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की इस प्रमुख आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए।

भूतपूर्व केन्द्रीय मन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने नेवेली में दूसरी कट-लाईन खोलने के बारे में आश्वासन दिया था। इस प्रयोजन के लिए आवश्यक बिजली पैदा करने हेतु वहां तापीय बिजली घर बनाने की महती आवश्यकता है। इसे तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिए।

तंजौर जिले में, जिसे तमिलनाडु का अन्न भंडार कहा जाता है, वह भूमि जिसमें एक वर्ष में तीन फसलें होती हैं, पानी के अभाव के कारण सूख गई है। हेमवती तथा हारंगी निदयों पर बांध बनाने के बाद भी कर्नाटक सरकार 1974 में हुए उस समझौते का पालन नहीं कर रही है जिसमें तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच कावेरी नदी के पानी के बटवारे के सम्बन्ध में समझौता हुआ था। यदि यह जल विवाद तुरन्त हल नहीं किया गया तो समूचे तमिलनाडु में सूखा पड़ जायेगा। केन्द्र में स्थित जनता पार्टी की सरकार को इस समस्या का शीघ्र हल निकालना चाहिए। तमिलनाडु विधान सभा के लिए चुनाव तुरन्त कराए जाने चाहिएं।

मेरा सुझाव है कि पंचायतों को पर्याप्त शक्तियां दी जाये ताकि ग्रामीणों को लाभ पहुंच सके।

***श्री के० राममूर्ति** (धर्मपुरी) : प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री ने आश्वासन दिया था कि तमिलनाडु में शीघ्रातशिघ्र चुनाव कराये जायेंगे। अब इस संकल्प के अन्तर्गत वहां राष्ट्रपति शासन की

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

अवधि एक वर्ष के लिये बढ़ायी जा रही है। तमिलनाडु की जनता के मन में यह भ्रम पदा हो सकता है कि जनता पार्टी की सरकार तमिलनाडु में तभी चुनाव करायेगी जबकि वह तमिलनाडु की जनता में लोकप्रिय हो जायेगी।

सत्ताधारी दल के आर्थिक कार्यक्रम के बारे में न तो राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई संकेत है और न ही सत्ताधारी दल के सदस्यों के भाषण में ही। तमिलनाडु में निर्धनता के स्तर से नीचे जीवन बिताने वाले लोगों के लिए जनता पार्टी सरकार ने क्या आर्थिक कार्यक्रम तैयार किया है ?

राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये विभिन्न भूमि सुधार कानूनों में अन्तर्विहित मानक एकड़ों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने मार्गदर्शी सिद्धान्त दिए हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन होने के कारण राज्य के भूमि सुधार कानून केन्द्रीय सिद्धान्तों के समान ही लाये जाने चाहिये।

यह बात खेदजनक है कि जनता पार्टी के सत्ता में आने से मुक्त बधुआ श्रमिक फिर से दास बनाये गये हैं। तमिलनाडु में राष्ट्रपति के शासनकाल के विस्तारण का तमिलनाडु की जनता स्वागत नहीं करेगी।

इस राज्य में पेय जल समस्या इतनी गम्भीर है कि लोगों को बहुत कठिनाई हो रही है। धर्मपुरी को पिछड़ा क्षेत्र तो घोषित कर दिया है लेकिन इस क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की व्यवस्था करने के सम्बध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यहां औद्योगिक क्षेत्र में सैंकड़ों तालेबदियां हुई हैं और जबरन छुट्टियां दी गई हैं। बागान कर्मचारियों को बागान श्रमिक अधिनियम के अनुसार वेतन नहीं मिल रहा है। सेलम में शीशा उद्योग के कर्मचारियों को गत 4 महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिये क्योंकि तमिलनाडु में सीधा केन्द्र का शासन है।

इस राज्य में विधान सभा के लिये तुरन्त चुनाव कराये जाने चाहिये। आशा है तमिलनाडु विधान सभा के लिए चुनावों के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा शीघ्र ही अधिसूचना जारी की जायेगी।

श्री आर० मोहनरंगम (चेंगलपट्टु) : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन है। हम पिछले वर्ष से राष्ट्रपति से अनुरोध करते आ रहे हैं कि नगरपालिकाओं तथा पंचायतों के चुनाव कराये जायें लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

फिल्म उद्योग के मामले में श्री कुरुणानिधि के शासनकाल के दौरान मनोरंजन कर बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया था। ऐसा केवल हमारे नेता श्री एम० जी० आर० की लोकप्रियता घटाने के लिए किया गया था।

भाषा का जहां तक सम्बन्ध है, प्रधान मंत्री को सदन में स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि गैर हिन्दी भाषी क्षेत्रों के लोगों पर हिन्दी नहीं लादी जायेगी। हमारी भाषा को हिंदी के बराबर दर्जा दिया जाये। हमारी अपनी साहित्यिक परम्परायें हैं और हमारी भाषा समृद्ध है। अतः हमारी भाषा को उचित महत्व दिया जाये।

एक माननीय सदस्य : आप तमिल में क्यों नहीं बोलते ?

श्री आर० मोहनरंगम : यदि मैं तमिल में बोलूं तो सदस्य तथा मंत्री नहीं समझेंगे ।

सभापति महोदय : आप बोलते जायें ।

श्री आर० मोहनरंगम : तमिलनाडु में चुनाव समाप्त होने के बाद डी० एम० के० के कार्यकर्त्ताओं ने पुलिस की सहायता से ए० आई० ए० डी० एम० के० के कार्यकर्त्ताओं को मारा पीटा था क्योंकि हमने डी० एम० के० के विरुद्ध चुनाव लड़ा था । पता नहीं जनता पार्टी ने चुनावों में इस बदनाम और भ्रष्ट मुख्यमंत्री श्री करुणानिधि से क्यों गठजोड़ किया था । मेरे राज्य का प्रशासन निर्वाचित सरकार द्वारा ही चलाया जाना चाहिये, राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत अधिकारियों द्वारा नहीं ।

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं । भूतपूर्व सरकार ने तमिलनाडु की लोकप्रियता सरकार को अकारण ही उखाड़ फैंका था और वहां के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से दूर रखने का प्रयास किया गया था । भूतपूर्व सरकार ने राष्ट्रपति शासन को सलाह देने हेतु संसद सदस्यों की समिति गठित करने की कार्यवाही वास्तव में बहुत सराहनीय कदम था । गृहमंत्री को राष्ट्रपति शासन के दौरान स्थायी उपाय के रूप में समिति को पुनः स्थापित करने की सम्भावनाओं पर विचार करना चाहिये । (**व्यवधान**)

गृह मन्त्री (चौधरी चरणसिंह) : क्या आप शीघ्र ही चुनाव चाहते हैं ?

डा० हेनरी आस्टिन : मैं ऐसा नहीं कह रहा । राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत तमिलनाडु प्रशासन को सलाह देने के लिए संसद सदस्यों की एक सलाहकार समिति थी उस समिति ने बहुत उपयोगी सुझाव दिये थे । अतः उस समिति को पुनः स्थापित करना सहायक सिद्ध होगा ।

इस राज्य में आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर पीने के पानी का बहुत अभाव है । पहले प्रशासन ने 6,000 कुएं खुदवाये थे लेकिन उनके रखरखाव कार्य पर ध्यान नहीं दिया गया और इसलिए अब बहुत से कुएं बेकार हो गये हैं । यह मामला बहुत गम्भीर है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

कुछ क्षेत्रों में हथकरघा बुनकरों को इतनी अधिक गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है कि उनके उत्पादों के लिए उन्हें मंडी नहीं मिल रही है। प्रशासन को इस विस्तृत उद्योग में लगे श्रमिकों को बेरोज़गार होने और इस उद्योग को बंद होने से बचाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए ।

मुदरई और कोयम्बतूर में अनेक मिलें घाटे में चल रही हैं । 8 या 9 मिलों को तो पहले ही रुग्ण घोषित कर दिया गया है । सरकार ने केवल एक ही रुग्ण मिल को अपने हाथों में लेने का निर्णय किया है ।

जम्मू-कन्याकुमारी रेलवे लाइन पूरी होने से तमिलनाडु के लोगों को इस ओर बहुत रुचि बढ़ेगी । लेकिन यह रेलवे लाइन पहले ही जम्मू तक बढ़ी हुई है और कुछेक स्थानों पर लाइन नहीं बनी है । गृह मंत्री को इस ओर ध्यान देना चाहिए । प्राचीन नगर मुदरई को कोचीन के विकासशील भागों से मिलाने वाली रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना बहुत महत्वपूर्ण है । इस रेलवे लाइन से पर्यटन के विकास के लिए बहुत सुविधाएं प्राप्त होंगी । पता चला है कि आरम्भिक सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ।

वहां मछलीपालन के विकास की बहुत भारी गुंजाइश है। समुद्री जीवविज्ञानिकों के अनुसार यदि तैंज बैंक की सम्भावनाओं की ही खोज की जाये तो हम सम्पूर्ण दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया का भारी प्रोटीन युक्त खाद्य तथा विभिन्न प्रकार के समुद्री खाद्य सामग्री से पोषण कर सकते हैं।

छठी पंचवर्षीय योजना में मछलीपालन के विकास के लिए तमिलनाडु में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की योजना बनाई है जो काफी लाभदायक सिद्ध होगी।

श्री एस० नन्जेशर गौडा (हसन) : मैं इस सकल्प का संमर्थन करता हूं।

कर्नाटक में पिछले 8 वर्षों से तलुक बोर्ड और पंचायतों के लिये कोई चुनाव नहीं हुये हैं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि कांग्रेस को वोट देने के लिये लोग जलूस के साथ आते थे और पिछले 30 वर्षों में बहुत काम हुये हैं। दक्षिण-उत्तर की बातें करना स्वस्थ परम्परा नहीं है (**व्यवधान**) कर्नाटक विधान मंडल की लोकलेखा समिति ने कर्नाटक कोआपरेटिव मार्केटिंग फैडरेशन के अध्यक्ष के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये हैं। इन आरोपों की जांच की जानी चाहिये।

श्री आर० कोलनघवेलु (तिरुचेप्पेड़े) : राष्ट्रपति शासन होने के कारण तमिलनाडु में लोग राज्य विधान मण्डल में अपने प्रतिनिधि नहीं भेज पा रहे हैं जिससे कि वे अपनी शिकायतें बता सकें। अतः मैं अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० की ओर से अनुरोध करता हूं कि राज्य विधान मण्डल के लिए शीघ्र चुनाव कराए जायें।

राष्ट्रपति शासन के लाभ बता कर सत्तालोलुप डी० एम० के० जनता को डरा धमका रहा है कि उनका जीवन खतरे में पड़ जायेगा और उनकी सुरक्षा नहीं होगी। पुलिस भी डी० एम० के० के शरारती तत्वों का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन कर रही है। उन लोगों ने अन्ना डी० एम० के० के कुछ कार्यकर्त्ताओं को डराया धमकाया और उनके साथ मार पिटाई की। पुलिस ने उनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं की हैं। इस तथ्य की सूचना पुलिस के महानिरीक्षक से भी की गई। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि दुःखी लोगों को न्याय मिले।

द्रमुक के नेताओं के विरुद्ध कुछ मामले विचाराधीन पड़े है। इन मामलों को शीघ्र निपटाया जाये। सरकार को निलबिंत पड़ी लोक निर्माण योजनाएं कार्यान्वित करने हेतु उचित कार्यवाही करनी चाहिए, जिन्हें पिछली सरकार अधूरी छोड़ गई है।

मेरे चुनाव क्षेत्र में अनेक गांव ऐसे हैं जो सड़कों से जुड़े नहीं है। सरकार को यथाशीघ्र सम्पर्क सड़कों का निर्माण करने के लिये कदम उठाने चाहिए।

कृषकों को ट्रेक्टर खरीदने के लिये ऋण लेने हेतु भारी राशि जमा करनी पड़ती है। यह राशि कम की जानी चाहिए।

सेलम इस्पात संयंत्र को पूरा करने का कार्य शीघ्र पूरा करना चाहिए। अन्तर्राज्यीय जल विवाद शीघ्र हल किया जाना चाहिए। परमाणु बिजली घर बहुत समय से निलबिंत पड़ा है। इसकी जांच की जानी चाहिए।

***श्री ए० बी० पी० असाइतम्बी** (मद्रास उत्तर) : पूर्ववती सरकार ने केरल में विधान सभा के चुनाव कराये थे। लेकिन वे तमिलनाडु में चुनाव कराने से हिचकचाते रहे क्योंकि कांग्रेस दल को आशंका थी कि वे राज्य के चुनावों में विजय प्राप्त नहीं कर पायेंगे। द्रमुक का मत है कि विधान सभा के चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिएं।

सभा को विदित है कि निर्वाचित द्रमुक सरकार राज्य में सत्तारूढ़ थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून, 1975 को प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया था। इसके तुरन्त बाद हमारे द्रमुक के अध्यक्ष, श्री करुणानिधि ने घोषणा की थी कि श्रीमती इन्दिरा गांधी को देश में स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परा स्थापित करने की दृष्टि से अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन 25 जून, 1975 को समूचे देश भर में आंतरिक आपातस्थिति लागू कर दी गई। 27 तारीख को द्रमुक की कार्यकारिणी की समिति ने सर्वसम्मत्ति से संकल्प पारित किया जिसमें आपातस्थिति को समाप्त करने तथा सभी राष्ट्रीय नेताओं को रिहा करने की मांग की। किन्तु श्रीमती इन्दिरा गांधी नाराज हो गईं और उन्होंने श्री एम० जी० रामचन्द्रन द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका के आधार पर राज्य में द्रमुक सरकार को गिरा दिया। और इस बारे में राज्यपाल को भी नहीं बताया गया। उसके बाद द्रमुक दल के सदस्यों की गिरफ्तारियां अन्धाधुन्ध रूप से की जाने लगीं। दल के प्रमुख नेताओं सहित लगभग 20,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। द्रमुक के भूतपूर्व संसद सदस्य को पुलिस ने इतना पीटा कि उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। एक अन्य कार्यकर्त्ता, श्री बालकृष्णन पुलिस के अत्याचार और मारपीट से मदुराई जेल में ही दम तोड़ गए। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों और ज्यादतियों की जांच करने के लिए एक संसदीय जांच समिति गठित की जानी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि द्रमुक अलगाव तथा पृथकतावाद का प्रचार करती है। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि द्रमुक तीन दशकों से भी अधिक समय से राष्ट्रीय एकता का प्रचार करती आ रही है। देश में न तो कोई उत्तर भारत है और ना ही दक्षिण भारत बल्कि समूचा देश भारत है।

*तमिल में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।
Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

उल्लेख किया गया है कि केन्द्र में स्थाई और स्थिर सरकार होने से ही अन्तर्राज्यीय विवाद शांतिपूर्वक हल हो सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि गत 30 वर्षों से केन्द्र में स्थिर सरकार थी, क्या वह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच अभी भी विद्यमान कावेरी नदी जल-विवाद को हल कर पाई है? क्या तमिलनाडु और केरल के बीच पंडियार पोनमपुजा विवाद हल हो गया है जबकि केन्द्र में गत तीन दशकों से कांग्रेस का ही शासन रहा है।

उत्तर भारत बाढ़ों से प्रभावित है, जबकि दक्षिण भारत सूखाग्रस्त। इस दोहरी समस्या को हल करने तथा राष्ट्रीय एकता को दृढ़ करने की दृष्टि से गंगा नदी को कावेरी में मिला देना चाहिए।

आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए दो व्यक्ति तमिलनाडु के जेलों में मारे गए हैं। ऐसा ही उत्तर भारत में भी हुआ होगा। सभी शोक संतप्त परिवारों को केन्द्रीय सरकार की ओर से 1,000 रुपये प्रतिमास आजीवन पेंशन दी जानी चाहिए।

आशा थी कि राष्ट्रपति शासन निष्पक्ष तथा ईमानदारी से तमिलनाडु में प्रशासन चलायेगा। किन्तु इस दौरान वहां बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और कदाचार का बोलबाला रहा है। राष्ट्रपति शासन के दौरान कांग्रेसी लोगों ने लाभ के पद प्राप्त किए। अब उन्हें उन पदों से त्यागपत्र दे देने चाहिएं अथवा केन्द्रीय सरकार उन लोगों को उन पदों से हटा दे।

श्री एम० कल्याण सुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : राज्य विधान सभाओं के चुनाव शीघ्र कराये जाने चाहिएं और चुनाव स्वतंत्र तथा निष्पक्ष होने चाहिए। लोगों को अपनी पसंद की सरकार बनाने का अवसर देना चाहिए और केन्द्र को इस बारे में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

लोक सभा के चुनावों में लोगों ने द्रमुक को अस्वीकार कर दिया और गठबंधन के पक्ष में अपना मत दिया। सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए। इस सरकार की स्थापना से द्रमुक दल जनता पार्टी से अधिक खुश है। वे जीत की खुशी मना रहे हैं। उन्हें आशा है कि उनके पाप जनता पार्टी की छत्रछाया में छुप जायेंगे।

गत एक सप्ताह से चोर-बाजारिये और जमाखोर बहुत सक्रिय हो गए हैं। सीमेंट की एक बोरी की कीमत 19 रुपये 20 पैसे है लेकिन तमिलनाडु में 30 या 31 रुपये से कम में सीमेंट की बोरी नहीं मिल रही है। कई निर्माण कार्यों में लगे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं।

गत एक सप्ताह के दौरान उस धागे का, जो कालीन, चद्दर तथा तौलिए बनाने के काम में लाया जाता है, मूल्य 50 से 60 प्रतिशत बढ़ गया है। यह खुले बाजार में उपलब्ध नहीं है। हजारों हथकरघा बुनकर धागा न मिलने के कारण बेरोजगार हो गए हैं और अब उन्हें भूखमरी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य तेलों, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्य भी बढ़ गए हैं।

तमिलनाडु में सूखे की स्थिति बहुत भयंकर बनी हुई है। सरकार को वहां इस स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक दल भेजना चाहिए। लोगों को तत्काल राहत दी जानी चाहिए।

हाल ही में एक रेल दुर्घटना हुई है। इस सम्बंध में क्या जांच करायी जा रही है। जांच द्वारा सामने लाये गए तथ्यों को छिपाया जा रहा है। सरकार को दुर्घटना के कारणों की समुचित जांच करानी चाहिएं। रेल निरीक्षण कर्मचारियों द्वारा इसकी जांच नहीं करायी जानी चाहिए क्योंकि वे असलियत को छिपाने की कोशिश करेंगे। भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने तथा सच्चाई जानने हेतु सरकार को एक उचित जांच अवश्य करानी चाहिए। दुर्घटना के वास्तविक कारणों को जानने हेतु रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी और गृह मंत्रालय के भी किसी वरिष्ठ अधिकारी को भेजा जाना चाहिए।

गृह मंत्री (चौधरी चरण सिंह) : चर्चा के दौरान कई बातों को उठाया गया है। पेय जल की कमी के बारे में उल्लेख किया गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार शीघ्रातिशीघ्र किस प्रकार की राहत दे सकती है।

राष्ट्रपति के शासन के दौरान हुई कुछ ज्यादतियों के मामलों का भी उल्लेख किया गया है। यदि कुछ विशिष्ठ मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है तो सरकार उस संबंध में जांच करेगी और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

सलाहकार समिति के गठन के बारे में भी उल्लेख किया गया है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही पहले से ही कर ली है और शीघ्र ही एक ऐसी समिति का गठन किया जायेगा।

हिन्दी के सम्बन्ध में भी प्रश्न उठाया गया है। इस सरकार की नीति किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र पर जबरदस्ती हिन्दी थोपने की नहीं है।

विधान सभा के चुनाव कुछ महीनों के भीतर ही करा दिए जायेंगे। जहां तक चुनावों की स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, हम यथासम्भव यह प्रयास करेंगे कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हों।

सभापति महोदय : प्रश्न है :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तमिलनाडु के सम्बन्ध में दि० 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 10 मार्च, 1977 से एक वर्ष की अवधि के लिए लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

नागालैण्ड के बारे में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *RE*, CONTINUANCE IN FORCE OF THE PROCLAMATION IN RESPECT OF NAGALAND

नागालैण्ड के सम्बन्ध में उद्घोषणा को जारी रखने के बारे में

चौधरी चरणसिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैंड के सम्बन्ध में दिनांक 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 मार्च, 1977 से एक वर्ष की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

नागालैंड में राष्ट्रपति शासन 22 मार्च, 1975 को लागू किया गया था। इस उद्घोषणा का अनुमोदन लोक सभा ने 25 मार्च, 1975 को तथा राज्य सभा ने 26 मार्च, 1975 को किया। अब इसकी अवधि इस वर्ष के लिए और बढ़ाई गई है। नागालैंड में जलवायु सम्बन्धी स्थितियां सामान्य होने पर वहां चुनाव करा दिए जायेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन नागालैंड के सम्बन्ध में दि० 22 मार्च, 1975 को जारी की गई उद्घोषणा को 26 मार्च, 1977 से एक वर्ष की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

कालटेक्स [कालटेक्स आयल रिफाईनिंग (इंडिया) लिमिटेड के शेयरों तथा कालटेक्स (इंडिया) लिमिटेड के भारत में उपक्रमों का अर्जन] विधेयक

CALTEX [ACQUISITION OF SHARES OF CALTEX OIL REFINING (INDIA) LIMITED AND OF THE UNDERTAKINGS IN INDIA OF CALTEX (INDIA) LIMITED] BILL

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि लोक हित में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और भारत में कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार,

हक और हितों के अर्जन और अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित तथा उक्त उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पेट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

इस विधेयक ने राष्ट्र को अपनी अर्थ व्यवस्था के एक अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिसका सम्बन्ध विकास और प्रतिरक्षा क्षेत्र, दोनों से है, पर नियंत्रण करने में सहायता की है। कालटेक्स तथा अन्य, कम्पनियां इस देश में काफी वर्षों से कार्य कर रही हैं। राष्ट्र की यह संगत नीति रही है कि सरकारी स्वामित्व के माध्यम से हमारे उद्योग के इस क्षेत्र के कार्यों को सरकार द्वारा चलाया जाये।

इसके बाद केवल एक छोटी सी कम्पनी आसाम आयल कम्पनी ही सरकारी स्वामित्व से बाहर रहेगी। भारत सरकार ने इस प्रकार अपने तेल उद्योग के 99.9 प्रतिशत भाग पर अपना स्वामित्व जमा लिया है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि लोक हित में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और भारत में कालटेक्स (इण्डिया) लिमिटेड के उपक्रमों के सम्बन्ध में उसके अधिकार, हक और हित के अर्जन और अन्तरण का तथा उसके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत में कालटेक्स आयल रिफाइनिंग (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा उत्पादित तथा उक्त उपक्रमों द्वारा विपणित और वितरित पेट्रोलियम उत्पादों के स्वामित्व और नियंत्रण का ऐसा वितरण हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हो, उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

डा० हेनरी आस्टिन (एरनाकुलम) : यह विधेयक स्वागत योग्य है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है कि तेल उद्योग के 99 प्रतिशत भाग पर सरकार का अधिकार हो गया है।

एस्सो की एक टीन कारखाने का जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसमें 150 कर्मचारी कार्य कर रहे थे। एस्सो को अपने अधिकार में लेने के बाद इस कारखाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जबकि यह कारखाना एस्सो का ही एक अभिन्न प्रतिष्ठान था। कर्मचारी बार-बार अभ्यावेदन दे रहे हैं कि उनकी नौकरी सुरक्षित रखी जाये और वे एक सहकारी समिति बनाकर एरनाकुलम में कारखाना चलाएंगे। इस कारखाने को किसी गैर-सरकारी हाथ में बेचने का भी प्रस्ताव था। सरकार को कर्मचारियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए ताकि कर्मचारी कारखाना चला सकें।

सरकार कालटेक्स कम्पनी को अपने अधिकार में ले रही है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जहां आवश्यक हो, वहां कर्मचारियों को समुचित मुआवजा दिया जाये और उनके रोजगार के लिए समुचित व्यवस्था की जाये।

तत्पश्चात लोक सभा 6 अप्रैल, 1977/16 चैत्र 1899 (शक) 11 बजे तक के लिए स्थगित

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Wednesday, the 6th April, 1977/Chaitra 16, 1899 (Saka).

136LSS/77 —GIPF.